BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL MP

In the Matter of

OA No. 47 of 2016

Bharat Kumar Jain : Applicant

Versus

Union of India & Others : Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Index		1
2.	Application for taking Complete Compliance and Status on behalf of Respondents' 2 to 7 on record along with Affidavit		2-10
3.	Copy of Notification dated 25-06-2009	R-1	11-20
4.	Copy of Compliances	R-2	21-23
5.	Copy of List of encroachments removed by Respondents	R-3	24-53
6.	Copies of Monitoring Committee Meetings Minutes	R-4	54-156

Bhopal

Dated

Respondents' 2 to 7

ATTESTED 19/9/2022 PREETI DAVE NOTARY PUBLIC MOUNTABU

NOTARY Preeti Dave GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL M.P

In the Matter of

OA No. 47 of 2016

Bharat Kumar Jain : Applicant

Versus

Union of India & Others : Respondents

APPLICATION FOR TAKING COMPLETE COMPLIANCE AND STATUS ON BEHALF OF RESPONDENTS' 2 to 7 ON RECORD

The Respondents' 2 to 7, named above, most respectfully begs to submit as under:

1. Applicant in the instant Petition alleged that due to illegal construction and encroachment going on in the area in violation of Notification dated 25-06-2009 and the directions issued by the Hon'ble Supreme Court, there has been perceptible change in the climate conditions of the area also causing destruction of forest and the deterioration of environment. It has further been alleged that permissions for construction have been granted in the garb of carrying out repairs/renovations and permissions have also been granted to offenders whose litigations are pending. It is also alleged that still illegal construction and encroachments are still continuing in the area without taking requisite

permissions by the Monitoring Committee as Authorities are hands in gloves with the encroachers.

2. The aforesaid matter came up for hearing on 11-09-2020, and the Hon'ble Tribunal directed the answering Respondents on their request, to submit complete compliance and status.

3. The answering Respondents specifically denied all allegations made by the Applicant in the Petition in respect of permitting illegal constructions and encroachments by the answering authorities and non compliance of Notification dated 25-06-2009. It is also pertinent to mention here that Municipal Board has not granted any permission in violation of laws. Board only allows permission to carry out repairs and that too after permission is granted by the Monitoring Committee/its authorized officer after perusal of necessary documents with strict conditions and if any construction has been made in violation of laws same would be demolished by the Board.

4. It is pertinent to mention here that on 25-06-2009, Notification was issued by the Government of India declaring Mount Abu and the surrounding region as an eco-sensitive zone. In compliance of the Notification a Monitoring Committee was constituted by the Government

to monitor the compliance of the provisions of the Notification. Copy of Notification dated 25-06-2009 is filed herewith as **Annexure R-1.**

5. In compliance of the Notification following actions have been taken by the authorities to insure strict compliance of the Notification. Copy of Compliances is filed herewith as **Annexure R-2.**

   I. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone: Zonal Master Plan was Notified on 31st October, 2015 in the area and accordingly enforced.

   II. Industrial Units: There was no industrial unit in operation before the Notification came in force and after Notification no industrial setup was allowed and at presents neither there is industrial unit in operation nor there is any proposal for any industrial unit set up.

   III. Quarrying & Mining: After coming of the Notification, no mining activity is permissible till date and same has been made strictly prohibited. Forest Department during this period seized 13 trolleys of stone and penalty has been imposed upon the offenders.

   IV. Trees: In compliance of the Notification, several activities for plantation have been done by the

Authorities. In 2013 around 2 lakhs plants were planted and in the year 2020, a total of 42,000 plants have been planted which includes Medicinal Plants as well as flowers and fruits yielding plants.

V. Restriction for use of wood as a fuel: After coming of the Notification, there is a strict prohibition for use of wood as a fuel in the entire Municipal Area Abu Parwat and Forest. Around, 881 LPG connections were given to the families and at present in all 6750 residential LPG connections and 6996 commercial connections in entire region.

VI. Restriction on encroachments: Sub Divisional Authority with Police Department are initiating steps to restrict encroachments and demolition drive in continuously in operation for removal and demolition of illegal constructions and around 577 encroachments have been removed since 25-06-2009 till date. At present Municipal board through a team of its officers, is conducting survey in respect of illegal constructions/encroachments in the area. Daily report on new encroachments/ illegal constructions is taken through field staff. Copy of list of illegal encroachments removed since 25-06-2009 is filed herewith as **Annexure R-3.**

VII. Tourism: Tourism Department have framed separate master Plan for ensuring tourism activities in the region, the same is monitored by the Monitoring Committee.

VIII. Natural Heritage: Natural Heritage such as Nakki Lake, Toad Rock, Rock formations, waterfalls, pools, springs groves, caves points etc. in the Eco-sensitive zone are protected by the Committee with the help of public organizations and no encroachment is permissible near any heritage. Rope way project has been cancelled by the competent authority just in order to conserve the natural heritage. The Municipal Board Mount Abu has carried out fencing work also till natural waterfall area as a result the area is now fully covered and protected.

IX. Man Made Heritage: Man-made Heritage such as Dilwara Jain temple, Achalgarh Fort, etc. Heritages are protected by the Authorities with the help of Public Organizations and no encroachment is permissible within the Manmade Heritage.

X. Water: In terms of by-laws prepared pursuant to Notification dated 25-06-2009, a minimum distance of 50 meters is required to be maintained from Natural water bodies, water channels, nallahs etc.

Boring is strictly monitored by the Department and no illegality is permissible and for commercial use boring is not permissible without sanction of state ground water department. Natural Water bodies are protected to ensure more water capacity by raining.

XI. Use of Plastics : In compliance of the Notification 25-06-2009, use of Plastic is totally prohibited in the area and to encourage the same the Municipal Board have supplied Cloth and Jutes bags and other public activities were organized to encourage programme and penalty has been imposed for use of Plastic. According to Rajasthan government's local self government department guidelines vide letter 96913-96925 dated 06.11.2019, seized plastic material is sent to J.K. Laxmi cement factory in Sirohi for disposal.

XII. Noise Pollution: Noise pollution is also not permissible in the Eco-sensitive zone and use of loud speakers, mike etc. is prohibited. The department with the help of Police is monitoring the same.

XIII. Development on and protection of hill slopes: No construction and development was made till date on the Hills slopes area after coming of the Notification is order to save the land from its natural beauty.

XIV. Discharge of sewage and effluents : In compliance of Notification dated 25-06-2009, Sewage Treatment Plant was established by the R.U.I.D.P. in Hetamji region of Abu Parwat and 2 pumping stations will be established soon. R.U.I.D.P. completed around 90% of placing Sewer Line and around 82% Main hole has been made. In all 96 permanent public toilets have been constructed by the Board in different areas of Mount Abu and Board also have sufficient temporary toilets to place in case of need and all toilets were cleaned daily.

XV. Solids Waste: Under Notification dated 25-06-2009 & Solid Waste Management Rules, 2016, efforts have been taken by the Municipal Board which includes various heads for instance door to door collector, source segregation, and public awareness, Litter Bins and Waste Storage Transportation, Public Sweeping etc.

XVI. Natural Springs: Commercial activities are prohibited near the natural waterfalls in order to conserve them and no development activity is permissible in the area.

XVII. Hill Roads: Roads and safety walls on the road have been constructed in accordance with the bye-laws

framed under the Notification and same has been maintained by the Board.

XVIII. Monitoring Committee: For regulating the work, board meetings of Monitoring Committee were usually organized from time to time. In all 18 meetings were held till date. Copies of Minutes of all meetings are collectively filed as **Annexure R-4.**

6. The answering Respondents respectfully submit that they have a huge respect and regard towards the lawful authority of this Hon'ble Tribunal and have no thought to violate or non-comply any of its Order.

7. Answering Respondents craves leave of the Hon'ble Tribunal to furnish any other details if at all directed by the Hon'ble Tribunal.

8. An Affidavit in support is filed herewith.

PRAYER

It is therefore most humbly and respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to allow this application and complete compliance and status filed herewith may kindly be taken on record.

Bhopal

Dated

Respondents 2 to 7

Signed & Sworn Before me
19/9/2019
PREETI DAVE
NOTARY PUBLIC, MOUNT ABU

NOTARY
Preeti Dave
Area-MOUNT ABU
Tehsil Abu Road
Distt Sirohi-(Raj.)
Regn No 1887
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL MP

In the Matter of

OA No. 47 of 2016

Bharat Kumar Jain : Applicant

Versus

Union of India & Others : Respondents

AFFIDAVIT

I, Dr. Gaurav Saini, S/o Dalbir Singh Saini, aged about 27 years, Occupation: Sub Divisional Magistrate, Mount Abu, Holding charge of Commissioner, Municipal Board, and Mount Abu do hereby state on oath as under:

1. I'm the Officer in charge in the aforesaid case and well conversant with the facts of the case.
2. The contents of the attached Reply from Para 1 to end are true to my personal knowledge and belief.

Mount Abu

Dated

Deponent

VERIFICATION

I, Dr. Gaurav Saini, the above named deponent do hereby sign and verify on 18-09-2020 that the contents of Para 1 & 2 aforesaid are true to my personal knowledge and belief.

NOTARY Preeti Dave Area-MOUNT ABU Tehsil Abu Road Distt Sirohi (Raj.) Regd. No. 1687/ GOVT. OF INDIA

Deponent

Signed & Sworn Before me 19/9/2020 PREETI DAVE NOTARY PUBLIC, MOUNT ABU

[

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the June 25, 2009

S.O.1545(E) – WHEREAS, Mount Abu area has significant ecological importance comprising of tropical dry deciduous forests at lower altitude and evergreen forests at higher altitude and the flora and fauna of the region comprise of several endemic and rare species; besides Mount Abu has natural heritage such as Nakki Lake and man-made heritage like Dilwara temples and other heritage buildings and structures;

AND WHEREAS, considerable adverse environment impact has been caused due to degradation of the environment with excessive soil erosion and water and air pollution on account of certain developmental activities, thereby endangering not only the natural resources, but also affecting the health and very survival of living beings;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide Notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. No. 2497 (E), dated the 22nd October, 2008, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 22nd October, 2008;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies Mount Abu and surrounding region enclosed within the boundary described below in the State of Rajasthan as the Mount Abu Eco-sensitive Zone (hereinafter called "the Eco-sensitive Zone").

2. Boundaries of Eco-sensitive Zone

(a) The said Eco-sensitive Zone is situated in the southern area of Rajasthan in Sirohi District between 24° 33` 42`` and 24° 39` 00`` North latitude and between 72° 41` 36`` and 72° 48` 06`` East longitude and the configuration of land is hilly and rugged with high altitudinal variation ranging from 300 meter to 1727 meter. Gurushikar, the highest peak of the Aravali, is the highest peak between the Himalayas and the Nilgiris. The boundaries of the said Eco-sensitive Zone comprise:

North – Southern Boundary of Abu Forest Block No. 3
South – Northern Boundary of Abu Forest Block No. 1.
East – Western and Southern Boundary of Abu Forest Block No. 2.
West – Eastern Boundary of Abu Forest Block No. 3.

(b) The Eco-sensitive Zone covers the entire area of Notified Urban Area Limit, including Mount Abu Municipal Limits adjoining Forest Block Areas.

(c) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages in the Eco-sensitive Zone is at Annexure-B.

(d) All activities in the Forest Block Areas (both within and outside Municipal Areas) shall be governed by the provisions of the Rajasthan Forest Act, 1953 and the Forests (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and all the activities in the Protected Areas (Sanctuary) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

3. The following activities are to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-

(1) Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of two years from the date of publication of this notification and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal Department, Revenue Department and Rajasthan State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.

(iii) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies including Nakki Lake, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community, conservation of heritage sites (both natural and cultural) and their surroundings and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iv) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, tribal areas including tribal hamlets, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies, natural heritage sites including points (such as Sunset Point) and man-made heritage sites, steep slopes, drainage channels, first order streams, ground water

recharge areas and areas rich in ground water, spring recharge areas, spring lines and other environmentally and ecologically sensitive areas and no change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and other like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations without the prior approval of the State Government and similarly, no change in use of land from tribal uses to non tribal uses shall be permitted without the prior approval of the State Government.

(v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.

(vi) The area within and outside Mount Abu Municipal Council area shall have separate Sub-zonal Master Plans which may be prepared by the State Government as a component of the Zonal Master Plan which will be submitted for approval to the Ministry of Environment and Forests. The Zonal Master Plan shall also identify and demarcate the maximum expansion area of the village settlements and of Mount Abu Town.

(vii) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, there shall be no increase in the existing parameters of permissible Floor Area Ratio, permissible ground coverage, maximum number of floors and maximum height and all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee and all other development activities including additions, alterations, demolitions, repairs, renovations and restorations of buildings shall require prior approval of the Monitoring Committee provided that these do not involve structural changes and are on the existing authorised plinth areas in the Mount Abu Municipal Limits and there shall be no consequential reduction in Tribal area, Forest area, Green area and Agricultural area.

(viii) The State Government or the Ministry of Environment and Forests shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

(2) Industrial Units:

(i) Only non-polluting, non-hazardous cottage industries like ice cream, hosiery, embroidery on readymade garments, sewing works, ayurvedic drugs, etc. situated in the villages in the Notified area and service industries, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industries producing products from Mount Abu shall be permitted as per the guidelines drawn by the Government of Rajasthan.

(ii) Structures connected with small agro-based industries activities related to the needs of the local village economy and processing or storage of local agro-based products may be allowed subject to the usual "non Agricultural permission requirements and a maximum of $1/8^{th}$ of the plot areas being built up".

(3) Quarrying and Mining:

(i) The Quarrying and Mining activities shall be restricted in the Eco-sensitive Zone.
(ii) The Monitoring Committee shall have the authority to grant special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road making and maintenance work in Mount Abu, based on site evaluation.
(iii) No quarrying shall be permitted on steep hill slopes with a gradient of 20 degrees or more or areas with a high degree of erosion, or on forestland.

(4) Trees: There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the Eco- sensitive Zone without the prior permission of the State Government in case of forest land and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land as per the procedure which shall be laid down by the State Government:

Provided that the District Collector shall not delegate this power to any subordinate officer below the rank of Sub-Divisional Officer.

Provided further that no building permission shall be granted on a plot where trees have been felled or otherwise destroyed without obtaining the requisite prior permission.

(5) Restriction for use of fuel wood: To restrict the commercial establishments from using fuel wood for cooking and bonfire, only Liquefied Petroleum Gas (LPG) shall be used and arrangements shall be ensured to provide Liquefied Petroleum Gas (LPG) or natural gas to meet such fuel requirements of commercial establishments including hotels. An action plan shall be prepared for phasing out use of fuel wood even in non-commercial establishments.

(6) Restriction on encroachment: All the existing encroachments within the Eco-sensitive Zone including the forest area shall be identified and necessary action shall be taken against such encroachments in a time bound manner subject to the provisions of the State Grant Act, 1961 and other existing State Laws.

(7) Tourism:

(i) The tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan to be prepared by the Department of Tourism of the Rajasthan State Government.
(ii) The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan and shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-Sensitive Zone, which may be carried out by the State Government.
(iii) All new tourism activities, development for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this Tourism Master Plan.
(iv) The Carrying Capacity Study shall be carried out based on the existing infrastructure and shall not be based on future projections of any project that requires environmental or forest clearance.
(v) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities may be permitted by the Monitoring Committee only after a detailed analysis is carried out by the Monitoring Committee and shall be subject to the guidelines laid down by the State Government and the Central Government in this regard.

(8) Natural Heritage: Mount Abu has natural sites such as Nakki Lake, Toad rock, rock formations, waterfalls, pools, springs, gorges, groves, caves, points, walks, etc., and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plan and strict guidelines shall be drawn up by the State Government to discourage construction activities at or near these sites including under the garb of providing tourist facilities and all the general pool reserve areas in the Zone shall be reserved.

(9) Man-made Heritage: Mount Abu is famous for several temples, the most prominent being Dilwara Temples and the main heritage and historical buildings are Achalgarh Fort, Dilwara Jain Temples, Rishav Deo Temple, Neminath Temple, Adinath Temple, Parshwanath Temple, Mahaveer Temple, etc., and later heritage buildings, structures and precincts. The plans for their conservation shall be prepared and incorporated in the Zonal and Sub-Zonal Master Plan and the development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated under the statutory provisions of the Rajasthan Monuments, Archaeological Sites and Antiquities Act and in accordance with the Draft Model Regulations for Conservation of Natural and Manmade Heritage Sites formulated by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests in 1995.

(10) Water:

(i) All future and existing buildings, where possible, in the Municipal Area shall provide roof-top rain water harvesting structures commensurate with their plinth area and the Institutional and commercial buildings shall not draw water from existing water supply schemes in a manner that adversely affects water supply especially to local villages or settlements.

(ii) In Non-Municipal Areas rain water harvesting shall be undertaken through such structures as percolation tanks and storage tanks and only other means. Ground water aquifer recharge structures shall be constructed wherever such structures do not lead to slope instabilities.

(iii) The rain water collected through storm water drains shall be used to recharge the ground water or to clean the waste disposal drains and sewers.

(iv) The extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot and the extraction of ground water for industrial or commercial or residential estates or complexes shall require prior written permission, including of the amount that can be extracted, from the State Ground Water Department. However, the areas rich in ground water may not be diverted for construction activities.

(v) No sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Department and all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(vi) The area has three big water bodies namely Upper Kodra dam, Lower Kodra dam and Nakki Lake and in addition to this the area has around 25 water places, where water remains through out the year, which include natural nalla, dams, anicuts, seepage and baoris that are spread over entire area and must be protected.

(11) Use of Plastics: No person shall use plastic carry bags within the notified area.

(12) Noise pollution: The Environment Department, Rajasthan shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise and the Monitoring Committee shall ensure adherence to these guidelines.

(13) Development on and protection of hill slopes:

(i) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where development shall not be permitted.

(ii) No development shall be undertaken in areas having a steep slope or areas which fall in fault or hazard zones or areas falling on the spring lines and first order streams or slopes with a high degree of erosion as identified by the State Government on the basis of available scientific evidence.

(iii) No development on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(14) Discharge of sewage and effluents: No untreated sewage or effluent shall be permitted to be discharged into any water body or forests within the Eco-sensitive Zone and the local authority shall provide proper drainage and treatment system for collection, treatment and disposal of untreated / and treated effluent in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Moreover, the treated sewage and treated effluent shall be disposed only at or into a point(s) identified and approved by the local authorities and the Monitoring Committee.

(15) Solid Wastes:

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferable through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at the site identified outside the Eco-sensitive Zone. No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.

Explanation:- In this notification, "solid wastes" shall include domestic, industrial commercial and garden wastes.

(16) Natural Springs: The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(17) Hill Roads: Guidelines shall be framed for the construction and maintenance of hill roads and incorporated in the Zonal Master Plan:

(i) for construction of any road including untarred in the Eco-sensitive Zone of more than 5 km length (including the extension or widening of existing roads);

(ii) provision shall be made in the design of the road for treatment of hill slope instabilities resulting from road cutting cross drainage works and culverts using bio-

engineering and other appropriate techniques and by including the cost of such measures in the cost estimate of the proposed road;

(iii) the debris shall not be dumped down the khud or slopes but shall be subsumed in the construction of roads and the provision shall also be made for disposal of unused debris in appropriate manner at suitable and identified locations so as not to affect the ecology of the area adversely and the debris shall be treated and landscaped using bio-engineering and other appropriate techniques and the cost of such measures shall be included in the cost estimate of the proposed road;

(iv) whenever hot mix plants are used they shall be se up at least 2 kilometer away from the settlements and a minimum area of 200 square meter surrounding the site shall be devoid of vegetation;

(v) all roads shall be provided with adequate number of road side drains and these drains shall be kept free form blockage for runoff disposals. This run off from the road side drainage shall be connected with the natural drainage system in the area;

(vi) alignment shall be selected so as to minimise loss of vegetal cover;

(vii) appropriate design standards shall be followed while designing the roads including mass balancing of cut and fill and avoidance of unnecessary cutting;

4. Monitoring Committee:

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government shall constitute a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:

(1) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
(2) senior Town Planner of the Area;
(3) one expert, on the Eco-sensitive Zones nominated by Government of India;
(4) two local residents / people knowledgeable about the region to be nominated by the Government of India.
(5) two representatives of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
(6) Assistant Director (Tourism), Mount Abu;
(7) Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali;
(8) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Mount Abu;
(9) the District Collector, Sirohi as the Member Secretary.

(3) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority, which shall be the Competent Authority for grant of such clearances.

(4) The Monitoring Committee may also invite the representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirement of the issues.

(5) The Chairman or Member Secretary of the Monitoring Committee or any officer authorised by the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for non-compliance of the provisions of this notification.

5. The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests.
6. The Central Government in the Ministry of Environment and Forests Ministry shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the function of the Monitoring Committee.

ANNEXURE – A
[See paragraph 2(c)]

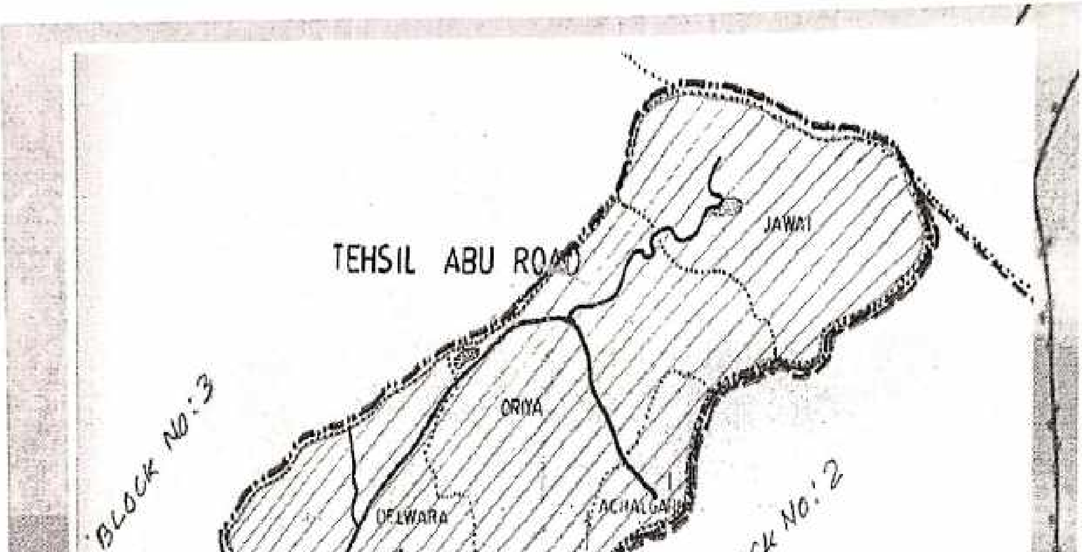

ANNEXURE – B
[See paragraph 2(c)]

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO SENSITIVE ZONE

Serial Number	Name of village
1.	Sanigaon
2.	Machgaon
3.	Goagaon
4.	Delwara
5.	Oriya
6.	Jawal
7.	Achalgarh
8.	Salgaon
9.	Torna
10.	Dudhai
11.	Hetamji
12.	Arna

[F.No. 20-1/2005-IA-III]

(Dr. G. V. Subrahmanyam)
Scientist 'G'

SAY NO TO PLASTIC

E mail:-palikaabu@yahoo.in
फोन न. 02974–235172

कार्यालय नगरपालिकामण्डल, आबूपर्वत, सिरोही (राज0)

क्रमांक / न.पा.आबू / NGT / 2020 / 275 दिनांकः–18.09.2020

श्रीमान् शोयब हुसैन खान
शासकीय अधिवक्ता,
नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, (भोपाल बैच)

केस संख्यॉ 47 / 2016

भरत जैन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डियॉ एवं अन्य

The following activities regulated in Eco-sensitive Zone

(1)Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone: जोनल मास्टर प्लान का निर्माण राज्य सरकार से संबंधित है। नगरपालिका आबूपर्वत ESZ का मास्टर प्लान 31 अक्टुबर 2015 को अधिसूचित किया जाकर लागू किया गया है।

(2) Industrial Units: नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र में ESZ नोटिफिकेशन जारी होने के पूर्व भी कोई ओद्योगिक इकाई संचालित नहीं थी एवं दिनांक 26-06-2009 के बाद किसी भी प्रकार की ओद्योगिक इकाई स्थापित नही हुई है एवं न ही कोई प्रस्तावित है।

(3) Quarrying and Mining: नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र में ESZ नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से किसी भी प्रकार की उत्खनन व खुदाई प्रतिबंधित की गई है व इसका कडाई से पालन किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा इस अवधि में अब तक 13 ट्रॉली पत्थर जिसमें शास्ति के रूप में रूपये 1,75,100 व 6 ट्रॉली बजरी जिसमें शास्ति के रूप में रूपये 1,03,100 वसूल किए गए।खनन विभाग द्वारा अवैध खनन के 6 प्रकरण जिसमें रूपये 8,17,817 अवैध परिचालन के 5 प्रकरण जिसमें रूपये 2,63,975 व अवैध स्टॉक का 1 प्रकरण जिसमें रूपये 24200 कुल रूपये11,05,992 शास्ति वसूल की गई।

(4)Trees: नगरपालिका आबूपर्वत व वन क्षेत्र में समय -समय पर सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से विभिन्न एजेंसियो के साथ मिल कर 2013 में वन क्षेत्र में लगभग 2 लाख बीज रोपित किए गए साथ ही फॉलोअप कार्य भी संपादित किया। 2019 में पालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में लगभग 3000 पौध लगाई गई जिनकी नियमित रूप से देखभाल पालिका द्वारा की जा रही है। हेरिटेज पोलो ग्राउण्ड के चारो ओर वृक्षारोपण कर पाथ का निर्माण किया गया। प्राकृतिक नक्की लेक के चारो ओर राम जानकी पार्क,नेशनल पार्क आदि में सघन वृक्षारोपण किया गया। वर्ष प्रारम्भ से अब तक 42000 पोधारोपण किया गया। इसमें औषधिक ,फल व फूल आदि के वृक्ष सम्मिलित है।

(5) Restrication for use of fuel wood: नगरपालिका आबूपर्वत व वन क्षेत्र में ESZ नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ईंधन के रूप में लकडी का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। ईंधन के रूप में लकडी के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए लोगो में जागरूकता पैदा की गई है। वर्तमान में **881**परिवारों को **उज्जवला योजना** के तहत **LPG** गैस कनेक्शन प्रदान किए गए है। होटल इत्यादि में ईंधन के रूप में लकडी का प्रयोग न हो इसके लिए नियमित रूप से उनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में आबूपर्वत शहरी क्षेत्र में कुल 6750 घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोग के 6996 LPG कनेक्शन है।

(6) Restrication on encroachment: ESZ क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने हेतु उपखण्ड प्रशासन एवं पुलिस विभाग के साथ मिल कर रोकथाम की जा रही है। अतिक्रमियों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है जिससे विगत वर्षो में अतिक्रमण के प्रकारणों में निरन्तर कमी आ रही है।

(7)Tourism: ESZ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पृथक से मास्टर प्लान बनाया गया है व विभाग द्वारा उसी के अनुरूप पर्यटन गतिविधियां संचालित कीं जा रही है। जिसकी मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(8)Natural Heritage: ESZ क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक विरासत जैसे नक्की लेक ,टॉड रॉक , गुफाए , झरने , तालाब,नाले,पेड इत्यादि का संरक्षण किया जा रहा है। नक्की लेक की सफाई हेतु प्रतिवर्ष स्वयं सेवी व सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया जाता है। उसमें पडे कचरे जलकुम्भियां इत्यादि निरन्तर हटा दी जाती है। नक्की लेक के नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखने हेतु इसके परिक्रमण पथ को वाहनों हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेक के क्षेत्र के आस पास किसी भी प्रकार के निर्माण की ईजाजत नहीं है । नक्की लेक क्षेत्र में प्रस्तावित रोप वे प्रोजेक्ट को भी उपखण्ड प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया है। इसी तरह अन्य विरासतों का भी संरक्षण किया जा रहा है।

(9)Man-made Heritage: ESZ क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित विरासत व भवन जैसे देलवाडा जैन मंदिर परिसर ,अचलगढ किला इत्यादि स्थानो का संरक्षण किया जा रहा है ।

(10)Water: ESZ क्षेत्र में जल सरंक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे है। बडे भवनो में वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम बनाने हेतु लोगो को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भूमिगत जल दोहन की गतिविधियों की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है। अवैध तरीके से किए जा रहे जल दोहन को रोका जा रहा है। बिना सक्षम अनुमति से जल के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। घरेलू उपयोग हेतु बोरिंग की अनुमति नही दी जा रही है। जल के प्राकृतिक रूप से प्रवाह हेतु उनके मार्गो से कचरा आदि का हटाया जाता है। क्षेत्र के तीन बडी वॉटर बोडी,नक्की लेक,लोअर- कोदरा डेम व अपर-कोदरा डेम एवं उनके आस-पास के अन्य स्थानों का संरक्षण किया जा रहा है। इनमें वर्ष भर पानी बना रहे व नियमित रूप से वर्षा का जल एकत्र होता रहे ऐसे प्रयास व कार्य निरन्तर किए जा रहे है।

1:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं हाई कोर्ट, जोधपुर के प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार एवं श्रीमान् की अनुपालनार्थ नगरपालिका क्षेत्र के समस्त में वार्डो में स्थित नालो का सर्वे करवाया जिसमें पाया गया की उनकी संख्यॉ कुल संख्यॉ करिब 35 छोटे-बडे नाले पाये गये जिसमें कार्यालय आदेशानुसार कमांक/आबू/कोविड-19/2020/163 दिनांकः-18.06.2020 अनुसार वर्षा ऋतु सम्भावित बाढ/चक्रवात/ अत्याधिक वर्षा/ अतिवृष्टि की स्थिती के दौरान एजेण्डा तैयार कर सभी 35 नालो की सफाई कर प्राकृतिक-पर्यावरण, आबूपर्वत की सुन्दरता में एक अतुल्य कार्य को सकारात्मक रूप से पूर्ण किया गया।

2:- माह जुलाई -2020 में आबूपर्वत क्षेत्र के सभी वार्डो के कुल 21 बन्द कुओं की सफाई करवाकर जल चैनलो,को खोलने का नगरपालिका-मण्डल, आबूपर्वत द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। जिससे वार्ड के वासिन्दो के द्वारा प्राकृतिक एवं विपरित परिस्थितियों में कुओं का जल शोधन करने से जल स्त्रौत खुलेगे एवं वासियो एवं पशु-पक्षियों को भी परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा,जिससे प्राकृतिक- पर्यावरण को आने वाले समय में अत्यन्त लाभ प्राप्त होगा।

(11) Use of Plastics: नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र में ESZ नोटिफिकेशन के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2019 से प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। लोगो को प्रोत्साहित करने हेतु पालिका से स्वयं एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिल कर कपडे व जूट के थैले वितरित किए। आम लोगो के साथ पर्यटकों को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार हेतु रैलियां निकाली गई होर्डिंग लगाए गए है। रोक के बावजूद भी उपयोग करने वालो पर शास्तियां लगाई गई जिससे अब तक लगभग कुल **1237** किलो प्लास्टिक जब्त कर रूपये **1,44,250/** राशि वसूल की गई है।

(12)Noise pollution: नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर,माइक आदि बजाने की इजाजत नहीं है। होटल इत्यादि स्थानों पर ध्वनी प्रदुषण न हो इस हेतु उन्हे पाबंद किया गया है व पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसकी पालना करवाई जा रही है।

(13)Development on and protection of hill slopes: ESZ नोटिफिकेशन के बाद से क्षेत्र में ढाल वाली भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं किया गया है। भूमि का कटाव न हो उसके संरक्षण के प्रयास व कार्य किए जा रहे है।

(14)Discharge of sewage and effluents: ईकोसेन्सीटिव जोन के नगरपालिका क्षेत्र में मल एवं वहीस्त्रावों के निस्तारण हेतु आर.यू.आई.डी.पी .द्वारा सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट आबूपर्वत के हेटमजी क्षेत्र में स्थापित किए जा चुका है व 2 पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे है। आर.यू.आई.डी.पी .द्वारा अब तक 89.96 प्रतिशत सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 82.34 प्रतिशत मेनहोल बन चुके है। 3 चल शौचालय पालिका के पास उपलब्ध है उन्हे सार्वजनिक या अन्य समारोह में लगाया जाता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 96 स्थायी शौचालयों का निर्माण किया गया है। इन शौचालयों की प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई कार्य किया जा रहा है।

(15)Solids Waste: ESZ नोटिफिकेशन एवं सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र में गीला एवं सूखा कचरा घर-घर से संग्रहण का कार्य संवेदक के माध्यम से करवाया जा रहा है, गीले एवं सूखे कचरे को घरों में एकत्र करने हेतु सभी परिवारों को डस्टबीन वितरित किए गए है। जिसकी निगरानी एवं मॉनीटरिंग प्रशासन एवं पालिका द्वारा विभिन्न स्तरो पर की जा रही है। पालिका क्षेत्र से एकत्र किया हुआ ठोस एवं अवशिष्ट कचरे को ESZक्षेत्र से बाहर डम्पिंग यार्ड में डलवाया जा रहा है।

(16)Natural Springs:

ESZ क्षेत्र में आने वाले सभी प्राकृतिक झरनों को संरक्षित किया गया है। इनके बहाव क्षेत्र के आस पास के क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है व किसी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

(17)Hill Roads: ESZ क्षेत्र में सडकों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पहाडी क्षेत्रों के मानकों अनुसार किया जा रहा है। जिनका नियमित रखरखाव किया जा रहा है। पालिका क्षेत्र की सडकों में सुरक्षा दीवार निर्मित की गई है।

(18)Monitoring Committee: भारत-सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिनांकः25-06-2009 की अधिसूचना के अन्तर्गत माउण्ट-आबू ईकोसेन्सीटिव जोन की निगरांनी हेतु मॉनेटरिंग कमेटी का गठन किया गया था। वर्तमान कमेटी में अध्यक्ष संभागीय आयुक्त,जोधपुर है व सचिव जिला कलक्टर सिरोही है।दिनांकः- 16-02-2010 से लेकर आज दिनांक तक कुल 18 बैठक आयोजित हो चुकी है। मॉनेटरिंग कमेटी द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमण की रोकथाम,भवन रिनोवेशन स्वीकृतियाँ,रिपेयरिंग स्वीकृतियाँ, जारी की गई।

बैठकों एवं दिनांक एवं समस्त विवरण संलग्न है

(संलग्न कुलः- 103 पृष्ठ)

(19 Building Bylose :- भारत-सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिनांकः25-06-2009 की अधिसूचना में दिये गये निर्देशो की पालना में बिल्डिगं बॉयलॉज तैयार करने हेतु संयुक्त शासन सचिव प्रथम के पत्र दिनांकः- 17.05.2016 को एक समिति का गठन किया गया। जिसमें माउण्ट-आबू ईकोसेन्सीटिव जोन के भवन, विनियम तैयार कर मुख्य नगर नियोजक राजस्थान के माध्यम से राज्य-सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके तहत माउण्ट-आबू ईकोसेन्सीटिव जोन के बिल्डिगं बॉयलॉज 2019 दिनांकः-09.03.2019 को प्रभावी कर लागू किये गये। आदेश दिनांकः-17.05.2016 एवंम अधिसूचना दिनांकः-19.03.2019 के तहत।

(संलग्न कुलः- 20 पृष्ठ)

01:- अवैध-निर्माण एवं अतिक्रमण सूचिः- कम संख्याँ 01 से 577

(संलग्न कुलः- 30 पृष्ठ)

02:- मॉनिटरिंग कमेटी की फाइल बैठक 1 से 18 तक समस्त कार्यवाही की पत्रावलीः- कम संख्याँ 01 से 103

(संलग्न कुलः- 103 पृष्ठ)

दिनांकः- 18.09.2019

आयुक्त

नगरपालिका-मण्डल, आबूपर्वत

Annexure - R-3

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत (सिरोही)

25 जून 2009 के बाद जिन अवैध निर्माणों को हटाया गया उसकी सूची

क.सं.	अवैधनिर्माणकर्ता नाम व पता	पालिका द्वारा की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	हरिश/चम्पालाल बाजार	ध्वस्त 23.07.09	
2	प्रदीप खरडीया हेटमजी	ध्वस्त	
3	हिम्मतसिंह/मूलसिंह एसटीसी रोड देलवाड़ा	ध्वस्त 03.07.09	आंशिक
4	मनीष/मदनलाल बाजार		
5	रेखाबेन गोवागांव	ध्वस्त 27.04.09	
6	शान्तिभाई पटेल रोज कोटेज	ध्वस्त 03.7.0	
7	रामसिंह/गुरूसिंह देलवाड़ा	ध्वस्त 14.07.09	आंशिक ध्वस्त
8	हेमराज/मानाजी देलवाड़ा	ध्वस्त	
9	कन्हैयालाल/रामाजी उनियारा हाउस	ध्वस्त ध्वस्त 03.07.09	
10	मोतीसिंह/राजेन्द्रसिंह देलवाड़ा		
11	दिनेश लालचन्द बाजार	ध्वस्त 03.07.09	
12	राजेश अग्रवाल देलवाड़ा	ध्वस्त 29.03.09	
13	हिम्मतसिंह राजपुरोहित देलवाड़ा	ध्वस्त 27.04.09 प्रथम मंजिल निर्माण ध्वस्त 27.04.09	कोर्ट में वाद पेश किया
14	प्राचार्य रोटरी स्कुल गोरा छपरा	ध्वस्त	
15	दिलीप दोषी मांचगांव	ध्वस्त 24.07.09	कृषि भूमि
16	पंचम कनोजिया मांचगांव	ध्वस्त 27.03.09	
17	भंवरसिंह मोहनपुरा	ध्वस्त 22.06.09	
18	सुरेश कलवानी	ध्वस्त 26.03.09	
19	ईश्वरलाल बद्रीलाल बाजार	ध्वस्त 28.03.09	
20	प्रकाश गजान्नद मांचगांव	ध्वस्त 23.07.09	कृषि भूमि
21	राम किशोर खुटेटा पीपल हाउस	ध्वस्त 17.04.09	
22	व्यवस्थापक होटल मीरा	ध्वस्त 18.04.09	
23	गुलजार खांन मांचगांव	ध्वस्त 12.07.09	
24	एनके अग्रवाल मांचगांव	ध्वस्त 15.06.09	आंशिक ध्वस्त
25	सुरेश गुप्ता देलवाड़ा	ध्वस्त 21.04.09	
26	अवतार सिंह कंडार न्यू देलवाड़ा	ध्वस्त 21.04.09	
27	दिलीप सिंह/सोमसिंह मांचगांव	ध्वस्त 24.07.09	कृषि भूमि
28	चिमनसिंह/रणछोड़ जी तोरणा	ध्वस्त	3 कमरे
29	आयदान देवी कोटेज आबू	ध्वस्त 16.06.09	
30	अशोक/वासुदेव शिवाजी मार्ग	ध्वस्त 13.07.09	
31	धर्मीलाल जैन शिवाजी मार्ग	ध्वस्त 04.05.09	
32	हजारीसिंह/ अजीतसिंह मांचगांव	ध्वस्त	कृषि भूमि
33	मदनलाल/पूनमचन्द मांचगांव	ध्वस्त	कृषि भूमि
34	विशाल/भीमरात	ध्वस्त 13.07.09	
35	सुरेन्द्र देवीभवन आबूपर्वत	ध्वस्त 12.06.09	
36	जगदीश पुत्र हरीभाई पटेल मांचगांव	ध्वस्त 13.07.09	
37	अशोक बी.के. उनियारा हाउस	ध्वस्त 06.07.09	3 कमरे
38	नरेश गोपाल व अन्य	ध्वस्त	शौचालय स्नानघर
39	होतीलाल न्यूदेलवाड़ा	ध्वस्त 09.07.09	
40	दिलीप मिश्रा न्यू देलवाड़ा	ध्वस्त 09.07.09	
41	राजेन्द्रसिंह/चिमनसिंह देलवाड़ा	ध्वस्त 16.07.09	
42	नारायणसिंह गोरा छपरा	ध्वस्त 09.07.09	

43	लक्ष्मण प्रजापत देलवाड़ा	ध्वस्त 24.04.09	
44	राजेन्द्र मुनी कुम्हारवाड़ा	ध्वस्त 05.05.09	
45	भैरूसिंह मास्टर सनसेट रोड	ध्वस्त 17.07.09	
46	महेन्द्रसिंह उगम भीलवास दुंढाई	ध्वस्त	
47	प्रकाश घारू दुंढाई	ध्वस्त	
48	मोतीलाल शर्मा, दुंढाई	ध्वस्त 30.07.09	
49	व्यवस्थापक होटल कपिल	ध्वस्त 11.08.09	
50	होटल नीलकण्ठ	नोटिस सं. 2698 दि0 22.09.09	द्वितीय मंजिल स्वयं द्वारा ध्वस्त कर रहा है।
51	शान्ति सदन ट्रस्ट	ध्वस्त 25.09.09	
52	रामलाल सोनी	ध्वस्त 25.09.09	
53	नीलकण्ठ मन्दिर दुंढाई	स्वयं द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है।	
54	चेतन प्रसाद न्यू देलवाड़ा	प्रथम मंजिल ध्वस्त 30.06.09	तल मंजिल में तकनीकी रिपोर्ट शेष
55	प्रफूला जाशी / हरसुखराम जोशी, नया देलवाड़ा, आबूपर्वत	नोटिस सं. 2885 दि. 7.10.09	कमरों में फर्श कार्य ध्वस्त 5.11.09
56	रेखा, कुंवारी कन्या रोड	नोटिस सं. 2892 दि. 7.10.09	लैट्रिन बाथरूम में टाईल्स, ध्वस्त 5.11.09
57	पूरणमल जैन, जनता कोलोनी, आबूपर्वत	ध्वस्त 5.11.09	नींव खोदकर अवैध कार्य करना
58	रफीक मो0 / नूर मोहम्मद,	ध्वस्त 5.11.09	किचन में फर्श डालना
59	नारायणलाल / तलका जी मांच गांव	नोटिस सं. 2889 दि. 7.10.09	ध्वस्त 6.11.09
60	राजूभाई होटल गोल्डन मीना, पुराना आडा लकड़ा	नोटिस सं. 3027 दि. 12.10.09	पानी की टंकी बनाने बाबत, ध्वस्त 6.11.09
61	चिमनसिंह, देलवाड़ा	ध्वस्त 11.10.09	अवैध नींव भरना
62	अज्ञात, गोल्डन हील बंगलोज दुंढाई	नोटिस सं. 3046–47 दि. 13.10.09	अवैध नींव भरना ध्वस्त 6.11.09
63	अज्ञात, गोल्डन हील बंगलोज दुंढाई	नोटिस सं. 3044–45 दि. 13.10.09	सिढीयों का निर्माण, ध्वस्त दि0 9.11.09
64	प्रकाश घारू, भीलवारा	नोटिस सं. 3084 दि. 13.10.09	खिड़कीयों आदि का कार्य ध्वस्त 9.11.09
65	गोविन्द, राब्जीवाला, कुम्हारवाड़ा	नोटिस सं. 3083 दि. 13.10.09	लैट्रिन बाथरूम के टाईल्स कार्य, ध्वस्त 9.11.09
66	राजूसिंह / दौलाजी, गोवा गांव	ध्वस्त 28.10.09	लीण्टल लेवल तक कमरा
67	देवगिरी बी गोस्वामी, न्यु देलवाड़ा	ध्वस्त 28.10.09	प्रथम मंजिल हेतु 4' उंची दिवारें बनाना
68	व्यवस्थापक, होटल कपिल, शिवाजी मार्ग	पतरे हटाये कार्य बन्द करवाया दि0 29.10.09	द्वितीय मंजिल पर पतरे लगाना
69	डा0 विमला थडानी, शिवाजी मार्ग	सीवर के अलावा कोई कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया, ध्वस्त 13.10.09	छत पर टीन शेड लगाने व सीवर कार्य, नोटिस निरस्त
70	अटलगिरी, पातालेश्वर महादेव	नोटिस सं. 3507 दि. 3.11.09	नाला ढकना आरसीसी द्वारा, ध्वस्त 10.11.09
71	श्री सिद्धराज सिंह, सन सेट रोड	ध्वस्त 4.11.09	प्रथम मंजिल पर लीण्टल लेवल तक बनाना
72	विश्वनाथ गिरी, नक्की वादर	ध्वस्त 10.11.09	एक हाल का निर्माण चबूतरा
73	व्यवस्थापक न्यू ममता, होटल	ध्वस्त 12.11.09	प्रथम मंजिल पर दो कमरों का निर्माण

74	जगदीश भाई चौधरी पुत्र सरदार सिंह, ग्राम हेटमजी	नोटिस जारी,	एक कमरा व शौचालय स्नानाघर ध्वस्त 10.11.09
75	छोतीलाल अग्रवाल सानी गांव	ध्वस्त 30.12.09	नींव की भराई
76	विजय गेस्ट हाउस, छोगाजी सोनी, सानी गांव	ध्वस्त 2.1.2010	आरसीसी कंकरीट, आरसीसी शटरिंग चदर को हटाया गया
77	शान्ता बेन / पुरूषोत्तम, ग्राम झुंझाई	नोटिस 1985 दिनांक 18.1.2010	दिवार निर्माण, ध्वस्त 8.1.2010
78	लीलापुरी पुत्री शम्भू पुरी, देलवाडा	नोटिस 1926 दिनांक 18.01. 2010	लैटरीन बाथरूम ध्वस्त 18.1.2010
79	श्याम सुन्दर बसेल, देलवाडा	नोटिस 1930 दि0 18.1.2010	बाउण्ड्री वाल, ध्वस्त 18.1.2010
80	रमेश राणा, देलवाडा	नोटिस 1929 दि0 18.1.2010	लैटरीन बाथरूम ध्वस्त 18.1.2010
81	सरदार सिंह, देलवाडा	नोटिस 1927 दि0 18.1.2010	दिवार निर्माण, ध्वस्त 18.1.2010
82	छगन राणा, भीलवाडा	ध्वस्त 27.1.2010	एक कमरे की नींव भरी, मौके पर ध्वस्त
83	नील बहादुर, गोरा छपरा, तुगणा	ध्वस्त 27.1.2010	लेट्रिन बाथरूम तथा बाउण्ड्री वाल का निर्माण, मौके पर ध्वस्त
84	रवि भाई चुन्नीलाल, गोरा छपरा, तोरणा रोड पर	ध्वस्त 27.1.2010	लेट्रिन निर्माण हेतु नींव, मौके पर ध्वस्त
85	चुन्नीलाल / नवाजी, कुम्हारवाडा	ध्वस्त 27.1.2010	परिसर में कमरे का निर्माण, मौके पर ध्वस्त
86	दौलत लालवानी, माया इन्टरनेशनल	ध्वस्त 28.1.2010	बरामदे की जाली हटाकर 6'X 7' के दो दीवार, मौके पर ध्वस्त
87	धर्मीलाल जैन, छोट गणेश, राजेन्द्र मार्ग	ध्वस्त 28.1.2010	दिवारों के उपर 6'X 10' मत्र दिवार निर्माण, मौके पर ध्वस्त
88	भरत भाई, विनायक होटल के पीछे	ध्वस्त 28.1.2010	कमरे की नींव रहा था, मौके पर ध्वस्त कर नींव बन्द की
89	विरू जयुसिंह, राजेन्द्र मार्ग	ध्वस्त 28.1.2010	परिसर में नींव भरकर 10'X 10' की ईटों की दीवार
90	बाबूभाई कचराजी, मांच गांव	ध्वस्त 29.1.2010	2 कमरों के निर्माण हेतु 6' फुट उंची दिवार, मौके पर दीवार ध्वस्त की गयी
91	रामेश्वर पंडीत मोहनलाल पंडीत जनता कोलोनी	ध्वस्त 29.1.2010	प्रथम मंजिल पर दो कमरों का निर्माण हेतु 4' उंची दीवार निर्माण,
92	पप्पन भाई देउमल सिंधी, स्वामीनारायण मन्दिर के पास, तोरणा	ध्वस्त 29.1.2010	2 कमरे व बरामदे के लिये 1' फुट उंची नींव भरी
93	मानसिंह, तोरणा	ध्वस्त 30.1.2010	कच्ची पत्थरों की दीवार
94	चुन्नीलाल, कुम्हारवाडा	ध्वस्त 30.1.2010	पूर्व में निर्मित कमरे 10'X 15' पुनः बनाये,
95	श्रीपद ललित बोहरा,महाराणा प्रताप के पास	ध्वस्त 30.1.2010	6'X 30' की दीवार
96	चेतन पाठक, होटल रवि रंजना, होटल महाराणा प्रताप	ध्वस्त 30.1.2010	पूर्व में निर्मित 3 कमरों की फनीशिंग कार्य
97	लक्ष्मण बैरवा, पूर्व पार्षद, अक्षय कोलोनी	ध्वस्त 30.1.2010	मकान परिसर के आगे 12'X 30' बरामदे का निर्माण
98	पार्थिक पटेल, बलवंत भाई घरमाजी, पैराडाईज होटल	ध्वस्त 31.1.2010	टिनशेड के नीचे 3 कमरों का निर्माण
99	स्वरूप सिंह भाटी, चिल्ड्रन पैराडाईज हॉस्टल	खिडकी दिवारें क्षतिग्रस्त की गयी एवं नोटिस सं. 2320 दि. 31.1.2010 जारी	पूर्व में निर्मित कमरों का टिनशेड हटाकर आरसीसी की छत व खिडकी दरवाजे टाईल्स आदि का कार्य
100	[illegible]	ध्वस्त 31.1.2010	कच्चे मकान पर बरसाई को तोड़कर कमरों की नींव भराई

101	होतीलाल नि. देलवाडा	ध्वस्त 31.1.2010	कमरा निर्माण हेतु नींव भरना
102	दिनेश/दरगाराम चौधरी ममीमच्छ गार्डन के समीप	नोटिस क्रमांक 2373 दि. 2.2. 2010 ध्वस्त 31.1.2010	पुश्तैनी मकान पर कमरे का निर्माण
103			
104	जीतु पंचम कन्नौजिया, तोरणा रोड	ध्वस्त 3.2.2010	नाउण्ड्री वाल निर्माण की नींव
105	एम्पलीक इन्टनेशनल, पेईंग गेस्ट हाउस	ध्वस्त 3.2.2010	होटल में खिड़की निर्माण
106	रविभाई/चुन्नीलाल, टुगणा, साल गांव	ध्वस्त 4.2.10	लैट्रीन हेतु टैंक का निर्माण
107	लालचन्द गोपालराम पेन्टर, गोरा छपरा	ध्वस्त 4.2.10	2 कमरों का निर्माण 11'x 12'
108	श्री पप्पन भाई सिंधी, स्वामीनारायण मन्दिर के पास	ध्वस्त 08.02.2010	2 कमरे की नींव भराई
109	श्री बाबूसिंह, देलवाडा आबूपर्वत	ध्वस्त 22.02.2010	नींव भराई
110	श्री अर्जुन सिंह ड्राईवर, पाण्डव भवन के पास	ध्वस्त 22.02.2010	दिवारी पर छत डालने
111	श्री रामनिवास हरिजन, अम्बेडकर कोलोनी	ध्वस्त दिनांक 07.03.2010	ईटों की दीवार 3'x15'
112	श्री रमेश छोगाजी, गोरा छपरा	ध्वस्त	दिवार बनाई जा रही थी
113	श्री गोविन्द चायवाले, चपरासी लाईन	मौके पर शटरिंग हटाई, एवं सामान जब्त किया एन्ट्री नोटिस 2381 दिनांक 22.03. 2010	एक कमरे की छत हेतु आर. सी.सी. शटरिंग कार्य
114	श्री जयन्तिलाल/नथमल, ए.सी.जे.एम. कोर्ट के पीछे	मौके पर शटरिंग हटवाई व सामान जब्त किया	प्रथम मंजिल पर 3 कमरे हेतु आर.सी.सी. की शटरिंग डाली
115	श्री बाबूसिंह दैया, कुम्हारवाडा	दिवार ध्वस्त की गई	रोड पर दिवार व पिल्लर बनाने का कार्य
116	श्री चुन्नीलाल, बस स्टेण्ड, कुम्हारवाडा, आबूपर्वत	——	तोड़ा गया निर्माण पुनः चालू करने पर रूकवाया गया
117	भाणूभाई कनक डाईनिंग, गाली मोहल्ला	एक कमरा ध्वस्त किया दिनांक 27.01.11 को	
118	रंजना पैलेस, मांच गांव	चार कमरों की चुनाई चल रही थी नींव सहित ध्वस्त किया दि0 27.01.11	
119	रीटा गार्डन, गुजरात सर्किट हाउस के सामने	पूर्व में तोडे गये स्थान पर पुनः निर्माण प्रारम्भ किया जिसको तोडा गया 7 तगारी, फावडा 2, गैती 3 आरी 1 कन्नी 3 लेविल पाईप एक ओजार जब्त किये	
120	महेश भम्भाणी मातेश्वरी निवास के पास	अवैध टीन शेड से निर्मित एक कमरा तोडा गया एक कमरे की छत तोड कर छेद किया बालकानी तोडी दि0 29.1.11	
121	हेमन्त पाटील, ठेकेदार,पोकरण हाउस के पीछे	चार कमरों पर डाली आर.सी. सी. छत में तोडकर बडे छेद किये सीढीयां तोडी, नाले में निर्मित सेप्टीटैंक को तोड बालकोनी छत तोडी गई दि0 29.1.11	
122	गणपत सिंह, पोकरण हाउस के पीछे	अवैध निर्मित दो कमरों की नींव को तोड़ा गया दि0 29.1.11	
123	जीत बंगलों के पास	अवैध नींव भरी जिसको मिट्टी से भराया गया व दो फावडे व दो तगारी जब्त की गई दि0 29.1.11	
124	केसर सिंह, तोरणा	मकान पर पेराफीट दीवार का निर्माण हटाया गया दि. 29.1.	

		11	
125	डायाजी, तोरणा	अवैध कमरे की नींव भरकर निर्माण किया जा रहा था जो तोड़ा गया	
126	बिरजू भाई अग्रवाल, अशोका होटल आबूपर्वत	छत लेवल तक अवैध निर्मित चार कमरे का भवन, बड़ी ढुंढाई दिनांक 01.2.2011 को ध्वस्त	
127	श्री विनय आराम होटल, बड़ी ढुंढाई	छत लेवल तक अवैध निर्मित दो कमरे की अन्दर की दिवार तोड़ी गई व टीन शेड हटाया गया दि0 1.02.2011	
128	ऐजाज भाई, ढुंढाई	मकान के आगे अवैध निर्मित दिवार व छत पर जाने की सीढीयां, दिनांक 01.02.11 को ध्वस्त	
129	भूपेन्द्र बिहारीलाल, देलवाड़ा भील कोलोनी	प्रथम मंजिल भील कोलोनी में अवैध निर्माण कमरे को ध्वस्त किया दि0 01.02.11	
130	कालू पत्नि रमिला, देलवाड़ा	प्रथम मंजिल पर अवैध निर्माण कमरे को ध्वस्त किया दि0 02.02.11	
131	नीलकण्ठ होटल, राजेन्द्र मार्ग	पूर्व में प्रथम मंजिल शेष कमरों की दीवारें को दि0 02.02.2011 को तोड़ना प्रारम्भ किया जो कि दिनांक 03.02.2011 तक तोड़ा गया व अनुपयोगी किया	
132	मूलसिंह पुत्र गुमान सिंह, माली कोलोनी	झोपडी बनाकर किये गये अतिक्रमण को दि0 7.2.2011 को हटाया गया	
133	पॉलम न्यू आई.पी. मिरान ट्रेसट्र कुम्हारवाडा रोड	मुख्य द्वार पर लगाये गये लोहे गेट को हटाया गया	
134	हमीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह, देलवाड़ा	देलवाड़ा पार्किंग के पास भवन के प्रथम मंजिल पर अवैध निर्माण व कमरा को ध्वस्त किया गया दि0 08.02.11	
135	गणेश होटल के पीछे, राजेन्द्र मार्ग	4 कमरों अवैध निर्माण के बीच की पार्टसान वॉल, शौचालय, किवाड़, खिड़किया, सीढीयां सामने की और दीवारें तथा छत को तोडकर छेद किये गये दि0 5.02.11	
136	बीरबल चौधरी, तोरणा	रोड पर दिवार का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया दिनांक 21.02.11	
137	मीठालाल जोग, गोरा छपरा	एक कमरे का अवैध निर्माण में टीन शेड ध्वस्त किया गया 23.02.2011	
138	डॉन बंगला स्कीम, पाण्डव भवन के पीछे, (खरीददार गणपत सिंह)	दिनांक 10.02.11 व पुनः पांच कमरों का अवैध निर्माण टिनशेड सहित ध्वस्त किया गया दि0 23.02.11	
139	पशु चिकित्सालय के पास नाला अखाड़ा वाले महन्त, आबूपर्वत	नाले में निर्मित अवैध दिवार दिनांक 01.03.11 व 3.03.11 दो बार ध्वस्त की गई	
140	केवाजी, कुम्हारवाड़ा	अवैध निर्मित लैट्रीन बाथरूम दि0 1.03.11 को ध्वस्त किया	
141	हीराराम / जीवाजी, देलवाड़ा	भवन के उपर निर्मित पैरापेट वॉल अवैध ध्वस्त किया गया दिनांक 01.03.11	
142	विजय पाण्डे, बस स्टेण्ड के पास,	20x20 पर झोपडी बनाकर	

	आबूपर्वत	किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया दि0 03.03.11	
143	श्री बाबूसिंह पुत्र बालसिंह, बडी ढुंढाई	प्रथम मंजिल पर निर्मित एक कमरा निर्माण ध्वस्त किया दि0 3.03.2011	
144	सूजी देवी, बडी ढुंढाई	एक बाथरूम व लैट्रीन निर्माण को ध्वस्त किया दिनांक 03.03.11	
145	हनुमान सिंह, ढुंढाई, नील वारा, आबूपर्वत	कमरे के ऊपर डाली गई छत को छेदकर बडा तोडा गया दि0 03.02.11	
146	बजरंगलाल अग्रवाल, देलवाडा	प्रथम मंजिल पर निर्मित 4 कमरों की दिवारों की खिडकियों व दिवारों को तोडकर अनुपयोगी किया गया दि0 04.03.11	
147	जयन्त पारिक, सेंट मेरी स्कूल, आबूपर्वत	लैट्रीन बाथरूम को ध्वस्त किया गया दि0 04.03.11	
148	होटल कासा, सेट मेरी रोड	आगे निर्मित दीवार को ध्वस्त किया गया	
149	शंकर पुत्र केराजी, रोटरी स्कूल के पास	20x14 का अवैध निर्माण/अतिक्रमण निर्माण ध्वस्त किया दि. 15.03.11	
150	भगवान सिंह, गोवा गांव	आम रास्ते में अवैध निर्मित दीवार ध्वस्त दिनांक 18.03.2011	
151	सोम सिंह पुत्र वालाजी	आम रास्ते में 20 फीट लम्बी व चार फुट उंची दिवार अवैध निर्मित दीवार ध्वस्त दिनांक 18.03.2011	
152	मोहीत कुमार, मोहनपुरा	प्रथम तल पर निर्मित अवैध निर्माण को पुनः ध्वस्त किया दि0 18.03.11	
153	पालनपुर पैलेस के पास	आम रास्ते में पिलर के उपर बिरीयर लगाकर अवरूद्ध किये रास्ते के अवरोध ध्वस्त दि0 21.04.11	
154	करणसिंह, तोरणा	जानवर बाड की एक तरफ की दीवार को उंचा कर अवैध निर्माण ध्वस्त दि0 21.4.11	
155	गुलजार अहमद, मांच गांव	मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा नुमा अवैध निर्माण व आरसीसी छत ध्वस्त दि. 24.03.11	
156	गुलाम नबी नवाबी, मांच गांव	15x2 का1/2 वर्गफुट आरसीसी छत अवैध निर्माण ध्वस्त किया दि. 23.0411	
157	मिनिस्टर कोटेज के नीचे	अवैध निर्मित झोंपडे तारबन्दी को ध्वस्त दि0 23.04.11	
158	गणेश होटल, राजेन्द्र मार्ग	अवैध निर्मित 4 कमरे का निर्माण दि. 27.4.11, 28.4.11, 04.05.11 को ध्वस्त किया जाकर जीरो किया	
159	चतुर्भज मणियार, राजेन्द्र मार्ग	30x15 वर्गफुट पर अवैध रूप से बाई गई चार दिवारी ध्वस्त कि दि0 27.04.11	
160	शान्ता बेन शान्तिभाई, राजेन्द्र मार्ग	भवन के स्थित लोहे व ऐंगल व गटर को दिनांक 27.04.11 को हटाया गया टीनशेड पूर्व	

		में हटाये गये	
161	पी.जी.हाउस सीमरन राज, शिवाजी मार्ग	टॉप लाउर पर टीनशेड को हटाया गया दि0 28.04.11	
162	मीरा होटल, शिवाजी मार्ग	एक कमरे व आरसीसी छत को ध्वस्त किया दिनांक 28.04.11	
163	किरण होटल, शिवाजी मार्ग	टॉप लाउर पर टीनशेड को हटाया गया दि0 28.04.11	
164	होटल शालीमार, शिवाजी मार्ग	टॉप लाउर पर टीनशेड को हटाया गया दि0 28.04.11	
165	सीतावन पी.जी. हाउस, नक्की मैन रोड	दो कमरे द्वितीय तल पर आगे टिनशेड को ध्वस्त किया गया दि0 29.4.2011	
166	श्री भप्पूराम पुत्र हरनाथ, बडी ढुंढाई	अवैध निर्माण दीवार को पुनः ध्वस्त दिनांक 29.4.2011	
167	1. श्रीमति बाबला / मगन भील 2. इन्दूबाला पत्नि कृष्ण कुमार 3. हीराराम पुत्र बाबूलाल	1. 15x20 फीट का टीनशेड कमरा ध्वस्त 2. एक अपूर्ण निर्मित कमरा व चार दिवारी ध्वस्त 3. 10x15 फीट की चार दिवारी कमरे को ध्वस्त किया दि0 30.04.11	
168	मदन पुत्र रूपाजी, पुराने नाके के पास	10x15 का अवैध निर्माण कमरा ध्वस्त दिनांक 30.4.2011	
169	भल्लाराम हीरागर, न्यू देलवाडा	पंचवटी धर्मशाला के सामने भूखण्ड के अवैध निर्माण की जा रही चार दिवारी को ध्वस्त किया दि0 30.4.11	
170	केरल सक्सेना / सतीश सक्सेना, ढुंढाई	अवैध निर्मित आरसीसी की छत को तोडा गया दि0 02.05.11	
171	यादव फोरेस्टर, न्यू देलवाडा	आम रास्ते में निर्मित अवैध चार दिवारी को ध्वस्त किया दि. 02.05.11	
172	बाघ सिंह पुत्र हरीसिंह, देलवाडा	अवैध निर्मित चार दिवारी को तोडा गया दि0 02.05.11	
173	सोहनसिंह, देलवाडा	अवैध निर्मित दिवार को तोडा गया दि0 02.05.11	
174	रघुनाथ सिंह पुत्र विक्रम सिंह, देलवाडा	अवैध निर्मित दिवार को तोडा गया दि0 02.05.11	
175	देवाराम देवासी, न्यू देलवाडा	अवैध निर्मित चार दिवारी को तोडा गया दि0 02.05.11 शेष कार्यवाही बाकी	
176	भंवरसिंह पुत्र रामसिंह	उपर नव निर्माण किये जा रहे पैराफिट को ध्वस्त किया। शेष अवैध निर्माण ध्वस्त बकाया है।	
177	उम्मेदसिंह, न्यू देलवाडा	बरामदे की एक हिस्से की छत क्षतिग्रस्त की गई व एक कमरे की खिडकी क्षतिग्रस्त, बालकनी तोडी गई दिनांक 02.05.11 एवं 23.05.11 शेष कार्यवाही बाकी है।	
178	धनराज कुमार, नीलकण्ठ मंदिर के पास, तोरणा	प्रथम मंजिल पर 20x40 फुट में टिनशेड डालकर चारों तरफ ईंटों की चार दिवारी निर्मित की गई जिसको ध्वस्त किया।	

		गया व टीनशेड हटाने हेतु पाबन्द किया गया।	
179	नानूराम आदिवाल, महाराणा प्रताप होटल के पीछे	स्कूल के पीछे 10x30 फुट मय पीलर खडे कर आरसीसी छत डाली गई व प्रथम तल पर पीलर लगाये गये उक्त अवैध निर्माण ध्वस्त 05.05.11	
180	एन.के. अग्रवाल, मांच गांव	द्वितीय मंजिल पर एक हॉल सीढीयॉं पानी की टंकी का स्टेण्ड लेट्रिन बाथरूम ध्वस्त किया व प्रथम मंजिल की बालकोनी व एक कमरे की छत ध्वस्त की शेष कार्यवाही बकाया। दिनांक 05.05.11	
181	दशामाता मंदिर	सुखी चुनाई व अवैध किये गये कब्जे को ध्वस्त दिनांक 16.04.11	
182	केयर टेकर	हाल 20x20 का निर्माण 16.04.2011 को ध्वस्त	
183	भगवती देवी/मोहनसिंह	80x40 की दिवार मकान के ईर्द गिर्द किये अवैध निर्माण को ध्वस्त दि0 10.05.11	
184	महेश राणा	15x20 कच्चे झोपडे को ध्वस्त किया गया दिनांक 10.05.11	
185	हरीश भाई पुत्र बालूजी	मकान के पीछे 20x15 फीट में 5 फीट उंचाई तक दिवार का निर्माण ध्वस्त किया दिनांक 11.05.11	
186	ढुंढाई, आबूपर्वत	8 फीट व 4 1/2 फीट दिवार को मानव बल से ध्वस्त किया गया दि0 14.05.11	
187	ओमप्रकाश व्यास, अधरदेवी	20x15 फुट में 4 फीट उंची दिवार ध्वस्त की दिनांक 24.05.11	
188	जयश्री बेन, गोव गांव	40x60 फुट की छत ध्वस्त की गई व पूर्व दिशा की दिवार गिराई गई दि0 03.05.11	
189	दूर संचार विभाग, कार्यालय के पीछे	बरसाती नाले को रोक कर लोहे के लगाये गये तारों को हटाया गया दिवार भी ध्वस्त। दिनांक 19.05.2011	
190	शंकर पुत्र केराजी, सेंटरी स्कूल के पास	20x14 का अवैध निर्माण/अतिक्रमण निर्माण ध्वस्त किया दि. 15.03.11	
191	भगवान सिंह, गोवा गांव	आम रास्ते में अवैध निर्मित दीवार ध्वस्त दिनांक 18.03.2011	
192	सोम सिंह पुत्र वालाजी	आम रास्ते में 20 फीट लम्बी व चार फुट उंची दिवार अवैध निर्मित दीवार ध्वस्त दिनांक 18.03.2011	
193	अज्ञात, पालनपुर पैलेस के पास	आम रास्ते में पिलर के उपर बिरीयर लगाकर अवरूद्ध किये रास्ते के अवरोध ध्वस्त दि0 21.04.11	
194	गुलजार अहमद, मांच गांव	मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा नुमा अवैध निर्माण व आरसीसी छत ध्वस्त दि. 24.	

		03.11	
195	अज्ञात, मिनिस्टर कोटेज के नीचे	अवैध निर्मित झोंपडे तारबन्दी को ध्वस्त दि0 23.04.11	
196	श्री भप्पूराम पुत्र हरनाथ, बडी ढुंढाई	अवैध निर्माण दीवार को पुनः ध्वस्त दिनांक 29.4.2011	
197	श्रीमति बाबला/मगन भील	15x20 फीट का टीनशेड कमरा ध्वस्त	
198	इन्दूबाला पत्नि कृष्ण कुमार	एक अपूर्ण निर्मित कमरा व चार दिवारी ध्वस्त	
199	हीराराम पुत्र बाबूलाल	10x15 फीट की चार दिवारी कमरे को ध्वस्त किया दि0 30. 04.11	
200	मदन पुत्र रूपाजी, पुराने नाके के पास	10x15 का अवैध निर्माण कमरा ध्वस्त दिनांक 30.4. 2011	
201	यादव फोरेस्टर, न्यू देलवाडा	आम रास्ते में निर्मित अवैध चार दिवारी को ध्वस्त किया दि. 02.05.11	
202	बाघ सिंह पुत्र हरीसिंह, देलवाडा	अवैध निर्मित चार दिवारी को तोडा गया दि0 02.05.11	
203	सोहनसिंह, देलवाडा	अवैध निर्मित दिवार को तोडा गया दि0 02.05.11	
204	रघुनाथ सिंह पुत्र विक्रम सिंह, देलवाडा	अवैध निर्मित दिवार को तोडा गया दि0 02.05.11	
205	महेश राणा	15x20 कच्चे झोपडे को ध्वस्त किया गया दिनांक 10. 05.11	
206	समदीन अली, रत्नेश्वर महादेव मन्दिर	बाडा 20x7 फीट, ध्वस्त दिनांक 22.06.11	
207	अज्ञात व्यक्ति, रत्नेश्वर मंदिर के पास	5 झोंपडे अतिक्रमण, ध्वस्त दिनांक 22.06.11	
208	विजय सिंह, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	80x40 करीबन 5 कमरें निर्माण करके बेचान किया गया जा हटाया गया दि. 27. 06.11	
209	सविता कोरी/किशोरीला, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	20x15 का बरसाती नाले को झोंपडा बनाकर अवरोधक किया गया। हटाया गया दि. 27.06.11	
210	गुलजारीलाल, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	40x40 का बरसाती नाले को कांटे की बाढ व लाटियां खडी करके अतिक्रमण हटाया गया दि. 27.06.11	
211	शीतल पुत्र मोहनलाल, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	15x10 का बरसाती नाले को बाथरूम, लैटरीन, बनाकर अवरोध निर्माण को हटाया गया दि. 27.06.11	
212	कालूराम ड्राईवर, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	20x15 का बरसाती नाले को झोंपडा बनाकर अवरोधक किया गया। हटाया गया दि. 27.06.11	
213	बद्रीप्रसाद/घनश्याम, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	बरसाती नाले को अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया जिसे हटाया दिनांक 27.06.11	
214	नन्दू बैनीप्रसाद, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	बरसाती नाले को सैफ्टी टैंक व बरामदा बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया जिसे	

20

		हटाया दिनांक 27.06.11	
215	छोटेलाल / बैनीप्रसाद	बरसाती नाले को सैफ्टी टैंक व बरामदा बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया जिसे हटाया दिनांक 27.06.11	
216	बलवन्त माथुर, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	बरसाती नाले को बाथरूम अनाधिकृत अतिक्रमण पालिका भूमि पर किया गया जिसे हटाया दिनांक 27.06.11	
217	मदन सक्सेना, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	बरसाती नाले को झोंपड़ा बनाकर अवरोध निर्माण किया गया जिसको हटाया गया दि० 27.06.11	
218	बिहारीलाल / दुर्गाप्रसाद, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	15x20 का बरसाती नाले को चबूतरा पालिका भूमि पर बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दि० 27.06.11	
219	नारायण सिंह / गुमानसिंह, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	15x50 का बरसाती नाले को चबूतरा पालिका भूमि पर बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दि० 27.06.11	
220	कन्हैयालाल / दयारीयन, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	15x20 का बरसाती नाले अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दि० 27.06.11	
221	कमलादेवी / गंगाराम चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	10x15 का बरसाती नाले को चबूतरा पालिका भूमि पर बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दि० 27.06.11	
222	प्रभूराम / गंगाराम, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	20x20 का बरसाती नाले के आगमन में बांस बलियां प्लास्टीक लगाकर पालिका भूमि अनाधिकृत अतिक्रमण को ध्वस्त दि० 27.06.11	
223	युसुफ खान, चाचा ईन के पीछे, अम्बेडकर कोलोनी	10x20 का बरसाती नाले अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दि० 27.06.11	
234	हर्षद भाई, गउमुख रोड	एक कमरा जो खरीद फरोख्त किया गया है जो ताला लगा हुआ था ध्वस्त किया गया दिनांक 28.06.11	
225	हरजी / नाथा राणा, गउमुख रोड	झोंपड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया। ध्वस्त किया गया दिनांक 28.06.11	
226	अज्ञात व्यक्ति, गउमुख रोड	3 झोंपड़े 15x20 के अतिक्रमण कर बनाये हुये को ध्वस्त किया गया दिनांक 28.06.11	
227	मोतीलाल पुत्र देवाजी, गउमुख रोड	1 पक्का कमरा जे.सी.बी. द्वारा ध्वस्त किया गया दिनांक 28.06.11	
228	अज्ञात व्यक्ति सेन्टर स्कूल, टंकी के पास, अम्बेडकर कोलोनी	नींव व दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दिनांक 28.06.11	
229	अज्ञात व्यक्ति सेंटर स्कूल, अम्बेडकर कोलोनी	चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया, आरटीडीसी के नीचे, ध्वस्त दिनांक 28.06.11	

230	छगन / लखमा, अम्बेडकर कोलोनी	1 कमरा बनाकर अतिक्रमण किया गया, ध्वस्त दिनांक 28.06.11	
231	मंजू राणा, अम्बेडकर कोलोनी	बरसाती नाले में बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दिनांक 28.06.11	
232	लीलादेवी पत्नि मनसुख, अम्बेडकर कोलोनी	रूम बनाकर अतिक्रमण किया गया ध्वस्त दिनांक 28.06.11	
233	रामावतार, ड्राईवर आरटीडीसी हाल जयपुर, अम्बेडकर कोलोनी	1 कमरा बनाकर अतिक्रमण किया गया, ध्वस्त दिनांक 28.06.11	
234	हनुमान सिंह, अम्बेडकर कोलोनी	10x10 का एक पक्का कमरा टीनशेड ध्वस्त किया गया दिनांक 29.06.11	
235	बाल मुकुन्द, अम्बेडकर कोलोनी	8x10 का एक पक्का कमरा टीनशेड ध्वस्त किया गया दिनांक 29.06.11	
236	पूनमसिंह / सोहनसिंह, अम्बेडकर कोलोनी	10x10 का एक पक्का कमरा टीनशेड एवं एक अपूर्ण कमरा ध्वस्त किया गया दिनांक 29.06.11	
237	महेन्द्र पुत्र सखाराम, अम्बेडकर कोलोनी	8x10 का एक पक्का कमरा टीनशेड ध्वस्त किया गया दिनांक 29.06.11	
238	महावीर पुत्र भंवरलाल, अम्बेडकर कोलोनी	8x10 का एक पक्का कमरा टीनशेड ध्वस्त किया गया दिनांक 29.06.11	
239	अर्जुन / लखमा, अम्बेडकर कोलोनी	नाले से कांटों की बाड हटाई गई दिनांक 29.06.11	
240	अज्ञात, अम्बेडकर कोलोनी	1 झोंपडे तिरपाल युक्त ध्वस्त किये गये दिनांक 29.06.11	
241	अज्ञात, अम्बेडकर कोलोनी	1 झोंपडे तिरपाल युक्त ध्वस्त किये गये दिनांक 29.06.11	
242	संजय, मुकेश पुत्र पुनीतलाल, कुम्हारवाडा	एक कमरा टीनशेड अतिक्रमण को ध्वस्त किया दिनांक 30.06.11	
243	मुरलीधर पुत्र वासूदेव प्रजापति, कुम्हारवाडा	एक कमरा टीनशेड अतिक्रमण को ध्वस्त किया दिनांक 30.06.11	
244	जब्बरसिंह पुत्र जुगराज सिंह, कुम्हारवाडा	एक कमरा टीनशेड अतिक्रमण को ध्वस्त किया दिनांक 30.06.11	
245	शोभादेवी / हुल्लास, कुम्हारवाडा	एक कमरा टीनशेड अतिक्रमण को ध्वस्त किया दिनांक 30.06.11	
246	राजू, संजय पुत्र वीराराम, कुम्हारवाडा	20 फिट अतिक्रमण कर बनाई गई दिवार को ध्वस्त किया गया दिनांक 30.06.11	
247	चुन्नीलाल पुत्र नवाजी परिहार, कुम्हारवाडा	एक कमरा टीनशेड अतिक्रमण को ध्वस्त किया एवं चार दिवारी के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया दिनांक 30.06.11	
248	कान्तिलाल पुत्र नन्दालाल परिहार, कुम्हारवाडा	पालिका भूखण्ड पर केबिन रखकर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया दिनांक 30.06.11	
249	किशनलाल भील, कुम्हारवाडा	सूखी चार दिवारी से किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त किया	

		गया दिनांक 30.06.11	
250	राजू पुत्र प्रितमसिंधी, कुम्हारवाड़ा	द्वितीय मंजिल पर अवैध निर्मित 12x10 का एक कमरे को ध्वस्त किया गया दिनांक 30.06.11	
251	बलदेव चौधरी, कुम्हारवाड़ा	60 फीट लम्बी दिवार से किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया दिनांक 30.06.11	
252	विमला गुर्जर, कुम्हारवाड़ा	टीनशेड युक्त एक कमरा व लैट बाथ अतिक्रमण को ध्वस्त किया दिनांक 30.06.11	
253	नरसा/नवाजी गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	अवैध झोपड़ा दिनांक 01.07.2011 को ध्वस्त	
254	लाल/अम्बा, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
255	मणा/हुसा गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
256	चुना गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
257	पूना गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
258	लल्लू/बाबू गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
259	लाला/थावरा गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
260	सोमा/देवा गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
261	लाडू/गुलाल गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
262	सिंगा/भैरा गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
263	कालू/सोमा गरासिया,सूर्यास्त मार्ग	—"—	
264	जेठा/भीठा गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
265	अणदा/भाणा गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
266	अज्ञात गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
267	अज्ञात गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
268	चमन गरासिया, सूर्यास्त मार्ग	—"—	
269	हजारीसिंह/जीताजी, महाराणा प्रताप के पीछे	एक कमरा व छज्जा तोड़ा गया लेकिन डिलेवरी होने से शेष अवैध निर्माण को पेंडींग किया गया दिनांक 01.07.2011	
270	मदनलाल/पूनमचन्द, महाराणा प्रताप के पीछे	लैट बाथ ध्वस्त किया गया, दिनांक 01.07.2011	
271	शब्बीर भाई, महाराणा प्रताप के पीछे	लैट बाथ ध्वस्त किया गया, दिनांक 01.07.2011	
272	लक्ष्मण वेलाजी, महाराणा प्रताप के पीछे	एक कमरा ध्वस्त किया गया दिनांक 01.07.2011	
273	चमनाजी, महाराणा प्रताप के पीछे	बाड बाउण्ड्री करीब 60 फुट अवैध अतिक्रमण को हटाया गया दिनांक 01.07.2011	
274	गोविन्द, देलवाड़ा	नाले में एक कमरा टीनशेड युक्त व एक कमरा अपूर्ण ध्वस्त किया दिनांक 04.07.11	
275	मंजू पत्नि नरपत, देलवाड़ा	नाले में एक कमरा टीनशेड युक्त व एक अपूर्ण झोपड़ा ध्वस्त किया दिनांक 04.07.11	
276	दरगा/चेला, भील, देलवाड़ा	नाले में एक झोपड़ा ध्वस्त किया गया दिनांक 04.07.11	
277	लालाराम, भील, देलवाड़ा	नाले में एक झोपड़ा ध्वस्त किया गया दिनांक 04.07.11	
278	रतना पुत्र मोती भील, देलवाड़ा	नाले में एक झोपड़ा ध्वस्त किया गया दिनांक 04.07.11	
279	रमेश ड्राईवर, देलवाड़ा	नाले में एक कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त किया गया दिनांक 04.07.11	
280	पी.पी.के. संस्था, अज्ञात, देलवाड़ा	दो कमरे ध्वस्त किया गया दिनांक 04.07.11	
281	भील, अज्ञात, देलवाड़ा	नाले में बाड बाउण्ड्री बील ध्वस्त की गई दिनांक 04.07.	

		11	
282	देवासी, अज्ञात, देलवाड़ा	नाले में बाउ बाउण्ड्री वॉल ध्वस्त की गई दिनांक 04.07.11	
283	देवासी, अज्ञात, देलवाड़ा	नाले में बाउ बाउण्ड्री वॉल ध्वस्त की गई दिनांक 04.07.11	
284	चन्द्रमहल कुन्हाडी हाउस, देलवाड़ा	3 कमरे ध्वस्त दिनांक 04.07.11	
285	दिनेश / छोटेलाल बेरवाल, नींबू नाला	दो कमरे टीनशेड युक्त एक झोंपडा ध्वस्त किया। दिनांक 05.07.11	
266	शंकर / दानाजी परमार (पिंकू) नींबू नाला	एक झोंपडा धवस्त दिनांक 06.07.11	
287	कूपाजी / सांखला मूल्याना, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड ध्वस्त दिनांक 05.07.11	
288	विजय / कूपाराम राणा, नींबू नाला	एक झोंपडा धवस्त दिनांक 06.07.11	
289	सोना / खूमाज हीरागर, नींबू नाला	एक झोंपडा धवस्त दिनांक 06.07.11	
290	रमेश / रघु हीरागर, नींबू नाला	एक झोंपडा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 05.07.11	
291	भीमाराम / सवाजी, नींबू नाला	एक झोंपडा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 05.07.11	
292	अज्ञात, नींबू नाला	कांटों व सूखे पत्थरों की दीवार ध्वस्त की गई दिनांक 05.07.11	
293	प्रभात / हंसाजी, नींबू नाला	चार कमरे एक बरामदा टीनशेड युक्त ध्वस्त किये दिनांक 06.07.2011	
294	हरीश / राजू राणा, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
295	रमेश / राजू राणा, नींबू नाला	एक कच्चा मिट्टी का कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
296	जामा / नवाजी राधा, नींबू नाला	दो कमरे टीनशेड युक्त ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
297	विजय / शंकर, नींबू नाला	एक झोंपडा ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
298	रमेश / रूपा, हरीजन, नींबू नाला	दो कमरे एक बरामदा टीनशेड युक्त ध्वस्त किये दिनांक 06 07.2011	
299	भबूतमल / गलबाजी सरगरा, नींबू नाला	दो कमरे टीनशेड युक्त ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
300	देवाराम / भाणाजी, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त एवं एक झोंपडा ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
301	लक्ष्मण / कानाजी, नींबू नाला	दो झोंपडा टीनशेड युक्त ध्वस्त किया दिनांक 06.07.2011	
302	रमेश / हंसाजी, नींबू नाला	दो कमरे एक बरामदा टीनशेड युक्त ध्वस्त किये दिनांक 06.07.2011	
303	हकमाराम / गणेश जी, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त एवं एक झोंपडा ध्वस्त किया दिनांक 06.07.11	
304	कालूराम / गणेशजी, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त एवं एक झोंपडा ध्वस्त किया	

		दिनांक 06.07.11	
305	पृथ्वीराज अरोड़ा / संतराम, नींबू नाला	एक हॉल, एक रूम, किचन, टायलेट, लेटबाथ, कच्ची बाउण्ड्री वॉल ध्वस्त किया दिनांक 06.07.11	
306	नानगराम / कालूराम, नींबू नाला	टीनशेड, एक कमरा एक रसोई, एक बरामदा, ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
307	प्रेमा / बग्गाजी हीरागर, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
308	जस्सी / लालूजी भील, नींबू नाला	दो कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
309	राजू / जेठाजी, नींबू नाला	दो कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
310	केसा / चमनाजी भील, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
311	हुलियादेवी / जवानाराम हीरागर, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त, लेटबाथ ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
312	इकराय मो0 / फरमान खान, नींबू नाला	दो कमरे टीनशेड युक्त, लेटबाथ ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
313	प्रभु / खेताजी भील, नींबू नाला	दो कमरे टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
314	नारायण / खेताजी भील, नींबू नाला	एक कमरा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
315	राजूराम / भीमाजी भील, नींबू नाला	दो कमरे टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
316	लाखाराम / भीमाजी सरगरा, नींबू नाला	एक झोंपड़ा टीनशेड युक्त ध्वस्त दिनांक 06.07.11	
317	लक्ष्मी चारण / लालूदान चारण सरगरा, नींबू नाला	18'x18' हॉल टीनशेड युक्त ध्वस्त किया दिनांक 06.07.11	

कार्यालय, आयुक्त, नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत–सिरोही वर्षः– 2012–2013 तक

कसं	अवैध निर्माणकर्त्ता नाम एवं पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
318	तुलसीगिरी महाराज, देलवाड़ा	अवैध निर्माण 20 x 15
319	लक्ष्मण खेसाराम, जाति भील, टूमणा	अवैध निर्माण 10 x 15
320	केसरसिंह पुत्र ईश्वर सिंह, जाति राजपूत, ज्ञान–सरोवर	अवैध निर्माण 20 x 5
321	वनसिंह / लखमाराम, ज्ञान–सरोवर	अवैध निर्माण 12 x 15
322	अज्ञात व्यक्ति, तोरणा	अवैध निर्माण 20 x 15
323	आशा शर्मा / हरीकिशन लाल, तोरणा	अवैध निर्माण दीवार का
324	जैसाराम, जाति हीरागर, ग्लोब्ल हॉस्पीटल के पास	अवैध निर्माण 20 x 30
325	लक्ष्मण / लादूराम, गोवा–गॉव	अवैध निर्माण 20 x 50
326	अज्ञात व्यक्ति, कुम्हारवाड़ा	अवैध निर्माण 20 x 15
327	जितेन्द्रकुमार, धोबी, तोरणा	अवैध निर्माण 20 x 50
328	अजय कुशवाह, बड़ी ढुढ़ाई	अवैध निर्माण 20 x 15
329	तुलसीगिरी महाराज, देलवाड़ा	अवैध निर्माण 20 x 25
330	सबीर खान जावेद, मॉच गॉव	अवैध निर्माण 20 x 15
331	सवाराम / तोलाराम जाति भील, राजभवन के पिछे	प्रथम मंजिल पर अवैध निर्माण
332	भरत / बालू जाति छीपा, राजभवन के पिछे	दो कमरे की आर.सी.सी. को तोड़ा गया।
333	साधना / धीरज, राजभवन के पिछे	अवैध निर्माण बाउन्ड्री वॉल
334	कसना / रमेश भील, राजभवन के पिछे	अवैध निर्माण 15 x 20
335	मोहनसिंह / मोहब्बत सिंह, देलवाड़ा	अवैध निर्माण 20 x 50
336	प्रहलाद / केसाराम, जाति भील, गोरा छपरा	अवैध निर्माण 10 x 12
337	गणपतसिंह, राजपुत, माली कोलोनी,	अवैध निर्माण 18 x 18
338	पार्षद द्वारा, गोरा–छपरा	अवैध–केबिन
339	दलपतसिंह राजपूत, बी.के. ज्ञान सरोवर	अवैध निर्माण 26 x 50
340	यादराम चौधरी, ढुढ़ाई	अवैध निर्माण 20 x 25
341	दीपक / धनसिह, , ढुढ़ाई	अवैध निर्माण
342	सरदार भगतसिंह पुत्र पेशुमल, राजहँस स्टुडियो के पास	अवैध निर्माण
343	हर्जीराम पुत्र दलाराम, विकास नगर	अवैध निर्माण
344	विजयसिंह व किशनचन्द लालवानी, सोफिया स्कूल रोड़	अवैध निर्माण
345	संजय कुमार / नानकराम, होटल रॉयल पार्क	अवैध निर्माण
346	चौकसी / पुत्र पन्नालाल, होटल जाल	अवैध निर्माण
347	अमर थड़ानी / सेवकराम, पीलग्रीम रोड़	अवैध निर्माण
348	कैलाशकुमार अग्रवाल / किशनलाल, पीलग्रीम रोड़	अवैध निर्माण
349	रणधीर सिंह / जनक सिंह	अवैध निर्माण
350	मनीष / नीरज, पोराणिक भवन	अवैध निर्माण

क. सं.	नाम	जनहित याचिका मेंदायर विवरण के क्रम में पालिका अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार विवरण	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही विवरण
1	2	3	4
351	ईमामबाडा, नक्की बाजार, आबूपर्वत।	24' X 50' खुली भूमी, टीन शेड व कंक्रीट पीलिथ।	पालना के क्रम में नोटिस संख्या 3135 दिनांक 12.09.2014 एवं 4752 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा अवैध निर्माण हटानें हेतु प्रबधक ईमामबाडा को सूचित किया गया। परन्तु अवैध निर्माण नहीं हटानें से दिनांक 28.09.2014 को तहसीलदार आबूरोड के नेतृत्व में ईमामबाडा में संचालित फुड इन प्लाजा नामक रेस्टोरेन्ट अवैध निर्माण को पालिका अतिक्रमण/अवैध निर्माण दस्ता मय जे.सी.बी. के साथ 24' X 50' भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त किया जाकर अवैध निर्माण में प्रयुक्त मलवा/टिनशेड लोहा एंगल इत्यादि जब्त किये। उक्त हटाये गये अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
352	सीतावन, पी.जी. हाउस, आबूपर्वत	उपरी मंजिल पर आरसीसी छत का निर्माण	पालना के क्रम में नोटिस संख्या 3887–91 दिनांक 16.09.2014 एवं 4777 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा अवैध निर्माण हटानें हेतु प्रबधक सीतावन को सूचित किया गया परन्तु अवैध निर्माण नहीं हटानें से दिनांक 28.09.2014 को तहसीलदार आबूरोड के नेतृत्व में सीतावन पी.जी.हाउस से अवैध निर्माण को पालिका अतिक्रमण/अवैध निर्माण दस्ता से उपरी मंजिल पर तकनिकी रिपोर्ट के आधार पर किये गये आरसीसी छत एवं अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाकर अवैध निर्माण हटाया गया। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
353	होटल गणेश, आबूपर्वत	बॉलकनी का निर्माण	पालना के क्रम में नोटिस संख्या 4090–94 दिनांक 16.09.2014 के द्वारा अवैध निर्माण हटाने हेतु श्री धर्मीलाल जैन, होटल गणेश को सूचित किया गया परन्तु अवैध निर्माण नही हटाने से दिनांक 28.09.2014 को तहसीलदार आबूरोड के नेतृत्व मे होटल गणेश, शिवाजी मार्ग मे स्वीकृति से अधिक बॉलकनी का अवैध निर्माण को पालिका अतिक्रमण/अवैध

			निर्माण दस्ता से तकनिकी रिपोर्ट के आधार पर किये गये बालकनी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाकर अवैध निर्माण हटाया गया। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
354	श्रीमती बीना मेहता / अजय मेहता	14' X 8' का टिन शेड, 7' X 5' का कमरा व बन्द बॉलकनी का निर्माण	दिनाक 28.09.2014 को तहसीलदार आबूरोड के नेतृत्व में श्रीमती बिना मेहता पत्नि अजय मेहता के द्वारा किये गये अवैध निर्माण को पालिका अतिक्रमण / अवैध निर्माण दस्ता से तकनिकी रिपोर्ट के आधार पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाकर अवैध निर्माण हटाया गया। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
355	श्री युसफ खान सरदार बुलुन्द खा, गुडलक रेस्टोरेन्ट	कंक्रीट फर्श व सभी तरफ दिवार का निर्माण।	स्वयं के द्वारा दिवार हटा दी गई। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एव वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
356	श्री रणधीर सिंह पुत्र जनक सिंह व अन्य, रॉयल गार्डन	पारटीशन दिवार का निर्माण	पारटीशन दिवार को हटाया गया। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एव वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
357	श्री नानगराम सिंघल, होटल सिंगल पार्क	1 कमरा व टिन शेड का निर्माण	पालिका द्वारा कमरा को ध्वस्त कर टिन शेड स्वयं के द्वारा हटाया गया। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
358	होटल लासा, सेन्ट मैरी रोड़, आबूपर्वत	चार दिवारी 49'7" X 16'6" अधिक गार्डन	पालना के कम में नोटिस संख्या 3461 दिनांक 12.09.2014 एवं 4782 दिनाक 26.09.2014 के द्वारा अवैध निर्माण हटानें हेतु प्रबंधक होटल लासा को सूचित किया गया। परन्तु अवैध निर्माण नहीं हटाने से दिनांक 28.09.2014 को तहसीलदार आबूरोड के नेतृत्व में लासा होटल के आगे की गई अवैध चार दिवारी 49'7" X 16'6" दिवार को तकनिकी रिपोर्ट अनुसार ध्वस्त किया जाकर मौके से पत्थर जब्त किये गये तथा हटाये गये अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
359	होटल माया इन्टरनेशनल, आबूपर्वत	टीन शेड	पालना के कम मे नोटिस संख्या 3285 दिनांक 12.09.2014 एवं 4787 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा अवैध निर्माण हटानें हेतु प्रबंधक होटल माया इन्टरनेशनल को जारी किया गया।

			जिस क्रम में होटल प्रबंधक द्वारा दिनांक 28.09.2014 को अपनें स्तर से ही किये गये अवैध टिन शेड को हटाया जाकर मौके के फोटो प्रस्तुत करनें पर तकनिकी अभियन्ता से निरीक्षण करवाया गया। जिस अनुसार अवैध टिन शेड मौके से हटाया जाना प्रमाणित होनें पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। अवैध निर्माण की पूर्व तथा पश्चात् की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर पालना की गई।
360	होटल सनसेट	अवैध बाथरूम	पालना के क्रम में नोटिस संख्या 3160--64 दिनांक 12.09.2014 एवं 4792 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा अवैध निर्माण हटाने हेतु प्रबंधक होटल सनसेट को जारी किया गया। जिस पर पूर्व में निर्मित अवैध बाथरूम स्वयं अपनें स्तर पर हटाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके फोटो संलग्न पत्रावली हैं।

दिनांक 07.10.2014 को निम्नानुसार कार्यवाही की गई :--

क.सं.	नाम	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
361	होटल मीरा, शिवाजी मार्ग, आबूपर्वत।	चार अवैध निर्मित कमरों को ध्वस्त किया गया।
362	होटल शालीमार, शिवाजी मार्ग, आबूपर्वत।	अवैध टिन शेड को हटाया गया।
363	होटल सहेली पैलेस, सब्जी मण्डी के पास, आबूपर्वत	तीन अवैध कमरों को ध्वस्त किया गया।
364	होटल न्यू ममता, आबूपर्वत।	दो कमरों व टिन शेड को ध्वस्त किया गया।

दिनांक 08.10.2014 को निम्नानुसार कार्यवाही की गई :--

क.सं.	नाम	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
365	श्री सतीस, श्री सुशील श्री सुरेश पुत्रगण ईश्वरलाल, मुख्य बाजार, आबूपर्वत।	प्रथम मंजिल के उपर अवैध निर्मित आर.सी.सी. कॉलम रसोईनुमा कमरा एवं दिवार ध्वस्त की गई।
366	श्री नथमल पुत्र दुर्गाप्रसाद, एसबीबीजे बैंक के पास, आबूपर्वत।	द्वितीय मंजिल के उपर अवैध निर्मित दिवार व कॉलम को ध्वस्त किया गया।

दिनांक 09.10.2014 को निम्नानुसार कार्यवाही की गई :--

क.सं.	नाम	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
367	होटल चाणक्य, आबूपर्वत।	होटल के परिसर में छोड़े गये सेट बेक में बनाये गये टिन शेड का डाईनिंग हॉल, स्टोर तथा सेटबैक पर कवर की गई आरसीसी छत को ध्वस्त किया गया।
368	होटल कनिष्का, आबूपर्वत।	होटल कनिष्का द्वारा द्वितीय मंजिल पर किये गये अवैध निर्माण (टिन शेड) को पालिका दस्ते द्वारा हटाया गया।

इस प्रकार कुल 18 अवैध निर्माण हटाये गये जो मोनिटरींग कमेटी तथा पीआईएल में दर्ज थे। साथ ही जनहित याचिका में मुख्य मार्गों के किनारे किये गये अतिक्रमण को भी हटाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

दिनांक 13.10.2014 को निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

क.सं.	सडक किनारे अतिक्रमणकर्ता का नाम	पता	स्थिति		विवरण
			पूर्व में	वर्तमान में	
369	राम भरोसे टी स्टॉल	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
370	विरेन्द चौधरी	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
371	बिन्दु भाई	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
372	प्रेमसिंह	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
373	मोती पुत्र सेवा रेबारी	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
374	शेखर	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
375	भरत	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
376	आबूराज	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
377	कालूराम	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
378	मीश्राजी	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
379	रामसिंह	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
380	अतुल भाई	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
381	देवेन्द्र सिंह	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
382	भंवरसिंह	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
383	गजेन्द्र	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
384	कपुर	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
385	हजारीमल	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
386	चन्दर	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
387	राजा	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
388	मुकेश	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
389	भारती	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
390	जाकीर हुसैन	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
391	अकाराम	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
392	हरतुबाई	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
393	गोविन्द	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
394	रामा	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	लॉरी चाय नाश्ता	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
395	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	चकरी झूला	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
396	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	टूटी लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
397	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	टूटी लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
398	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	टूटी लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
399	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	टूटी लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
400	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	टूटी लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
401	अज्ञात	घोडा स्टेण्ड, सनसेट रोड	टूटी लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त

दिनांक 14.10.2014 को निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

क.सं.	सडक किनारे अतिक्रमणकर्ता का नाम	पता	स्थिति		विवरण
			पूर्व में	वर्तमान में	
402	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर मे जब्त
403	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर मे जब्त
404	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर मे जब्त

427	श्री राकेश / रोशन लाल	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
428	श्री शंकर / इन्द्र	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
429	श्री किशन / बाबूलाल	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
430	श्री गोवाराम / बाबू सिंह	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
431	श्री मंगल / बाबूसिंह	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
432	श्री रमेश सोनी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
433	श्री बाबूलाल / बनाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
434	श्री अशोक / बाबूलाल	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
435	श्री नारायण / वनाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
436	श्री जयराम / कालू	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
437	श्री तलसा / हंसाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
438	श्री कन्हैया / हंसाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
439	श्री दिनेश रावत	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
440	श्री अशोक / राजू	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
441	श्री बबलू चयनीज	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
442	श्री दाउद अली पुत्र मो. अली	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
443	श्री धर्मजी	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
444	श्री आरिफ पुत्र निजामुदीन	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
445	श्री हंसा / नवाजी	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
446	श्री मनोज / राकेश	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
447	श्री किशन / बाबूलाल	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
448	श्री डीगा / शंकर	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
449	श्री सुरेश	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
450	श्री मोहन / सोताराम	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
451	श्री शंकर / बच्चू	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी / चायनाश्ता लारी / केबिन / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---

405	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
406	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
407	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
408	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
409	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
410	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	चायनाश्ते लारी	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
411	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	फोटोग्राफी में प्रयुक्त वस्त्र रखने का मज्जु खाली	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
412	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	फोटोग्राफी में प्रयुक्त वस्त्र रखने का मज्जु खाली	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
413	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	फोटोग्राफी में प्रयुक्त वस्त्र रखने का मज्जु खाली	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
414	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	फोटोग्राफी में प्रयुक्त वस्त्र रखने का मज्जु खाली	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
415	अज्ञात	आर्य समाज मन्दिर के सामने पार्किंग	फोटोग्राफी में प्रयुक्त वस्त्र रखने का मज्जु खाली	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
416	शंकरलाल पुत्र कलाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	बीडी सिगरेट व शीतल पेय व अन्य केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त
417	शंकरलाल पुत्र कलाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	बीडी सिगरेट व शीतल पेय व अन्य केबिन	हटाया गया	पालिका परिसर में जब्त

दिनांक 16.10.2014 को निम्नानुसार कार्यवाही की गई :-

क.सं.	सडक किनारे अतिक्रमणकर्ता का नाम	पता	स्थिति		विवरण
			पूर्व में	वर्तमान में	
418	गोविन्द टी स्टाल	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
419	श्री नितेश पुत्र सीतल	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
420	श्री रूपाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
421	श्री सलामुददीन/ निजामुददीन	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
422	श्री निर्मल/ इन्दर	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
423	श्री दलपत/ अजवाजी	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
424	श्री अर्जुन/ रूपा	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
425	श्री अमृत/ रूपा	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
426	श्री मुकेश/ मोहन	पोलो ग्राउण्ड के सामने	चायनाश्ते लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---

452	श्रीउमेशकुमार /हरिप्रसाद	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी/चायनाश्ता लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
453	श्री गोविन्द/ मिश्राजी	नक्की लेक क्षेत्र	कटलेरी/चायनाश्ता लारी/केबिन/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
454	श्री जहुर अजमद पुत्र अमान ईलाई	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
455	श्री राघवेन्द्र/ विरेन्द्र (दीपक)	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
456	श्रीराम/खलक सिंह(चन्दा)	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
457	श्री अरविन्द/ खलकसिंह (शेरसिंह)	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
458	श्री ईस्माईल/ फकीर	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
459	श्री वजाराम/ केसाजी	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
460	श्री प्रमोद/ पंचम (रफीक ठेकेदार)	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
461	श्री आमीन/ ईलाई बक्स	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
462	श्री दिनेश/ पूनमचन्द	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
463	श्री सुनील/ राम दुलारे	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
464	श्री शाहबुदीन /निजामुदीन	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
465	श्री लालचन्द/ जगदीश (रफीक भाई)	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
466	श्री कमल/ रमेश (मीना बागरी)	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
467	श्री भवानी	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---
468	श्री दिनेश/ रामाजी	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम/कटलेरी/ नाश्ता की केबिन/ लारी/थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	---

469	श्री प्रदीप	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
470	श्री सेपू भाई	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
471	श्री रेवारी	चाचा म्यूजियम चौराहा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
472	श्री रवि / गणेश	पैट्रोल पम्प के पास	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
473	श्री अमृत बहादुर थापा	पैट्रोल पम्प के पास	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
474	श्री रूपसिंह / धर्म सिंह	नाके के आगे	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
475	श्री खुमसिंह / डाया	ढुंढाई केन्द्रीय विद्यालय	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
476	श्री शिवलाल	गोरा छपरा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
477	श्रीमति तुलसी मकवाना पार्षद	गोरा छपरा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
478	श्री शंकर बाबू	गोरा छपरा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
479	श्रीमति लीला बाई	गोरा छपरा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
480	श्रीमति ललिता बाई	गोरा छपरा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया	--
481	श्रीमति गुलाबी बाई	गोरा छपरा	गिफ्टआईटम / कटलेरी / नाश्ता की केबिन / लारी / थडी	स्वयं के द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने पर पालिका द्वारा हटाया गया	नगरपालिका में केबिन जब्त किया गया

[illegible] तक [illegible]

SAY NO TO PLASTIC

E mail:-palikaabu@yahoo.in
फोन न. 02974–235172

कार्यालय नगरपालिकामण्डल, आबूपर्वत, सिरोही (राज0)

क्रमांक / न.पा.आबू/ NGT / 2020 / दिनांक:–

अवैध निर्माण अतिक्रमण हटानें की वर्ष 2014 से 2016 तक सूची/ संख्या

क. स.	नाम	स्थान	संख्या	दिनांक	विशेषविवरण
482	न.पा. क्षेत्र	न.पा. क्षेत्र	10	28.09.2014	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
483	न.पा. क्षेत्र	न.पा. क्षेत्र	04	07.10.2014	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
484	न.पा. क्षेत्र	न.पा. क्षेत्र	02	08.10.2014	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
485	न.पा. क्षेत्र	न.पा. क्षेत्र	33 (अस्थाई)	13.10.2014	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
486	न.पा. क्षेत्र	न.पा. क्षेत्र	16 (अस्थाई)	14.10.2014	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
487	न.पा. क्षेत्र	न.पा. क्षेत्र	64 (अस्थाई)	16.10.2014	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
488	किशन चन्द प्रितमदास	हिनारिसोर्ट	01 सीज	30.01.2015	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
489	ग्रेट इण्डिया रिसोर्ट	न.पा. क्षेत्र	01 सीज	30.01.2015	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
490	रामा पुत्र किशन	आबूपर्वत	01 सीज	30.01.2015	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
491	वागजीभाई	मुन्सिपल कोलोनी	01 सीज	30.01.2015	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
492	देवनदास	सनीगांव	01 सीज	30.01.2015	रा.उ.न्या. 10202 भरत जैन PIL
493	दिलीपसिंह / सोमसिंह	माचगांव	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
494	मोहन सिंह / चिमन सिंह	हेटमजी	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
495	धीरज कुमार	अम्बेडकर कॉलोनी	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
496	बलदेवराम चौधरी	ज्ञानसरोवररोड	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
497	विक्रमसिंह / देवीसिंह	हेटमजी	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
498	पुनम भम्भाणी	जनताकॉलोनी	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
499	होटल अशोका	होटल अशोका	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT
500	गोपाल सोमाराम	टुमणा	01	2016	रा.उ.न्या. 10202 PIL /NGT

वर्ष 01.01.2017 से आज दिनांक 12.12.2019 तक किये गये अवैध निर्माण/अतिक्रमण कों नगरपालिका प्रशासन द्वारा ध्वस्त/सीज किये गये की सूची :-

क.सं.	नाम	पता	विवरण
501	सोहन लाल भील	गोरा छपरा, आबूपर्वत	दिवार को ध्वस्त कि गई
502	सायारा पत्नि साहिल भंभानी	हेटमजी, आबूपर्वत	10 x 8 = 80 Sqft नाप का एक कमरे का निर्माण एवं टिनशेड
503	विजय/शंकरलाल व अन्य	काला –छपरा	झोपडें को ध्वस्त किया गया
504	होटल हिल्लोक	शमशान रोड, आबूपर्वत	कृषि भूमि में अवैध रूप से बनाये कमरे को ध्वस्त
505	छोगाराम भील	हेटमजी, आबूपर्वत	कमरो का अवैध निर्माण कार्य
506	मुख्यत्यार पुत्र शाले मोहम्मद	जनता–कोलोनी, आबूपर्वत	लेहे के पाईप व एंगल लगाकर टिन–शेड 25' x 25'
507	विजय धुरी	सोलह बंगलों आबूपर्वत	टिन शेड का हटाया गया
508	होटल रॉयल गार्डन	आबूपर्वत	टिन शेड का हटाया गया
509	प्रमिला पत्नि हरिशचन्द्र	हेटमजी, आबूपर्वत	लगभग 80 Sq mtr नाप का सी.सी. फर्श का अवैध निर्माण
510	श्यामसिंह चौहान	कोठी ईन पेट्रोल पम्प के पास	दिये गये स्वीकृति से अधिक निर्माण कार्य
511	भंवरसिंह पुत्र पोमाजी	हेटमजी, आबूपर्वत	प्रथम मंजिल पर 20 x 15 = 30 Sqft का एक कमरे का अवैध निर्माण
512	श्रीमति देवू बाई पत्नि मोतीलाल	होटल अम्बिका पैलेस ढुंढाई	द्वितीय फ्लोर पर 3 दरवाजें व 4 खिडकियो में ग्रेनाईट लगाने का अवैध निर्माण कार्य
513	हंसाराम पुत्र भीखाजी	तोरणा, आबूपर्वत	आर. सी.सी. छत डालनें का अवैध निर्माण
514	अर्जून सिंह पुत्र रामसिंह	मोहनपुरा, आबूपर्वत	2 कमरोंमें 2 फिट कि दिवार उठाकर आर. सी.सी छत का अवैध निर्माण
515	शेखर नायक	मांचगांव, आबूपर्वत	अवैध रूप से केबिन
516	हरि विलास म.नं. 22	जनता कॉलोनी, आबूपर्वत	ईट जब्त कि गई
517	रत्न सिंह पुत्र राजाजी व अन्य अज्ञात व्यक्ति	टुमणा, आबूपर्वत	झोंपडे को हटाया गया
518	नरेश पटेल पुत्र एम.आर. पटेल	तोरणा–आबूपर्वत	टिन शेड व आर.सी.सी
519	अर्चना दवे	तोरणा– आबूपर्वत	टिन शेड एवं दिवार
520	रूकसाना मंसूरी पत्नी मो. हनीफ	कुम्हारवाडा	दिवार हटाई
521	कंकूदेवी पत्नी मेगाजी	गौमुख रोड,आबूपर्वत	टिन शेड हटाया
522	भाणाराम पुत्र मदनराज	मांचगांव,आबूपर्वत	टिन शेड हटाया
523	अतिफ पुत्र लतिफ शेख	गौमुख रोड,आबूपर्वत	टिन शेड हटाया
524	जयेश चौहान पुत्र प्रकाश चौहान	शंकरमठ, आबूपर्वत	टिन शेड हटाया
525	शान्ता–व्यास	म्यूनिसपल कॉलोनी ,आबूपर्वत	टिन शेड हटाया
526	होटल चाचा–ईन	आबूपर्वत	टिन शेड हटाया व कमरे को सीज किया
527	होटल फोरेस्ट ईकोलॉज	आबूपर्वत	5 कमरे सीज किए
528	अमरनाथ गेस्ट हाउस	आबूपर्वत	12 कमरे सीज किए
529	सिद्धार्थ अग्रवाल	हेटमजीआबूपर्वत	पक्के मकान के निर्माण को ध्वस्त किया गया
530	होटल हिललॉक	आबूपर्वत	वर्क शॉप को सीज किया गया

531	अशोक कुमार	एस.टीएसी. रोड	पक्के मकान एवं टीन शेड को ध्वस्त किया गया था।
532	विक्रम सिंह	हेटमजी, आबूपर्वत	लोहे की तारबन्दी हटाई गई
533	अंजली गेस्ट हाउस	आबूपर्वत	5 कमरे सीज किये गये थे
534	अतिथि गेस्ट हाउस	आबूपर्वत	4 कमरे सीज किये गये थे
535	कमानी टयूबवेल	नक्की लेक, आबूपर्वत	रेस्टोरेन्ट सीज किया गया था
536	प्वनी पत्नी शम्भूसिंह राव	आबूपर्वत	अवैध रूपसे द्वितीय मंजिल का निर्माण करने से द्वितीय मंजिल सीज की
537	होटल समर हिल	आबूपर्वत	अवैध दिवार निर्माण करने से ध्वस्त
538	अन्नतकुमार जोशी	हेटमजी,आबूपर्वत	अवैध निर्माण एवं तारबंदी ध्वस्त कि गई
539	हॉटल अरण्य विलेज	आबूपर्वत	अवैध निर्माण
540	बुद्धाराम पुत्र चौथराम	हेटमजी,आबूपर्वत	अवैध दिवार तोडी गई एवं निर्माण सामग्री जब्त की गई
541	नटुभाई पटेल	आडा–लकडा	अवैध रूप से निर्मित कमरे को ध्वस्त किया गया
542	प्रमिला पत्नी राजकुमार गर्ग	हेटमजी, आबूपर्वत	3 कमरे ध्वस्त किये गए
543	श्यामसुंदर बंसल	ढुंढाई मोड के पास आबूपर्वत	सूखे पत्थर की चुनाई ध्वस्त की गई
544	अमृतलाल	देलवाडा, आबूपर्वत	मकान के उपर अवैध रूप से निर्मित दिवार को तोडा गया।
545	जोगेन्द आदिवाल	मिडिस्ट बंगलो के पास	पक्के कमरो को ध्वस्त किया गया
546	बंशीलाल	अम्बेडकर–कॉलोनी	टिन शेड हटाया गया
547	होटल कैसल रॉक	आडा–लकडा	2 कमरोको ध्वस्त किया गया
548	पृथ्वी सिंह चौहान	मांचगांव	छत के उपर बनी दिवार को ध्वस्त किया गया
549	गजेन्द्र सिंह	मांचगांव	अवैध रूप से निर्मित छज्जे को ध्वस्त किया गया
550	लक्ष्मण / गोपाल प्रजापत	देलवाडा,आबूपर्वत	अवैध रूप से लगाए गये टिन शेड को हटाया गया
551	उम्मेद सिंह पुत्र बाबूसिंह	हैटमजी,आबूपर्वत	1 कमरे को ध्वस्त किया गया
552	कुशवन्तराज	अधरदेवी	दुकान / केबिन को हटाया गया
553	होटल पनघट	आबूपर्वत	छत के उपर अवैध रूप से निर्मित दिवार को ध्वस्त किया गया
554	लाईट हाउस	आबूपर्वत	अवैध रूप से लगाई टाईल्स को तोडा गया एवं सामग्री को जब्त किया गया
555	अज्ञात	टॉडरॉक	चाय–पानी की दुकान को ध्वस्त किया गया
556	लक्ष्मण–मकवाना	गोराछपरा	छत पर निर्मित दिवार को तोडा एव सामग्री जब्त को जब्त किया गया

नगरपालिका आबूपर्वत सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माणों की सूची एवं उन पर की गई कार्यवाही

दिनांकः-01.02.2020 से आज दिनांक 31.08.2020

क्र.सं	अवैध निर्माणकर्त्ता का नाम	पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
557	बफात शरीफ	कुम्हारवाडा,	दिनांकः- 14.03.2020 बिना अनुमति के प्रथम तल पर आर.सी.सी. छत का निर्माण किया गया था प्रार्थी द्वारा दस्तावेज वाद संख्याः-12/2006 की प्रति बफात शरीफ बनाम नगरपालिका प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं अवैध रूप से निर्मित दिवार,पार्टीशन वॉल, अन्दर आर.सी.सी.वॉल को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
558	हिम्मत टेलर	कुम्हारवाडा,	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर कोई कार्य नहीं पाया गया। संबंधित से पुछने पर बताया कि उपखण्ड-कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर मरम्मत कार्य करवाया गया है। मकान पर पूर्व से ही आर.सी.सी. छत निर्मित है। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं मरम्मत स्वीकृति के विपरित किये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
559	अयुब खाना पुत्र लतीफ खान	दुमना	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें नगरपालिका की बिना स्वीकृति के टीन शेड की ऊँचाई बढाई गई थी. प्रकरण में नोटिस जारी किया गया जाकर टीन शेड ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
560	पंचम कनौजिया	पटेल हॉस्टल के पास,मॉचगॉव	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। उपखण्ड-कार्यालय से मरम्मत की प्राप्त स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके विपरित दीवारो का पार्टेशन,दीवार व आर.सी.सी का निर्माण किया गया था। पूर्व में भी शिकायत प्राप्त होने पर उसे पालिका टीम द्वारा ध्वस्त किया गया था वर्तमान में स्वीकृति के विपरित दीवारो का पार्टेशन,दीवार व आर.सी.सी को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
561	निरंजन शर्मा	पोलोग्राउन्ड के सामने,	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। उपखण्ड-कार्यालय से छत, स्टोर रूम,मरम्मत की प्राप्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके विपरित छज्जे के अतिरिक्त आर.सी.सी छत का निर्माण किया गया था। पालिका टीम द्वारा ध्वस्त किया गया
562	रणछोड़ देवासी	बापू-बस्ती, देलवाडा	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य जारी था। कार्य को तुरन्त प्रभाव से बन्द करवाया गया। दो कमरो का निर्माणधीन कार्य पाया गया। निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त नहीं थी। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं मरम्मत स्वीकृति के विपरित किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
563	बाबुसिंह दहिया	कुम्हारवाडा,	दिनांकः- 14.03.2020 प्राप्त शिकायत पर उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। पूर्व में भी शिकायत प्राप्त होने पर अवैध रूप से निर्मित आर.सी.सी छत, सीढी को पालिका टीम द्वारा ध्वस्त किया गया था। जो यथावत है. उपखण्ड-कार्यालय से मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की जाकर कमरो की मरम्मत की गई थी। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया एवं मरम्मत स्वीकृति के विपरित किये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।

564	जमील अहमद चूड़ीवाला	मांचगांव	दिनांकः- 14.03.2020 प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया। पुराने भवन के उपर आर.सी.सी. की छत का निर्माण होना पाया गया पूछने पर किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं पाई गई। प्रकरण में नोटिस जारी कर अवैध रूप से निर्मित आर.सी.सी.छत को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
565	हरी मधुसूदन	कुम्हारवाडा	दिनांकः- 14.03.2020 प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया।प्रार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय से मरम्मत की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करवाते हुये पाया गया।मौके पर पुराना भवन बना हुआ था। जिसकी मरम्मत की जा रही है। नई आर.सी.सी. छत का निर्माण नहीं पाया गया। भवन के अंदर नई लोहे की सीढी का निर्माण किया गया पाया। भवन के उपरी तल पर टीनशेड लगे हुये है। प्रकरण में नोटिस जारी कर स्वीकृति के विपरित किये गये कार्य का ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
566	फैज मोहम्मद	शंकरलाल शर्मा के पास कुम्हारवाडा	दिनांकः- 14.03.2020 प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया। उपरी वाली मंजिल पर पालिका की बिना स्वीकृति के पैराफीट वॉल एवं लोहे की रेलिंग का निर्माण किया गया है। जिसमें संबंधित को नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।

क्र. सं	अवैध निर्माणकर्त्ता का नाम	पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
567	शालीमार कोटेज	मांचगांव,आबूपर्वत	बिना अनुमति के दुसरी मंजिल पर अवैध छत का निर्माण किया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः- 18.06.2020 को ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई,
568	भावना देवी,	ढुढाई	उनके घर में करिब 3 फीट की ईटों की चुनाई कर दिवार बिना अनुमति के बनाई गई, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-05.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
569	नवीन टॉक	आकाश-वाणी केन्द्र के सामने, ढुढाई	बिना अनुमति के उसने घर के छज्जे का निर्माण कर दिया गया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-08.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
570	मंगू देवी	बापू-बस्ती, देलवाडा	एक कमरे का बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः- 10.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई,
571	जया कंस्ट्रक्शन, राजेन्द्रसिंह, ठेकेदार	आशापुरा रेस्टोरेन्ट के पीछे, देलवाडा	दिनांकः-20.08.2020 को अवैध रूप से संचालित की जा रहीं अवैध निर्माण सामग्री जिसमें बजरी एक ट्रॉली खड़ी पाई गई, सुचना प्राप्त होने पर, पालिका द्वारा उसे जब्त करने की कार्यवाही की गई।
572	चमनसिंह,	गोवा-गांव, देलवाडा	दो कमरो पर छत बनाकर बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-28.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई,
573	गौतमदास होटल टोपर्स्स कार्नर	सेन्टमेरी ऐरिया, सीतावन	उसके जनरेटर सेट के समीप करिब 10 फीट की ईटों की चुनाई कर दिवार बिना अनुमति के बनाई गई, जिसे नगरपालिका टीम द्वारा दिनांकः-28.08.2020 को पूर्ण ध्वस्त किया गया, अनुपालना रिपोर्ट उपखण्ड-अधिकारी को प्रदान की गई।
574	अज्ञात	देलवाडा	खसरा संख्या 37 पर अज्ञात व्यक्तियों ने हवन कुण्ड,अस्थाई मंदिर नुमा ढांचा निर्मित किया गया जिसे ध्वस्त किया गया व अनुपालना उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई।

क्र. सं	अवैध निर्माणकर्त्ता का नाम	पता	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
575	श्री नाथ रेस्टोरेन्ट	देलवाडा	दिनांकः 08.09.2020 अवैध निर्माण को पूर्णतः ध्वस्त किया गया
576	सुकेश भाटी	ढुंढाई,आबूपर्वत	दिनांकः 08.09.2020 अवैध निर्माण किया गया था,मकान बंद होने से सीज किया गया।
577	धर्मेश पटेल	सीवरेज प्लांट के सामने हेटम जी आबूपर्वत	दिनांकः 16.09.2020 चट्टान तोड कर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे ध्वस्त किया। ट्रक को उसमे रखे गए सीमेण्ट सहित एवं 6 ट्रॉली ईटों के साथ पत्थर आदि जब्त किए गए। **खनन् विभाग, सिरोही द्वारा अवैध खनन् पर खनन अधिनियम के अर्न्तगत उक्त प्रार्थी पर कुल :-94,300 रूपये शास्ती वसूल की गई।**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत राज0 जिला–सिरोही

मोनेटरीग कमेटी बैठक दिनांक विवरण

- प्रथम बैठक दिनांक :– 16.02.2010
- द्वितीय बैठक दिनांक :– 06.08.2010
- तीसरी बैठक दिनांक :– 08.02.2011
- चौथी बैठक दिनांक :– 05.03.2011
- पांचवी बैठक दिनांक :– 28.05.2011
- छठी बैठक दिनांक :– 29.09.2011
- सातवी बैठक दिनांक :– 23.02.2012
- आठवी बैठक दिनांक :– 23.03.2012
- नवी बैठक दिनांक :– 29.06.2012
- दसवीं बैठक दिनांक :– 26.04.2013 को घोषित परन्तु आदेश संख्या 2726–42 दिनांक 26.04.2013 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित।

  दसवीं बैठक 18.05.2013 को घोषित आदेश संख्या 3092 दिनांक 15.05.2013 के द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित।

  दसवीं बैठक दिनांक 04.06.2013 को घोषित परन्तु बैठक नहीं हुई।
- ग्यारवी बैठक दिनांक :– 13.07.2015
- बारवी बैठक दिनांक :– 20.07.2015
- तैरहवी बैठक दिनांक :– 03.09.2015
- चौदहवी बैठक दिनांक :– 05.02.2016
- पन्द्रवी बैठक दिनांक :– 02.06.2016
- सोल्वी बैठक दिनांक :– 23.09.2016
- सत्रहवी बैठक दिनांक :– 29.12.2016
- अठाहरवीं बैठक दिनांक :- 24.07.2017

DLB.

MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE MONITORING COMMITTEE HELD ON 16.02.2010 AT MOUNT ABU

The First meeting of the Monitoring Committee constituted vide Government of India, MoEF, Office Memorandum No. F. No.20-1/2005-IA-III dated 10th Dec 2009 under Notification No. SO1545(E) dated 25.06.2009 for Eco-Sensitive Zone, Mount Abu was held under the chairmanship of Shri V S Singh, Principal Secretary, Environment, Government of Rajasthan on 16.02.2010 at Mount Abu. The list of participants is annexed.

The District Collector, Sirohi (Member Secy) welcomed the Chairman and all the members and proposed discussion on the agenda items. Opening the discussion the Chairman emphasized on eco conservation of the zone keeping in view the significance and ecological importance of the Mount Abu Eco Sensitive Zone and the provisions contained in the Notification dated 25.06.2009 issued by the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India (GoI).

The committee noted that there are doubts and confusion prevailing among general public about the role and functional jurisdiction of the committee. It was also noted that the agenda items placed before the Committee particularly the items for according approval for repair/renovation/reconstruction did not have comprehensive background information and technical input from local body under relevant laws.

In view of above the committee decided to defer discussion on individual agenda items and lay down procedure of conducting business of the committee first. The committee also discussed on various items requiring immediate attention and took following decisions :-

1. Vide provisions contained in para-3 (1) (VII) of the notification, the monitoring committee is empowered in regard to scrutiny and approval of development activities like additions alterations, demolition, repairs, renovation and restorations of Buildings. Apparently the legal powers with the concerned authorities have to be exercised by them and the monitoring committee has to see that the same is done within the framework of stipulations under this notification. Hence, the procedure is to be established for registration, scrutiny by concerned department and submission to the committee so that matters are disposed of in time bound manner within 60 days. This should also be given due publicity.

प्रमाणित फोटो प्रति

नगर पालिका मण्डल
आबू पर्वत

2. A cell at SDO Office Mount Abu may be formed for the purpose of registration of applications, maintenance of records and providing secretarial support to the Committee. Any communications from public which require to be dealt by the committee such as complaint against illegal construction should be sent to this cell for record and follow up action. The required resources for this purpose maybe sought from Department of Environment, Government of Rajasthan.

3. People should be apprised with the correct legal position about the role and functioning of the committee including the procedure to be followed through public awareness program such as, publication in news papers, etc.

4. Since the draft master plan 2004 for Mount Abu Municipal Area has become in fructuous after the Notification of MoEF dated 25.6.2009 as it does not conform to procedures and norms laid therein. The matter should be referred to Urban Development and Housing (UDH) Department, Government of Rajasthan advising them to withdraw the existing draft master Plan and prepare new Zonal Master Plan as per the provision of the Notification. The above task of preparation of the plan is to be completed by UDH by 31-10-2010. The status of the progress would be apprised to committee by UDH in each meeting.

5. It came to notice of the committee that some area of the eco-sensitive zone lie under the jurisdiction of Gram Panchayat. This fact also came to notice of committee that UIT has been constituted for the municipal areas of Mount Abu and Abu Road. However, it is not clear whether the villages in the eco sensitive zone not falling within the municipal limits of Mt Abu are within the limits of the "Trust." Committee was of the view that to ensure uniformity of procedure for all the matters coming before the committee the whole area of eco-sensitive zone should be under a single local body and decided that the matter should be referred to UDH for appropriate action in this regard.

6. Committee showed its concern over the increasing encroachments and illegal construction activities and decided that the encroachments on the Government (forest and revenue) and municipal lands must be removed by the concerned authorities effectively and constructions which are in violation of local laws and the provisions of the notification must also be removed. The concerned authorities must adopt proper procedure in this regard.

प्रमाणित फोटो प्रति

6/7/16
आयुक्त
नगर पालिका मण्डल
माउण्ट आबू

7. The issues regarding transportation of building materials to the Mount Abu area also came up for discussion. It was felt to be the main cause behind illegal construction. Therefore, a system of registration and approval of traders carrying out sale of material for illegal construction should be developed. The traders should carry out sale of building materials for specified purposes and to persons/Institution which have got their plan approved from competent authority. The system of filing of returns by the traders may also be adopted. It was made clear that the directions are applicable to govt. institutions as well.

8. The use of plastic carry bags has been prohibited within the notified area is prohibited now. Therefore, it must be enforced accordingly.

9. In the Nakki Lake the cafeteria operated by RTDC is causing severe pollution in the Lake. The operation of the cafeteria may be got slapped or necessary instructions to regulate waste disposal may be given.

10. SDO Mount Abu, Secretary UIT Abu, Commissioner Municipality Mount Abu, should be permanent invitee members in the meeting of the committee.

The meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

प्रमाणित फोटो प्रति

आयुक्त

आबू पर्वत

(P Ramesh)
Member Secretary
(Collector), Sirohi

List of Participants

1. Shri P Ramesh, District Collector, Sirohi
2. Smt Gangaben Garasia, MLA, Abu-Pindwara
3. Shri Bishnu C Mallick, SDO, Mount Abu
4. Shri Devisingh Malasar
5. Dr Gyan Prakash
6. Shri Anil Mathur
7. Shri C P Singh, DCF, Mount Abu
8. Shri Neeraj Khatri, Deputy Director, MoEF, GoI, New Delhi
9. Shri R P Beniwal, DTP, Jodhpur
10. Shri Ramesh Tomar, Regional Officer, Raj State Pollution Contol Board, Pali
11. Shri Jagveer Singh, Secy, UIT, ABU
12. Mahendra Singh, Commissioner, Municipality, Mount Abu

(II)

F THE SECOND MEETING OF THE MONITORING ITTEE HELD ON 06.08.2010 AT MOUNT ABU

The Second meeting of the monitoring Committee Constituted vide Government of India, MOEF, Office Memorandum No F. 20-1/2005-IA III dated 10th Dec 2009 under Notification No SO1545(E) dated 25.06.2009 for Eco-Sensitive Zone, Mount Abu was held under the chairmanship of Shri Sudarsan Sethi Divisional Commissioner, Jodhpur, on 06.8.2010 at Mount Abu. The list of participants is annexed.

The district Collector, Sirohi (Member Secy) welcomed the chairman and all the members and proposed discussion on the minutes of the first meeting of the Committee and on the Action taken Report there after. Opening the discussion the Chairman again emphasized on eco conservation of the zone keeping in view the significance and ecological importance of Mount Abu Eco-Sensitive Zone and the provisions contained in the above notification.

1. **Confirmation of the minutes of the first meeting.**

Member secretary of the committee placed the minutes of the first meeting for confirmation. Shri Devisingh Malasar & Dr. Gyan Prakash objected to for not recording the correct minutes of the first meeting as below:-

a) The Chairman asked the Sen. Town Planner, Jodhpur to include Sal Gaon Dam in the Zonal Master Plan being prepared and to notify 110 hectors to be notified as "no construction zone".

b) The area surrounding Nakki Lake is in "no construction zone". Therefore, all construction activities are banned. The Chairman told that since this area is declared as no construction zone by competent authority, it should be complied strictly.

c) In the first meeting, it was decided that all application for repair and renovations will be received by the SDO office Mount Abu which will be duly registered, then they will be forwarded to the Municipal Board. The Municipal Board will scrutinize all applications with the help of technical staff then will submit to the Monitoring Committee in their meetings. The Member Secretary then placed the corrected minutes of the first meeting and were confirmed.

2. **Action taken report (ATR) on the decisions of the first meeting.**

a) Decision point -1: SDO Mount Abu briefed the committee that procedure for receiving and registration of applications for addition/ alteration/ repairs/ renovations etc. has been started. The applications are been obtained in municipality as well as in SDO Office. The system of scrutiny of the applications by the concerned departments in the time-bound manner is to be enforced so that applications are disposed off in time-bound manner

b) Decision point -2: SDO Mount Abu briefed the committee that due to lack of staff the cell at SDO Office has not constituted but the functions assigned to the cell have been started. The chairman suggested that man-with machine (computer operator) should be hired for the time being for support and assistance to the SDO office as per guidelines of Finance Department.

c) Decision point -3: member secretary (collector) briefed that some publicity has been carried out but still there is a need of publicity about the correct legal position and regarding the role and functioning of the monitoring committee, and Central Empowered Committee (CEC), and also about the decision of the Honourable Supreme Court in this regard. The chairman directed for wide publicity through news papers so that common man is got apprised.

d) Decision point -4: STP (Senior Town Planner) briefed in the meeting that the task of preparation of Zonal Master Plan is in progress and the work of preparing Zonal Master Plane is likely to be assigned to the consultant by the mid of September 2010. The chairman directed STP to follow-up the work constantly so that Zonal Master Plan is prepared by the time lined fixed.

e) Decision point -5: member secretary (collector) apprised in the meeting that the opinion of the committee in this regard has been communicated to UDH. The Chairman Directed the STP to consider the opinion during the preparation of Zonal master plan.

f) Decision point -6: member secretary (collector) briefed in the meeting that the concerned authorities/Departments are taking steps for removing encroachments & illegal constructions as per their procedure in this regard.

g) Decision point -7: Regarding issues of transportation building material to Mount Abu, the member Secretary (collector) apprised that a notification by the department of Environment & Forest, Govt. of Rajasthan has been issued for regulation of sale & transportation of building material in the Eco Sensitive zone. The chairman emphasized for the effective enforcement of the notification.

h) Decision point -8: The Municipal Commissioner informed that ban on the use of plastic bags is being enforced from 1st of August 2010 and due publicity of this order is being carried out and it is emphasized that penalties will be imposed on defaulter according to the law. The Chairman instructed the Commissioner municipality to widely publicize the Government order on regular basis for the local people as well as the tourist coming from outside.

i) Decision point -9: member secretary (collector) briefed that RTDC is to take necessary action in this regard. Chairman directed that RTDC may submit report on the action taken before the next meeting.

j) Decision point -10: has been complied with.

3- **AGENDA OF SECOND MEETING**

Item No.:

i. The Municipal Commissioner placed before the Committee the applications for repairs and renovations along with the list of names of applicants.

   The Chairman after seeing some files, told the Commissioner to properly scrutinize all the files which were presented in the first meeting, the second meeting and till date of the 3rd meeting and to put his remarks on each files after getting it duly checked by technical staff.

   It was requested by the Commissioner as they were running short of working staff and the Municipal Board. Hence, these files may not be completed by 31-8-2010 date for the next meeting. The Chairman then told the Secretary UIT and Town Planning Department to release some office staff to help the Municipality to prepare the files.

ii. Decision will be taken in the third meeting of the Monitoring Committee on the files presented by the relevant departments.

iii. The Chairman told the S.D.O. Mount Abu and the Municipal Commissioner, Mount Abu to prepare a list of all those illegal constructions done in violation of Hon. Supreme Court order on revenue land and Municipal land.

PUBLIC UTILITY WORK

i Regarding development of Nakki Lake and its surrounding area to be considered. As government of India's grant is going to be given; a proper plan should be prepared for the execution of the said plan of beautification.

ii. **Salgaon Dam:** - Permission for the Dam has been given by National Board of Wild Life and is pending for final permission from Hon. Supreme Court of India. The Collector Sirohi has already forwarded a recommendation to Govt. of Rajasthan to acquire 54 hectors of agriculture private land of Village Salgaon land which is going to be submersed in the future construction of the Dam. The

private agriculture land falling (54 hectors) surrounding the submersion area to be notified as no construction zone in the new zonal master plan.

iii. All departments of Central/State Government in Mount Abu will be permitted to carry out repair and renovation works according to their plan. Repair and renovation of the Municipal Library is allowed. Construction of Conference Hall in S.D.O.'s office according to plans is also permitted.

iv. To conserve Rain Water, the construction of Anicuts will be allowed on Municipal and Revenue land.

v. Permission for carrying out severage treatment plant at Mount Abu granted.

vi. The government authorities at Mount Abu to prepare plans for water harvesting structures in Municipal areas as required by Govt. of Rajasthan.

vii. Repair and renovation of existing filter plant of Mount Abu is allowed on priority basis.

viii. Repair of the Upper Kodra Dam allowed on priority.

WITH THE PERMISSION OF THE CHAIRMAN

1. The Senior Town Planner informed that draft Zonal Master plan will be prepared by end of September 2010. The Chairman told him to give a definite date and try to expedite the work of the plan. The Chairman also told that UIT and Town Planning department must coordinate while preparing the draft zonal master plan.
2. The Municipal Commissioner informed that ban on the use of plastic bags is being enforced from 1st of August 2010 and due publicity of this order is being carried out and it is emphasized that penalties will be imposed on defaulter according to the law. The Chairman instructed the Commissioner municipality to widely publicise the Government order on regular basis for the local people as well as the tourist coming from outside.
3. The Chairman told the Member RTDC to scrutinize applications for paying guest house properly before granting permission for such guest houses in the town. In the next meeting, rules & regulations regarding paying guest houses should be presented for information.
4. Some members requested that the form to be filled for repairs and renovations is very cumbersome which is very difficult for a common man to be filled. The Chairman told the Commissioner Municipality to prepare a new format for repairs and renovations. He was also told that all applications for repairs and renovation which were placed before the first & second meetings and also the applications that will be subsequently obtained be scrutinized and placed before the Committee.
5. The Committee also decided that all encroachments on government land and illegal buildings on private land which have been constructed without prior permission should be demolished in a phased manner and report should be submitted.
6. The Committee considered that a sub surface barrier near lakhma ji beta should be built; this will help in stopping erosion of soil as well as recharge the subsoil water level. It will help in preserving water for drinking purpose for the animals and in emergency for human being also.
7. The Chairman informed regarding application for new constructions cannot be entertained at the present as the ban on new constructions is still applicable. The

private agriculture land falling (54 hectors) surrounding the submersion area to be notified as no construction zone in the new zonal master plan.

iii. All departments of Central/State Government in Mount Abu will be permitted to carry out repair and renovation works according to their plan. Repair and renovation of the Municipal Library is allowed. Construction of Conference Hall in S.D.O.'s office according to plans is also permitted.

iv. To conserve Rain Water, the construction of Anicuts will be allowed on Municipal and Revenue land.

v. Permission for carrying out sewerage treatment plant at Mount Abu granted.

vi. The government authorities at Mount Abu to prepare plans for water harvesting structures in Municipal areas as required by Govt. of Rajasthan.

vii. Repair and renovation of exising filter plant of Mount Abu is allowed on priority basis.

viii. Repair of the Upper Kodra Dam allowed on priority.

WITH THE PERMISSION OF THE CHAIRMAN

1. The Senior Town Planner informed that draft Zonal Master plan will be prepared by end of September 2010. The Chairman told him to give a definite date and try to expedite the work of the plan. The Chairman also told that UIT and Town Planning department must coordinate while preparing the draft zonal master plan.
2. The Municipal Commissioner informed that ban on the use of plastic bags is being enforced from 1st of August 2010 and due publicity of this order is being carried out and it is emphasized that penalties will be imposed on defaulter according to the law. The Chairman instructed the Commissioner municipality to widely publicise the Government order on regular basis for the local people as well as the tourist coming from outside.
3. The Chairman told the Member RTDC to scrutinize applications for paying guest house properly before granting permission for such guest houses in the town. In the next meeting, rules & regulations regarding paying guest houses should be presented for information.
4. Some members requested that the form to be filled for repairs and renovations is very cumbersome which is very difficult for a common man to be filled. The Chairman told the Commissioner Municipality to prepare a new format for repairs and renovations. He was also told that all applications for repairs and renovation which were placed before the first & second meetings and also the applications that will be subsequently obtained be scrutinized and placed before the Committee.
5. The Committee also decided that all encroachments on government land and illegal buildings on private land which have been constructed without prior permission should be demolished in a phased manner and report should be submitted.
6. The Committee considered that a sub surface barrier near lakhma ji bera should be built; this will help in stopping erosion of soil as well as recharge the subsoil water level. It will help in preserving water for drinking purpose for the animals and in emergency for human being also.
7. The Chairman informed regarding application for new constructions cannot be entertained at the present as the ban on new constructions is still applicable. The

4

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SIROHI

No. F.34(8)(2)Gen/2010/ 240 Dated 14th February 2011

To

1. P.S to Divisional Commissioner, Jodhpur.
2. Smt. Gangaben, MLA, Abu-Pindwara, Manpur, Aburoad
3. Advisor, Ministry of Forest and Environment, New Delhi.
4. Dy. Conservator (Wild Life), Mount Abu
5. Shri Devi Singh Salasar, Vasundhara, Shankarmat Road, Mt.Abu
6. Shri R.g. Soni, PCCF(Retd), 40/74 Swarnapath, Mansarover,Jaipur
7. Shri Anil Mathur, Wing of Research in Local Dev. Mount Abu
8. Senior Town Planner, Jodhpur
9. Regional Officer, Pollution Control Board, Pali
10. Assistant Director, Tourism, Mount Abu.
11. SDO, Mount Abu (Nodal Officer).
12. Secretary, UIT, Aburoad.
13. Commissioner Municipal Board, Mount Abu.

Sub: minutes of the 3rd meeting of Abu monitoring Committee held on 8th February 2011

Sir,

Please find enclosed herewith the minutes of the 3rd meeting of Abu Monitoring Committee held on 8-2-2011 under the chairmanship of Divisional Commissioner (Chairman), Jodhpur for perusal and necessary action.

Yours faithfully,

(Shriram Meena)
Secretary (Collector)
Sirohi

5	10	445	श्रीमति सुशीला देवी बंशीधर, सानी गांव	हां	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लींथ एरिया,F.A.R एवं उंचाई परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत
22	53	प्रा.प.दि. 02.02.10	श्री नथमल मुन्शीलाल, बाज़ार आबूपर्वत	हां	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लींथ एरिया,F.A.R एवं उंचाई परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत
25	67	प्रा.प.दि. 09.02.10	श्री दुर्गा दवी पत्नि अमरचन्द सिंघल, माण्उट गैस सर्विस	हां	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लींथ एरिया,F.A.R एवं उंचाई परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत
[illegible]	[illegible]	प्रा.प.दि. 11.02.10	श्रीमति मीता धनानी, गोरा छपरा आबूपर्वत	हां	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लींथ एरिया,F.A.R एवं उंचाइ परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत
29	104	16.07.10	श्रीमति चन्द्रभागा अग्रवाल पत्नि श्री कैलाशचन्द्र, सदर बाजार, आबूपर्वत	हां	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लींथ एरिया,F.A.R एवं उंचाई परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत
30	115	04.08.10	श्री प्यारेलाल अग्रवाल, बाजार, आबूपर्वत		सीढी निर्माण की स्वीकृति

कुल :- 8 प्रकरण

Minutes of the third meeting of the Monitoring Committee held on 8th February 2011 at Sirohi

The third meeting of the monitoring committee vide Govt. of India office memo No. F/No./20-1/2005-IA-3 dated 10.12.07 under notification No. So 1545 (E) Dated 25.6.2009 for Eco Sensitive Zone, Mount Abu was held under the chairmanship of Shri R.K.Jain, Divisional Commissioner Jodhpur on 8.2.2011 at Sirohi. The list of participants is annexed.

The District Collector Sirohi (Member Secretary) welcomed the chairman & all the members and proposed discussion on the agenda items in detail. The following decisions were taken in the meeting.

II. Confirmation of the minutes of the second meeting dated 6.8.2010

The minutes of the meeting of the committee dated 6.8.2010 had been circulated to the members and the minutes were confirmed unanimously.

III. Decision on the report to be submitted by the committee constituted under chairmanship of Superintendent Engineer PWD sirohi regarding Master plan of Mt. Abu

The chairman enquired on the purpose of the committee and the status of the work carried out so far. On knowing that the committee has not started its work of developing an integrated road plan the Chairman directed that it should be completed before the next meeting of the Monitoring Committee and the progress of the work be intimated to the member secretary (Collector, Sirohi) from time to time.

The Senior Town Planner, Jodhpur Briefed that the task of preparation of draft Master Plan was outsourced to the School of Planning and Architecture, New Delhi. The demonstration of the said Master Plan is scheduled to be on 21.2.2011 at the state level.

The Committee agreed that the Zonal Master Plan for the Eco Sensitive Zone should be finalized as early as possible so that a clear picture emerges on development of Mt. Abu. The Chairman directed the STP for arranging a demonstration before the Monitoring Committee before the next formal meeting so that inputs and suggestions of the Monitoring Committee can be incorporated.

IV. Decision on application for repair, renovation and fresh construction.

The Commissioner, Municipality Mt. Abu briefed the Committee that 114 application are proposed to be placed before the committee for consideration and decision. He also said that all the applications have been checked and verified as per records and on site. The committee then decided that in this meeting the cases of repair and renovation are to be taken up for consideration. The Committee also took the view that the repair should be allowed for all types of building including commercial, residential, institutional etc. For renovation only residential buildings should be considered in this meeting.

The Committee also decided that the permission for repairing and renovation is subject to the condition that the applicant holds the Legal Title as well as the legal sanctioned plan. Also the height, plinth area, F.A.R. and the existing set back will not be changed. Photos of the three stages of the construction i.e., starting, progress and finishing in case of renovation & starting and finishing in repair cases should be submitted along with the completion report. The Municipal authorities are to ensure that the work of repair and renovation is carried out within the guidelines as said above.

Some cases of buildings that are more than 50 year's old without approved building map/plan were also brought to the notice of the

committee. Permission for repair and renovation of such residential buildings would be allowed subject to the applicant holding the legal Title.

On the basis of above guide lines the 20 cases for repair and 32 cases for renovation were granted permission. The list is enclosed.

13 cases for repair and renovation were kept pending and 49 were rejected showing the reason before them in the list appended.

The case of installation of lift in Hotel Sheratone was considered by the committee and was decided that the case comes under the category of facility and not under repair or renovation. So the installation of lift was permitted.

IV(A) Approval of Plan & drawing of incomplete constructions :-

Commissioner Municipality informed the committee that the number of such cases are few. The committee was of the view that site inspection would be done by the committee and the decision taken thereafter.

IV (B) Approval of revised Plan regarding Shri Kishan Chand Pritamdas

Committee decided that the decision would be taken after the site inspection.

V. Action against encroachments

The chairman of the committee desired to know the nature & number of cases of illegal construction in violation of the Hon. S.C. order. The Commissioner Municipality Mt. Abu informed that more than 500 cases of illegal constructions exits which are of repair, renovation as well as of new construction. After discussion at length the committee was of the view that these cases should be categorised so that the genuine cases of regularisation with compound fee may be referred to state govt. for further directions. The work of identification

and categorization shall be completed by the Municipality before the next meeting.

VI. The committee also discussed the matter pertaining to the encroachments on Govt. land (Municipality/Forest/Revenue) As per the decision taken in the first meeting the encroachments must be removed by the concerned authorities. It must be complied with strictly and action taken report be put up in the next meeting.

VII – Public Utility Works

(1) Development of Nakki Lake :- The Project under NLCP (National Lake Conservation Plan) was put up by Secretary, UIT and various components for rejuvenation of the lake as per the proposal were approved by the committee.

(2) Salgaon Dam :- Some members of the committee informed that the proposed Salgaon Dam project has been decided as not feasible by the water resources dept., Therefore the committee decided to keep the matter out of committee's purview for the time being.

VIII – Health Care Centre

(1) As it involves allotment of land for new construction decision is deferred on the issue.

IX – Tourism Development

(1) It was decided in principle to grant PG Houses permission as per procedure after scrutiny & ensuring RTDC/ITDC norms

(2) Decision on Great India Hotels (P) Ltd. for establishment of eco friendly resort will be taken after the committee makes a site inspection.

X - Decision was taken on the RTDC sublette cafeteria in nakki lake in the first meeting. It has to be complied with.

XI- other issues with the permission of the chair

1) Regarding sale & transportation of building material in Eco sensitive Zone.

Govt. of Rajasthan MOE&F had issued notification No.F.12(3)Env/Dir/2009 whereby sale & transportation of building material in Eco sensitive Zone is regulated. The Committee expressed concern that it is not being implemented effectively. Hence the Collector is authorised to frame a strategy to enforce the notification without violating the Court's order and SDM Mt. Abu shall be the nodal officer for implementing the strategy.

2) To ensure demolition of illegal construction and removal of encroachments, Commissioner requested for a separate enforcement squad as this is important in ensuring Supreme Court order. The committee decided that commissioner shall give a written proposal and the Chairman shall forward it to Govt. for approval. The expenses on such squad shall be borne by the Municipality.

3) Member Secratary (Collector) apprised the Committee that funds have been sanctioned by Social Justice dept. for construction of two SC & ST hostels. CRPF also had submitted a major plan for developing their infrastructure including new construction. After discussion the committee authorized chairman to grant permission to ensure that the funds do not lapse.

4) The chairman showed concern on postponement of meetings in the past and emphasized on timely meetings and needful decisions in future.

The meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

Shriram Meena
Member secretary
(Collector, Sirohi)

सूची संख्या 1 मरम्मत के मामलों मरम्मत स्वीकृति प्रकरण सूची ।

क्र. सं.	मू.प. सं.	प्रकरण संख्या	नाम व पता	स्वामित्व	रिमार्क (कार्य के 3 स्टेज में फोटो प्रस्तुत किये जाने एवं बिना प्लिन्थ ऐरिया व ऊंचाई में परिवर्तन किये जाने की दशा में एवं स्वामित्व एवं पूर्व स्वीकृती की दशा में मरम्मत स्वीकृत)
3	7	432	राजभवन	हां	मरम्मत स्वीकृत
4	9	441	सर्किट हाउस, धौलपुर हाउस, मिनिस्टर कोटेज	हां	मरम्मत स्वीकृत
6	11	395	श्रीमति निर्मला शर्मा, बिहारी जी मन्दिर	हां	मरम्मत स्वीकृत
[illegible]	[illegible]	454	श्रीमति लता उदियन सेठ, गोरा छपरा	नहीं	मरम्मत स्वीकृत
11	19	458	श्रीमति मधुलिका कुमारी (पार्टनर) बीकानेर हाउस	हां	मरम्मत स्वीकृत
12	24	463	गुफिक प्राईवेट लिमिटेड, होटल जाल	हां	मरम्मत स्वीकृत
14	30	469	मैनेजर सर्किट हाउस, 1. विश्राम भवन 2. होली डे होम, 3. मिनीस्टर कोटेज	सरकारी सम्पति	मरम्मत स्वीकृत
15	32	471	राजस्थली (न.पा. सम्पत्ति) ईन्चार्ज	न.पा. सम्पति	मरम्मत स्वीकृत
16	34	प्रा.प.दि. 8.12.09	नेव फिरोज एवं नोसिब मेरवानजी, इस्ट व्यू, अन्धजन पुर्नवास केन्द्र आबूपर्वत	हां	मरम्मत स्वीकृत

17	37	प्रा.प.दि. 20.01.10	श्री नारायण जगाजी, नेहरू कोलोनी, मांच गांव	हां	मरम्मत स्वीकृत
20	44	प्रा.प.दि. 01.02.10	एस.बी.बी.जे. आबूपर्वत	न.पा. सम्पति	मरम्मत स्वीकृत
23	60	प्रा.प.दि. 05.02.10	श्री रतनलाल लोयलूमल, देवारा भवन	हां	मरम्मत स्वीकृत
24	62	प्रा.प.दि. 08.02.10	श्री सरदार भगत सिंह पेशूमल, सामी गांव	हां	मरम्मत स्वीकृत
31	117	19.08.10	सहायक अभियन्ता, इन्जिनीयर ट्यूरिस्ट कोरपोरेशन आबूपर्वत		मरम्मत स्वीकृत

कुल 14 प्रकरण

सूची संख्या 1 मरम्मत के मामलें नवीनीकरण स्वीकृति प्रकरण सूची ।

क्र. सं.	मू.प. सं.	प्रकरण संख्या	नाम व पता	स्वामित्व	विशेष विवरण (कार्य के 3 स्टेज में फोटो प्रस्तुत किये जाने एवं बिना प्लिन्थ ऐरिया, F.A.R व उंचाई में परिर्वतन किये जाने की दशा में एवं स्वामित्व एवं पूर्व स्वीकृती की दशा में नवीनीकरण स्वीकृत)
1	2	363	प्रबन्ध निर्देशक, जोधपुर (लेक हाउस)	एच.एस. जो. 99 वर्षीय लीज	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लीथ एरिया, F.A.R एवं उंचाई परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत
2	4	358	श्री नगेन्द्र सिंह, पोकरण हाउस	हां	प्रस्तावित नवीनीकरण प्लीथ एरिया, F.A.R एवं उंचाई परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत

Government of Rajasthan
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SIROHI

Dated ... March 2011

1. P.S to Divisional Commissioner, Jodhpur.
2. Smt. Gangaben, MLA, Abu-Pindwara, Manpur, Aburoad
3. Advisor, Ministry of Forest and Environment, New Delhi.
4. Dy. Conservator (Wild Life), Mount Abu
5. Shri Devi Singh Salasar, Vasundhara Shankarmat Road, Mt.Abu
6. Shri R.g ... (Retd), 40/74 Swarnapath Mansarover, Jaipur
7. Shri Anil Mathur, Wing of Research in Local Dev. Mount Abu
8. Senior Town Planner, Jodhpur
9. Regional Officer, Pollution Control Board, Pali
10. Assistant Director, Tourism, Mount Abu
11. SDO, Mount Abu (Nodal Officer).
12. Secretary, UIT, Aburoad.
13. Commissioner Municipal Board, Mount Abu.

Sub: minutes of the meeting of Abu monitoring Committee held on 5-3-2011

Please find enclosed herewith the minutes of the meeting of Abu Monitoring Committee held on 5-3-2011 under the chairmanship of Divisional Commissioner (Chairman), Jodhpur for perusal and necessary action.

Yours faithfully,

(Shriram Meena)
Secretary (Collector)
Sirohi

Copy to P.A. To Collector, Sirohi

Commissioner

Secretary (Collector)
Sirohi

Scanned by CamScanner

...कमेटी दिनांक 05.03.2011 में रखे प्रकरण के स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रास्थिति/निर्णय

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	नाम व पता	स्वामित्व	भूमि का प्रयोजन	विशेष विवरण/निर्णय
		[illegible]	[illegible]	व्यावसायिक	स्थगित । आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र (फोटोप्रति) अस्पष्ट होने से एवं मानचित्र की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से मौका स्थिति का विस्तृत विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
[illegible]	15.09.10	श्री किशन रामाजी, कुम्हारवाड़ा	हां	आवासीय	अस्वीकृत । लीज डीड/पट्टे के अभाव में स्वामित्व के दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकृत ।
[illegible]	431	श्री वंशीधर अग्रवाल व अन्य	हां	आवासीय	स्थगित । मौके की विस्तृत रिपोर्ट साईट प्लान निर्मित/अनिर्मित क्षेत्र का आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
6	435	श्रीमती सरोज देवी ओम प्रकाश, बाजार	नहीं	आवासीय	स्थगित । वर्तमान निर्मित भवन का नक्शा मय क्षेत्रफल का अभाव होने से आगामी बैठक में रखा जावें।
[illegible]	प्रा.प.दि. 27.01.10	श्री अशोक कुमार वासूदेव, शिवाजी मार्ग (देवी भवन)	हां	आवासीय	स्थगित । निर्मित भवन के पूर्ण विस्तृत विवरण का अभाव। विस्तृत विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
70	प्रा.प.दि. 11.02.10	हाजी कदीर अहमद वशीर अहमद कुरैशी, चम्पा कुंआ के पास	हां	आवासीय	निरस्त । प्रथम तल पर प्लान के विरूद्ध अवैध निर्माण होने से निरस्त।
63	18.03.2010	श्रीमती [illegible], [illegible], 172 [illegible]	हां	आवासीय	निरस्त । स्वामित्व के दस्तावेज अस्पष्ट एवं संदेहास्पद

Scanned by CamScanner

						निरस्त। फर्जी पट्टे के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जावे।
8		19.03.2010	श्री [illegible], [illegible] नगर		आवासीय	निरस्त। स्वामित्व के दस्तावेज संतोषप्रद नहीं होने के कारण निरस्त।
9	33	01.04.2010	होटल [illegible] (होटल अर्चना) [illegible]	हां	वाणिज्यिक	स्थगित। अनुरक्षित भवन को सुरक्षित करने में किये गये अवैध निर्माण की औचित्यता की जाँच एवं पूर्व में निर्माण के विवरण मय नक्शे सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
10	56	प्रा.प.दि. 05.02.2010	श्री चन्दन अग्रवाल/विनोद कुमार अग्रवाल, [illegible] हाउस (लॉज) राजेन्द्र मार्ग, आयुर्वेद	हां	आवासीय	स्थगित। विस्तृत साईट प्लान के अभाव के कारण विचाराधीन, पूर्व स्वीकृत नक्शे के क्षेत्रफल मिलान का अभाव। पूर्ण विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
			श्रीमती मीरा पत्नि [illegible], [illegible] मार्ग, आयुर्वेद	[illegible]	वाणिज्यिक	निरस्त। प्रार्थी द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने के कारण अस्वीकृत।
12			श्री स्वामीनारायण मन्दिर ट्रस्ट	हां	सार्वजनिक	स्वीकृत। पूर्व में स्वीकृत प्लान के प्रस्तुतीकरण तथा वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के निर्माण करने की शर्त पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट के दस्तावेज मय शपथ पत्र प्रस्तुतीकरण पर सशर्त स्वीकृत।
13			श्री [illegible] मोहन राधाकिशन, कुम्हारवाडा	हां	आवासीय	निरस्त। प्रथम तल पर निर्माण की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है। अतः निरस्त।

Scanned by CamScanner

21			श्रीमती चांदकुवंर माथुर पत्नि सूरजकरण माथुर, राईजिंग सन, आडा लकड़ा	हां	आवासीय	स्थगित । निर्मित भवन की सर्वे रिपोर्ट एवं कृषि की भी विस्तृत सर्वे रि. के अभाव के कारण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
22			श्री देवनदास कलवानी पुत्र श्री वासुदेव कलवानी, नगरपालिका शोपिंग काम्पलैक्स के पीछे, आबूपर्वत	हां	आवासीय	स्वीकृत। प्रस्तावित आवासीय नवीनीकरण प्लीन्थ ऐरिया, एफएआर, ऊंचाई एवं संरचना परिवर्तन नहीं करने की दशा में स्वीकृत।

14		श्री लाल मुहम्मद [illegible] पुत्र [illegible], [illegible]	हां	[illegible]	स्थगित। ✓ मौका की स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन कृषि भूमि / अकृषि भूमि एवं नाले की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में लंबित। आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
15		श्री नजीर मोहम्मद	हां	आवासीय	निरस्त। खुला भूखण्ड है, अतः स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।
16		श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नि सतीश अग्रवाल, भीट मार्केट	हां	आवासीय	स्थगित। वर्तमान निर्मित भवन के विस्तृत तकनीकी सर्वे रिपो- का अभाव । अतः आगा- बैठक में प्रस्तु-
17		श्रीमती धापूबाई स्व. तुलसीराम श्री बाबूलाल सोनी तुलसीराम जी सोनी	हां	आवासीय	निरस्त। अवैध निर्माण होने निरस्त।
18		श्री के.के. बारासैनी, सानी गांव	हां	आवासीय	निरस्त। स्वामित्व संबधी संतोषज दस्तावेजों के अभाव में वर्तमान निर्मित भवन विस्तृत रिपोर्ट के अभाव कारण निरस्त।
		श्री के.के. बारासैनी, सानी गांव	हां	आवासीय	निरस्त। स्वामित्व संबधी संतोष दस्तावेजों के अभाव मे वर्तमान निर्मित भवन विस्तृत रिपोर्ट के अभा कारण निरस्त।
20 ✓		श्रीमती ऊमा अग्रवाल पत्नि स्व. श्री महेन्द्र सिंह गुप्ता, देलवाड़ा भीलवास कोलोनी	हां	आवासीय	स्वीकृत। प्रस्तावित नवीन प्लीन्थ ऐरिया, एव ऊंचाई एवं संरचना प नहीं करने की द स्वीकृत।

विचाराधीन प्रकरण सूची दिनाक 08.02.2011 एवं दिनांक 06.03.2011 को स्थल निरीक्षण ऊपरान्त प्रतिवेदन/निर्णय :-

क्र.सं.	नाम व पता	स्वामित्व	भूमि का प्रयोजन	विशेष विवरण / निर्णय
1	कैलाश कुमार किशनलाल अग्रवाल, ढुंढाई, खसरा नं. 245	हाँ	आवासीय	स्थगित । मौके की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट का अभाव। आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
2	श्रीमती शान्ति देवी रामप्रताप सैनी, देलवाडा	हाँ	आवासीय/ व्यवसायिक	स्थगित । मौके की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट का अभाव। आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
3	पंचवटी धर्मशाला, देलवाडा	हाँ	सार्वजनिक	स्वीकृत सार्वजनिक धर्मशाला ट्रस्ट पंजीयन की प्रतिलिपी प्रस्तुतीकरण की दशा में मरम्मत कार्य स्वीकृत (प्लीन्थ एरिया ऊंचाई एफएआर एवं संरचना परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर)।
4	श्री किशनलाल रेवा शंकर जानी, राजेन्द्र होटल, राजेन्द्र मार्ग	हाँ	व्यवसायिक	स्वीकृत वांछित मरम्मत स्वीकृति बिना ढांचागत परिर्वतन शपथ पत्र लेकर मरम्मत कार्य स्वीकृत (प्लीन्थ एरिया ऊंचाई एफएआर एवं संरचना परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर)।
5	श्री बांकेलाल पाण्डे सियाराम पाण्डे, नक्की लेक आबूपर्वत	हाँ	व्यवसायिक	स्थगित । निर्मित भवन का विस्तृत प्रतिवेदन, सर्वे रिपोर्ट का अभाव आगामी बैठक

				हेतु।
6	होटल कनिष्का, मांच गांव आबूपर्वत	हॉं	व्यावसायिक	स्वीकृत लीज अवधि बढाये जाने एवं वर्षा जल संग्रहण संरचना निर्माण की दशा में मरम्मत कार्य स्वीकृत (प्लीन्थ एरिया ऊचाई एफएआर एवं संरचना परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर)।
7	श्री युसुफ खान पुत्र श्री सरदार बुलन्द खान, गुडलक मोटर गैरेज	हॉं	व्यावसायिक	स्वीकृत पालिका स्तर पर नाले एवं नाले के समानान्तर खुली भूमि पर तारबंदी कर पालिका बोर्ड लगाने के पश्चात् एवं प्लीन्थ एरिया ऊचाई एफएआर व संरचना परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर नवीनीकरण स्वीकृत।
8	होटल देवदर्शन, शंकरलाल कल्लाजी	पूर्व स्वीकृति	व्यवसायिक	स्वीकृत पूर्व में पालिका द्वारा प्रदत्त मरम्मत स्वीकृति की अवधि एक वर्ष हेतु बढाई जाती है। (प्लीन्थ एरिया ऊंचाई एफएआर एवं संरचना परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर)।
9	श्री एम.के. देवतसिंह, केसर पैलेस, केशर गार्डन, आबूपर्वत	हॉं	व्यवसायिक	स्वीकृत सनसेट रोड स्थित ऊघान में स्थित भवन रिपेयर कार्य स्वीकृत। (प्लीन्थ एरिया ऊंचाई एफएआर एवं संरचना परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर)।
10	श्री किशनचन्द प्रितमदास, हिना रिसोर्ट, पशु चिकित्सालय के सामने, आबूपर्वत	हॉं	व्यवसायिक	सैद्धान्तिक स्वीकृति (As per earlier approval/ commitment)

			खातेदारी भूमि पर जो निर्माण कार्य समय से अनुज्ञा गया है एवं राज्य सरकार ने संशोधित भवन निर्माण मानचित्रों की अनुशंषा की है उसकी स्वीकृति सैद्धान्तिकरूप से दी जाती है ।
गेट इण्डिया, ईको फेण्डली रिसोर्ट	हाँ	व्यवसायिक	स्वीकृत। कॉटेज बनाने हेतु भूमि समतल करने ,सिवरेज लाईन डालने हेतु, बाथरूम निर्माण, वर्षा जल संग्रहण संरचना निर्माण एवं सुरक्षा की दृष्टि से तीन फिट तक निर्माण सामग्री प्रयुक्त कर सकेंगे । तीन फिट के उपर बांस, लकडी इत्यादि (non constructed material)प्रयुक्त करेंगे । कोई चट्टान आदि नही तोडने, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्थ, उपरान्त वर्तमान में स्थित ईको फेंडली स्ट्रकचर स्थापित करने, वर्षा जल संरचना निर्माण किये जाने की शर्त पर स्वीकृत । आवेदक वांछित शपथपत्र एवं विस्तृत ले आउट प्लान नगरपालिका माउन्ट आबू को प्रस्तुत करें ।

			इस प्रकरण में कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया । स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री किशनचन्द प्रितमदास द्वारा एक स्टोरी तक निर्माण कर दूसरी स्टोरी के पिल्लर भरे गये है अर्थात निर्माण कार्य काफी समय सम अधुरा है । जहाँ तक उक्त रिसोर्ट की भूमि के आगे 300 वर्गगज भूमि का प्रश्न है । राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि भू–पट्टी के रूप में दिनांक 23.5.03 को अपने आदेश कमांक 55(64/3)प्रीए/एसई/ डीएलबी/ 01 / 3045 के द्वारा आवासीय आरक्षित दर की दोगुनी दर पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की हुई है । इसी आदेश में यह भी उल्लेखित है कि विभाग के आदेश दिनांक 23.8.01 के अनुसार संशोधित भवन निर्माण मानचित्रों की स्वीकृति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटने या उसमें छूट/शिथिलता मिलने के पश्चात नियमानुसार आयुक्त, नगरपालिका द्वारा जारी की जायेगी । भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा व भूमि पार्किंग या ग्रीनरी/सौन्दर्यकरण हेतू ही उपयोग में ली जावें तथा इस बाबत आवेदक से लिखित में अन्डरटेकिंग भी ली जावें । ऐसी स्थिति में आवेदक की

Minutes of the Fifth meeting of the Monitoring Committee held on 28 May, 2011 at Mount Abu

The fifth meeting of the monitoring committee constituted vide Govt. of India MOEF office memo No. F.No. 20-1/2005-IA 3 dated 19-12-2007 under notification No. so 1545 (E) dated 25-06-2009 for Eco Sensitive Zone, Mount Abu was held under the chairmanship of Shree R.K. Jain, Divisional Commissioner Jodhpur on 28-05-2011 at Mount. Abu. The list of participants is annexed. The district collector Sirohi (member secretary) welcomed the chairman & all the members and proposed discussion on the agenda items in detail. The following decisions were taken in the meeting.

(i) **Confirmation of the minutes of fouth meeting dated 05-03-2011 :-**

The minutes of the meeting of the committee dated 05-03-2011 were placed before the committee and confirmed unanimously.

(ii) **Compliance of the decisions taken in the meeting dated 5-3-2011 :-**

Chairman desired to know about compliance of the decisions taken in the meetting dated 05-03-2011. Concerned officers apprised the chairman regarding the action taken. The Chairman instructed that the action in pursuance of decisions should be taken in time bound manner He also instructed Commissioner Municipality to accord formal permission for repair and renovation in the cases approved by monitoring committee without unnecessary delay.

(iii) **Decisions on the arrangements of site visit by sub-committee :-**

It came up for discussion that the site visit of each and every case by the committee is not feasible and practicable. Therefore it was decided that a sub-committee would be constituted for site inspection as and when required.

(iv) Decision on system and procedure for obtaining and scrutiny of applications :-

The committee was of the view that some complaints were received regarding the non-submission of applications before the committee. After discussion it was decided that a cell working in S.D.O. office should receive all the application and those application should be duly entered and receipt should be given to the applicant. All applications would be scrutinized by the Municipal Commissioner in an ordered manner before putting up to the committee For scrutiny a format would be designed jointly by S.D.O. Mount. Abu, S.T.P. and Commissioner Municipality.

(v) Discussion and decision in regard to Zonal Master Plan under preparation :-

S.T.P. apprised the committee that Mrs. Minakshi Dhote and her team from School of Planning and Architecture had made a presentation before the committee members on 8-05-2011 In order to have the Zonal Master Plan conforming to ground realities the suggestions received should be considered before finalization of the Master Plan.

(vi) Decision on matters involving new construction:-

In view of the notification dated 25-06-2009 the discussion were held regarding permission for new constructions. The Chairman apprised the committee that necessary clarification had been sought in this regard from the central govt. and appropriate decisions would be possible only after the clarification.

(vii) Decisions regarding regulation of sale and transportation of building material in Eco Sensitive Zone :-

Vide notification number S.O. 165 Dated Jun 29, 2010 of Department o Environment, GOR, the provisions are as under :-

(1) That the dealers of building construction material carrying their own business in the Mount Abu Eco Sensitive Zone shall not sell building construction material to any person for use for construction/repair/renovation except person having permission of the Monitoring Committee for such construction, repair and renovation. All the dealers shall also maintain proper record about the purchase, sale and availability of their stock.

(2) That the dealers of the building construction material shall receive stock only up to the limit authorized by the Monitoring Committee and transport material from outside the Mount Abu Eco-sensitive Zone for sale in the area as per the demand based on requirement for construction permitted by the Monitoring Committee.

(3) No transporter/dealer of the building construction material in the Mount Abu Eco-sensitive Zone except for replenishing the stock limits permitted by the Monitoring Committee or for consumption/sale to persons having valid permission from the Monitoring Committee.

To discourage the illegal construction in E.S.Z. the above provisions are to be enforced. In this context it was decided that S.D.O. with the help of Commissioner Municipality and DCF should ensure an appropriate system and procedure to give effect to the provisions. The same should be intimated to the chairman and member secretary time from to time. It should also be put up in the next meeting for review and approval.

(viii) Action taken against encroachments and illegal construction by commissioner municipality Mount Abu :-

Appd

The committee showed its concern over illegal constructions in E.S.Z and asked commissioner to continue with removal of encroachments and illegal constructions.

(ix) **Decision on application for reapair and renovation :-**

The committee considered the fresh applications as well as those kept pending in previous meetings for want of required documents, site inspection etc. On the basis of facts produced by commissioner municipality before the committee, the decisions were taken. The lists of approved, rejected and pending cases are enclosed separately.

(x) Shri Neeraj Khatri, Deputy Director MOEF, GOI, New Delhi informed - The monitoring committee shall submit it annual action taken reports by the 31st March of every year to the ministry of Environment & Forest. The Committee decided that a draft ATR should be proposed by him for approval in the next meeting.

The meeting concluded with vote of thanks to the chair

R. K. Jain
Div. Commr.
Jo Udpur & Chairman
Mt. Abu Monitoring
Committee.

(XI)

मोनिटरिंग कमेटी, आबू पर्वत की छठी बैठक दिनांक 29.9.2011 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 29.9.2011 को मोनिटरिंग कमेटी, इको सेंसिटिव जोन, माउन्ट आबू की छठी बैठक आबू पर्वत पर श्री आर. के. जैन, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में हुई । उपस्थित सदस्यों व विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची संलग्न है (परिशिष्ठ–अ)। प्रोफेसर मीनाक्षी धोते, सभापति, नगरपालिका, माउन्ट आबू, सरपंच, ग्राम पंचायत, ओरिया, विकास अधिकारी आबूरोड के प्रतिनिधि विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। जिला कलेक्टर, सिरोही अस्वस्थ होने से अवकाश पर थे। उनके स्थान पर श्री महीपाल उज्जवल, अतिरिक्त कलेक्टर, सिरोही ने बैठक में भाग लिया।

कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. गत 5 वी बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गत 5 बैठकों का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उन्होने संतोष व्यक्त कर यह निर्देशित किया था कि रिपेयर / रिनोवेशन आदि लम्बित प्रकरणों का 2 माह की अवधि मे बैठक कर निस्तारण कर दिया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इको सेंसिटिव जोन, माउन्ट आबू का जोनल मास्टर प्लान भी दो माह की अवधि मे अनुमोदित कर दिया जाय। मोनिटरिंग कमेटी के निर्णयो की कियान्विति सुनिश्चित करने को भी उन्होने गंभीरता से लिया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन अथवा अस्थाई आदेश के कारण किसी प्रकार का विरोधाभास होता है, तो ऐसे प्रकरण के बारे में उन्होंने सक्षम स्तर पर समुचित कार्यवाही करने के लिए विचार प्रकट किए ।

2. भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 25.6.2009 के अनुसार प्रतिवर्ष 31 मार्च तक का विवरण भारत सरकार को प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार दिनांक 31.3.2010 तक व 31.3.2011 तक किए गए कार्यो का विवरण सीधे भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु सदस्य सचिव, जिला कलेक्टर, सिरोही को निर्देशित किया गया ।

3. (i) वन भूमि पर किए गए अवैध निर्माण, निम्बू नाला पर अतिकमण, नक्की झील के भराव क्षैत्र में प्राकृतिक जल स्त्रोतो पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के बारे मे सर्व सम्मति से निर्णय लिय गया ।

इस सम्बन्ध मे बैठक मे उपस्थित सभापति, नगरपालिका, माउन्ट आबू का यह मंतव्य था कि जो अतिकमी गरीब है तथा माउन्ट आबू के स्थाई निवासी है, उन्हे वे नगरपालिका की योजना में विस्थापित करना चाहते है, इस हेतु अतिकमियों को हटाने से पूर्व उन्हे समय दिया जाय । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जोनल मास्टर प्लान के अनुमोदन होने के साथ–साथ अनुमोदित आवासीय क्षेत्र मे शीघ्र ही अतिकमियों के विस्थापित करने हेतु नगर पालिका द्वारा नियमानुसार योजना बनाई जाए।

(ii) मोनिटरिंग कमेटी ने अचलगढ़ क्षेत्र में हो रहे बड़े स्तर पर निर्माण कार्य के प्रति चिंता व्यक्त की व इसे गंभीरता से लिया (परिशिष्ठ ब)। यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र हुए समस्त अपार्टमेन्ट, होटल, भवन को तुरन्त ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाए। इस कार्य हेतु उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू को अधिकृत किया गया। वे थानाधिकारी, तहसीलदार व पंचायत के माध्यम से इन्हें ध्वस्त करने की कार्यवाही करेगें। यह न केवल मास्टर प्लान व मोनिटरिंग कमेटी की अवहेलना में बने है बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय की स्पष्ट अवहेलना की गई है। इस दौरान यदि अवैध निर्माण कर्ता द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति जो कि प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य प्रस्तुत की जाती है तो उसे जिला कलेक्टर, सिरोही के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाए, ताकि आगामी मोनिटरिंग कमेटी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) माउण्ट आबू क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण व बिना स्वीकृति के निर्माण तथा स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की गई। इस प्रकार की प्रवृति पर चौकसी रखने, नियन्त्रण करने व मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक निगरानी समिति का निम्नानुसार गठित करने का निर्णय लिया गया, जो कि उप खण्ड अधिकारी माउन्ट आबू की देखरेख मे कार्य करेगी ।

1.	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग –	समन्वयक
2.	रेन्जर, वन विभाग –	सदस्य
3.	सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग आबू पर्वत –	सदस्य
4.	थानाधिकारी, आबू पर्वत –	सदस्य
5.	सहायक अभियन्ता, नगर पालिका, आबू पर्वत	सदस्य

(अ) यह समिति समय–समय पर इको सेंसिटिव जोन का दौरा कर इस बात की जानकारी एकत्रित करेगें कि कही अतिक्रमण तो नही हो गया है अथवा हो रहा है। बिना स्वीकृति के निर्माण काम तो नही हो रहा है व स्वीकृति के अतिरिक्त निर्माण तो नही हो रहा है। इस हेतु प्रत्येक निर्माण कर्ता, निर्माण स्थल पर यह प्रदर्शित करेगा कि उसे कब व कितनी स्वीकृति प्राप्त हुई है। नगर पालिका यह व्यवस्था आश्वस्त करेगी। निगरानी समिति को भ्रमण के लिए वाहन नगर पालिका उपलब्ध कराएगी ।

(ब) निगरानी समिति के सदस्यों के टेलीफोन नं0 व मोबाईल न. को नगरपालिका द्वारा विभिन्न स्थानो पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण व अतिक्रमण की सूचना निगरानी समिति के सदस्यो को दे सके। निगरानी समिति इस प्रकार प्राप्त सूचना का रिकॉर्ड संधारित करेगी ।

(स) उपखण्ड अधिकारी माउन्ट आबू आन–लाईन अतिक्रमण अवैध निर्माण की सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था करेगें ।

(iv) अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नगर पालिका को प्रार्तन दस्ता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निवेदन किया गया था। इस एक बार के जाप्ते का व्यय नगर पालिका वहन करने के लिए तैयार भी है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नही हुई है । राज्य सरकार को पुनः निवेदन किया जाए ।

4. इको सेंसिटिव जोन नगरपालिका आबू पर्वत मे लाई जाने वाली निर्माण सामग्री के नियमित करने के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.6.2010 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, माउन्ट आबू द्वारा एक विज्ञापन जारी कर मैटिरियल, सप्लाई करने वाले सप्लायर से आवेदन आमन्त्रित किए थे 13 आवेदन प्राप्त हुए है। इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। इस हेतु उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजस्थान के माननीय उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष सिंघवी ने इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई/स्थाई आदेश की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये है।

5. (i). वर्ष 2002 माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 9.5.2002 के पश्चात जो अनियमित निर्माण बिना स्वीकृति के हुए है तथा जो नोटिफिकेशन दिनांक 25.6.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आते है। (अर्थात पिलंथ एरिया, floor height व किस्म बिना परिर्वतन के) उन्हे सैद्धान्तिक रूप से Without precedent नियमित करने का निर्णय लिया गया। E.O नगर पालिका के निर्देशित किया गया कि वे ऐसे निर्माण (repair, renovation) की सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करे ताकि नियमित किये जाने की पेनल्टी/प्रिमियम के साथ उन्हें नियमित करने के बारे मे निर्णय लिया जा सके। इस बात का ध्यान रखा जाय कि भविष्य में इस प्रकार की प्रवृति नही बने।

(ii) वर्ष 2002 के पूर्व व बाद मे जो भी ऐसे निर्माण है जो कि नगरपालिका के तत्कालीन नियम/अधिनियम तथा वर्तमान जोनल मास्टर प्लान के विरूद्ध है, उन्हे चिन्हित कर सूची मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने कि लिए अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका को निर्देशित किया गया, ताकि अवैध निर्माण/अनियमित निर्माण को ध्वस्त करने की कार्य योजना बनाई जा सके।

6. दिनांक 28.5.2011 की बैठक में अनुमोदित ऐसे प्रकरण जो कि पूर्व की बैठक मे निरस्त हो गए थे (9 प्रकरण, परिशिष्ठ–स) पर विचार किया गया । इन अनुमोदन की पुष्टि करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुमोदन के साथ आवश्यक शर्तो की पालना E.O नगर पालिका आश्वस्त करेंगे।

7. माउन्ट आबू मे आधुनिक World Class Parking स्थल PPP/BOT पर विकसित करने की सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई। नगर पालिका इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर परियोजना की अंतिम स्वीकृति के लिए मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करे । इसी प्रकार माउन्ट आबू में rainfall को दृष्टिगत रखते हुए Hydro Electricity project को भी Environment friendly मानते हुए सैद्धान्तिक स्वीकार योग्य माना गया,।

8. **मास्टर प्लान की आपत्ति पर चर्चा :–**

प्रोफेसर मीनाक्षी धोते ने बताया कि 16.9.2011 को जोनल मास्टर प्लान के प्रारूप को जन साधारण के अवलोकन के लिए मा० आबू पर्वत मे प्रदर्शित किया गया था । इस पर लगभग 350 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिस पर

विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान तैयार करने मे कुछ तकनीकी गलतियाँ रह गई, उन्हे सुधारा गया है, ये ड्राईंग बनाने की गलती से हुई थी जिसमे वाटर फाल्स, चैक डेम्स आबादी क्षेत्र को फोरेस्ट क्षेत्र मे रखना, कृषि / पट्टेवाली आदि भूमि भी ग्रीन बेल्ट मे दर्शित हुई, उन्हे सुधारा जा रहा है। इसके लिये वन विभाग से वन भूमि के बारे मे तथा एनिमल्स सम्बन्धी आकड़े लिये गये है, पर्यटन विभाग से पर्यटन सम्बन्धी आंकड़े एवं नगरपालिका एवं राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त कर सुधार किया है और अभी किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगो के करीब 350 आपत्तियाँ व सुझाव प्राप्त हुवे उस पर भी कार्यवाही कर रहे है।

जोनल मास्टर प्लान के लिये इस क्षेत्र के भविष्य मे विकास की योजनाओ / स्थानीय आपत्तियो को ध्यान मे रखते हुये अंतिम रूप से तैयार करने की राजस्थान सरकार एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम तिथि 19.10.2011 तक है।

बैठक मे विधायक, आबू–पिण्डवाड़ा श्रीमती गंगादेवी ने सालगांव डेम को आबादी बताया है ऐसा अवगत करवाया इस क्रम मे श्रीमती लीलादेवी, अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत द्वारा बताया कि जोनल मास्टर प्लान में आबादी भूमि को व निर्मित होटल को ग्रीन बेल्ट मे लिया गया है उसमे सुधार किया जावे। इसी प्रकार ओंरिया ग्राम पंचायत जो आबादी क्षैत्र मे है ग्रीन बेल्ट मे दर्शाया गया है।

मास्टर प्लान मे आबादी बढने पर स्कोप नही रखा गया है ग्राम ओंरिया एवं हेटमजी मे आबादी बढने पर मास्टर प्लान मे स्कोप दर्शित किया जावें।

सरपंच ओंरिया ने बताया कि काफी पुराने पटटे जारी है उसे भूमि को ग्रीन बेल्ट बताया है।

श्री देवीसिंह मालासर द्वारा बैठक मे बताया कि जो सेन्चुरी क्षैत्र घोषित है उस क्षैत्र मे मास्टर प्लान में संशोधन नही हो सकता । ओरिया के लोगो द्वारा वन क्षैत्र मे बाडे बने हुये है उन्हें कृषि भूमि स्थानान्तरित किया जावें। जोनल मास्टर प्लान मे पुराना सैटलमेन्ट के समय से आबादी क्षैत्र मे पट्टे है उसके अनुसार नक्शे संशोधन करना आवश्क है साथ ही पर्यटन विकास पार्किंग, कृषि भूमि को सही सही दर्शाया जावे ।

श्रीमती गंगादेवी विधायक आंबू पर्वत पिण्डवाडा द्वारा बैठक मे कहा कि रिपेयर / रिनोवेशन की स्वीकृति ग्राम पंचायत, ओरिया के लिये सरपंच, ग्राम पंचायत को दिये जावे।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा को निर्धारित कर दी है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी प्राप्त आपत्तियों पर वरिष्ठ नगर नियोजक मौका देखकर अपनी टिप्पणी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगें। अध्यक्ष महोदय मॉनिटरिंग कमेटी समिति के सदस्य की एक उप समिति गठित कर उनके समक्ष आपत्तियों पर विचार कर अपनी टिप्पणी अंकित कर प्रोफेसर मीनाक्षी धोते को प्रेषित करेगें । प्रोफेशर धोते तत्पश्चात 7 दिन में जोनल मास्टर प्लान में आवश्यक परिवर्तन /सशोधन कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देंगी ।

9. एजेण्डा 3 पत्रावलियों की वैधानिक जाँच करना –

मोनिटरिंग कमेटी की गत बैठक में वैधानिक जांच व दस्तावेज उपलब्ध न होने के आधार पर स्थगित किए गए प्रकरण (परिशिष्ट–स) पर विचार किया गया। इस प्रकार के कुल 16 प्रकरणो में से 12 स्वीकृत, 3 स्थगित एवं 1 अस्वीकृत किए गए। जिनका विवरण परिशिष्ट–द पर अंकित है।

10. एजेण्डा–7 रिपेयर/रिनावेशन के नवीन प्रकरणों पर कार्यवाही –

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशो की अनुपालना में रिपेयर/रिनोवेशन के प्रकरण आमंन्त्रित किए गए थे इस प्रकार प्राप्त 51 आवेदनों में से 12 स्वीकृत किए गए, 31 अस्वीकृत किए गए एवं 8 दस्तावेज/प्लान नक्शे के अभाव में स्थगित किए गए। इनका विवरण परिशिष्ट–ई पर उपलब्ध है।

Sd/–
(आर. के. जैन)
सम्भागीय आयुक्त,
(एवँ अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू)
जोधपुर।

संलग्न–परिशिष्ठ उपरोक्तानुसार।

क्रमांक : सामा/6.मो.क.मी./1606–1621 दिनॉक : 7 अक्टूबर 2011

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को प्रेषित है –

1. जिला कलेक्टर (एवं सदस्य सचिव, मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू) सिरोही
2. श्रीमति गंगा देवी, माननीया विधायका, आबू–पिण्डवाड़ा।
3. श्रीमति लीलादेवी, अध्यक्ष, नगर पालिका, आबू पर्वत।
4. सलाहकार (श्री सोनू सिंह), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री आर. जी. सोनी, PCCF(Retd.), 40/74, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर।
6. उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू रोड।
8. श्री चन्द्र शेखर पारासर, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, माउण्ट आबू।
10. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) माउण्ट आबू।
11. श्री देवी सिंह मालासर, सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी माउण्ट आबू। (मोबाईल 94141–54086
12. श्री अनिल माथुर, सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी माउण्ट आबू। (98280–73142)
13. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, माउण्ट आबू।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, राज. प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल, पाली।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबू रोड।
16. सरपंच, ग्राम पँचायत, ओरिया (जिला सिरोही)

उप निदेशक (सांख्यिकी)
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर।

[illegible] माउण्ट आबू की [illegible] बैठक दिनांक [illegible]
कार्यवाही विवरण

[illegible]

[illegible] अतिरिक्त जिला कलेक्टर [illegible] के रूप में सम्मिलित [illegible] दिनांक [illegible] सदस्य के रूप में सम्मिलित [illegible] द्वारा [illegible] की जगदीश [illegible] सिरोही के प्रतिनिधि के रूप में श्री जगदीश [illegible] [illegible] किया।

कार्यवाही [illegible] प्रकार है

अध्यक्ष [illegible] सभी उपस्थित [illegible] सरकार के [illegible] दिनांक 24.1.2012 [illegible] आगामी [illegible] वर्ष तक के लिए [illegible]

[illegible] सं. [illegible] -- छठी बैठक की पुष्टि –

गत छठी बैठक दिनांक 29.09.2011 की कार्यवाही [illegible] बैठक में लिए गए निर्णयों की बिन्दुवार पुष्टि की गई [illegible]

[illegible] कार्यवाही [illegible] नहीं है।

2. जिला कलेक्टर, सिरोही (सदस्य सचिव, मॉनिटरिंग कमेटी) [illegible] सरकार को प्रेषित की गई।

3. (i) नीबू नाले पर हटाये गये अतिक्रमियों के संबंध में [illegible] का निर्देश दिये गये कि विस्थापितों के लिए [illegible] योजना [illegible] अनुमोदित करायी जावे एवं आगामी बैठक में [illegible] से अवगत [illegible]

(ii) [illegible] निर्माण [illegible] कलेक्टर, सिरोही द्वारा [illegible] से अध्यक्ष महोदय को अवगत नहीं [illegible] ने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। [illegible] माउण्ट आबू भी अवकाश पर होने के कारण इस बैठक में [illegible] गम्भीर प्रकरणों में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों [illegible] कार्यवाही से अध्यक्ष महोदय, मॉनिटरिंग कमेटी को अवगत नहीं [illegible] किसी प्रकार का प्रतिवेदन इस बैठक में प्रस्तुत नहीं किया [illegible] इस सम्बन्ध में, सदस्य सचिव जिला कलेक्टर सिरोही पृथक से [illegible] महोदय को प्रस्तुत करें और अब जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा शीघ्र [illegible] जाकर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालना सुनि[illegible] कलेक्टर, सिरोही इस बारे में उप खण्ड अधिकारी माउण्ट आबू [illegible] समीक्षा करें।

[illegible] के दौरान [illegible] ज्ञात हुआ कि उप [illegible] अधिकारी [illegible] की निगरानी समिति गठित की गई थी [illegible] किसी प्रकार [illegible] सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही के प्रतिनिधि द्वारा कोई [illegible] और उप खण्ड अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण वस्तु स्थिति [illegible] [illegible] जिला कलेक्टर, सिरोही मोनिटरिंग कमेटी के द्वारा [illegible] सुनिश्चित करे तथा आगामी बैठक में की गई कार्यवाही से अवगत [illegible]

4 जिला कलेक्टर, सिरोही के स्तर के अनुपस्थित रहने तथा [illegible] आबू के अनुपस्थित रहने के कारण आबू पर्वत में नाई [illegible] में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं [illegible]

5 वर्ष 2002 के पूर्व बाद में हुए अवैध एवं अनियमित निर्माण [illegible] कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

6 [illegible]ई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

7 इस सम्बन्ध में नगरपालिका के स्तर पर किसी प्रकार की प्रगति [illegible]

8 मास्टर प्लान की आपति पर चर्चा :–

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा एक उप समिति का गठन [illegible] सदस्य निम्नानुसार हैं :–

1 श्री नीतिन मीणा, जिला नगर नियोजक, पाली।
2 श्री भानु प्रताप, सहायक निदेशक, पर्यटक, पर्यटक स्वागत केन्द्र [illegible]
3. श्री गणेश कुमार वर्मा, उप वन संरक्षक, माउण्ट आबू।
4 श्री देवी सिंह भालावर, सदस्य मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू।
5 श्री अनिल माथुर, सदस्य मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू।

इस उप समिति की बैठक दिनांक [illegible].10.201[illegible] एवं 15.[illegible] कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–सी एवं डी पर संलग्न है। [illegible] क्रमशः प्रो0 मीनाक्षी धोते, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, [illegible] नियोजक, राजस्थान सरकार व सलाहकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय [illegible] प्रेषित कर दिये गये।

9 कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

10. बैठक के दौरान इस बिन्दु पर खेद प्रकट किया गया है कि [illegible] अनुमोदन के पश्चात भी नगर पालिका के स्तर पर स्वीकृति जारी करने [illegible] किया जाता है। जिससे आम जन को परेशानी होती है। अतः आयुक्त [illegible] को इस संबंध में यथा शीघ्र स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गए [illegible] लंबित रहे प्रकरणों में भी अब तक वांछित कार्यवाही न किये [illegible] नाराजगी प्रकट की एवं आगामी बैठक में समस्त लंबित प्रकरणों [illegible] जाकर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

एजेण्डा न0 2 – नींबू नाले के निरथापितों को अन्यत्र बसाने पर विचार

इस सम्बन्ध में नगर पालिका को एक माह में कार्य [illegible] हुआ गया।

एजेण्डा न0 3 –रिपेयर/रिनोवेशन प्रकरणों पर विचार –

इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि अध्यक्ष महोदय के [illegible] उप समितियों द्वारा तैयार की गई पत्रावलियों का जिला कलेक्टर, सिरोही [illegible] द्वारा निरीक्षण/परीक्षण नहीं किया गया जो गम्भीर शिथिलता की श्रेणी में [illegible] सदस्य सचिव द्वारा बैठक में प्राप्त रिपेयर/रिनोवेशन के कुल 51 प्रकरण [illegible] भी किसी प्रकार का पर्यवेक्षण नहीं किया गया। फलस्वरूप [illegible] सका।

बैठक में रिपेयर रिनोवेशन के कुल 51 प्रकरण प्रस्तुत [illegible] उप समिति द्वारा मौका निरीक्षण कर लिया गया था। उक्त [illegible] प्रकरणों उप समिति द्वारा मौका [illegible] प्रकरण स्वीकृत कर दिये गये। शेष प्रकरणों में उप समिति द्वारा मौका [illegible] निर्धारित पपत्र में रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक शीघ्र आयोजित कर [illegible] जावे। स्वीकृत प्रकरणों की सूची परिशिष्ठ–ई पर संलग्न है। स्वीकृत प्रकरण [illegible] प्रपत्र में रिपोर्ट की जाकर पत्रावली पर अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर [illegible] जावे।

एजेण्डा न. 4 – निर्माण सामग्री लाये जाने बाबत –

इस सम्बन्ध मे अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण [illegible] गया। उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू तथा जिला कलेक्टर, सिरोही [illegible] अन्तराल में मोनिटरिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की गम्भीरता से पालना [illegible] थी।

एजेण्डा न. 5 – 2002 से पूर्व के निर्मित अवैध निर्माण के कम्पाउण्ड [illegible]

वर्ष 2002 माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश [illegible] पश्चात जो अनियमित निर्माण बिना स्वीकृति के हुए है तथा [illegible] 25.06.2009 के दिशा निर्देश के अन्तर्गत आते है। उनकी दो [illegible] जाय, जिसमे Compoundable & Un-Compoundable सूची [illegible] आवृणदन को तैयार करके सब कमेटी द्वारा जांच/निर्णय कर आगामी [illegible] के अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये।

एजेण्डा न. 6 – खुले भू–खण्डों पर भवन निर्माण बाबत –

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि खुले भू–खण्डों पर भवन निर्माण [illegible] के प्रकरण मास्टर प्लान के अनुमोदन होने के पश्चात निर्णित किये जावे।

एजेण्डा न. 7 -- हाईब्रिड पावर स्टेशन लगाने बाबत --
यह निर्णय लिया गया कि नगर पालिका इस सम्बन्ध में आवश्यक [illegible]

एजेण्डा न. 8 -- आर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम बाबत --

इस सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया कि नगर पालिका [illegible] बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा न. 9 से 13 --

नगरपालिका से संबंधित कार्य यथा पुरानी दुकानों पट [illegible] पालिका भवन के पीछे अधुरे भवन का निर्माण को पूरा करने प्रथम मंजिल [illegible] बनाने एवं पालिका आवास गृहों के रिनोवेशन, नगरपालिका खुली भूमि [illegible] चौकीदार कमरा के निर्माण नक्की झील की दिवार एवं उद्यान विकास, नगरपालिका [illegible] स्वागत द्वार पोलोग्राउण्ड व नक्की उद्यान पर मुख्यद्वार इत्यादि के सबंध [illegible] स्वीकृति प्रदान की गई। नगरपालिका द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, सहायक [illegible] एवं जल संसाधन के अधिकारियों से चर्चा कर एवं आगामी कार्यवाही की जा [illegible]

एजेण्डा न. 14 एवं 15 -- अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग एवं स्वीकृति अनुसार निर्माण [illegible] बाबत --

उप खण्ड अधिकारी, माण्उट आबू अवकाश पर रहने से अनुपस्थित [illegible] ओर से कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में यह निर्णय [illegible] अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु गठित पूर्व कमेटी को यथावत रखते [illegible] से संबंधित व्यय यथा जे.सी.बी./किराये की गाडी /गुगल फोटो/मजदूरी [illegible] कमेटी को अधिकृत किया गया। यह व्यय समिति के फण्ड में उप संभाग [illegible] आबू द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा इसकी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी [illegible] की जावेगी। ग्राम पंचायत, ओरिया हेतू गठित कमेटी में विकास अधिकारी [illegible] आबूरोड को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता व एक कमेटी में नगरपालिका [illegible] सहायक अभियंता को रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतिक्रमण हटाने हेतु [illegible] की पाक्षिक बैठक भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मोनिटरिंग कमेटी द्वारा जारी [illegible] अवैध/अधिक निर्माण होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है जो कि एक गंभीर मामला [illegible] सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा किसी प्रकार का पर्यवेक्षण [illegible] प्रभावी--कार्यवाही नहीं की गई। बाद विचार--विमर्श यह निर्णय लिया गया कि [illegible] यह सुनिश्चित करें कि रिपेयर रिनोवेशन जारी स्वीकृति के विपरीत नहीं हो [illegible] मापदण्डों से अधिक हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब तक जारी [illegible] संबंध में मौके पर हुये कार्य की जाँच गठित उप समिति द्वारा की जावें एवं आगामी [illegible] विस्तृत रिपोर्ट मय फोटो प्रस्तुत की जावें।

एजेण्डा न. 16 – निर्माण सामग्री का स्टॉक एवं [illegible]

[illegible] इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि [illegible] संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत सचिव द्वारा [illegible] अधिकारी पंचायत समिति, आबूरोड मोनिटरिंग [illegible] पूर्णतया नियंत्रण रखेंगे । नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र के लिए [illegible] संधारित किया जावेगा एवं उप खण्ड अधिकारी, आबूपर्वत नियंत्रण [illegible]

एजेण्डा न. 17 – गैर सरकारी सदस्यों के टी.ए. / डी.ए. दिये जाने बाबत

बैठक में उपस्थित होने वाले गैर सरकारी सदस्यों [illegible]

एजेण्डा न. 18 –

पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा [illegible] अधिकारी, आबूपर्वत को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा न. 19 – अन्य बिन्दु –

(i) आबूपर्वत क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान [illegible] एवं नगरपालिका आबूपर्वत के प्रमुख स्थान व ग्राम पंचायत [illegible] सुलभ काम्पलेक्स / टायलेट निर्मित करवाये जावे ताकि सफाई व [illegible] संबंध में प्रस्तावित कार्य आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(ii) बैठक में विधायक, आबू–पिण्डवाडा श्रीमती गंगा देवी ने [illegible] बी.पी.एल. ग्रामीण आवास निर्माण योजना के तहत 11 व्यक्तियों [illegible] की मार्गदर्शिका में दर्शाये गये नक्शे अनुसार निर्माण कार्य करवाने [illegible] कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखे गये । इस पर अध्यक्ष व कमेटी द्वारा [illegible] समिति आबूरोड को प्रस्ताव तैयार कर आगामी बैठक में पूर्ण रिकार्ड [illegible] निर्देशित किया गया।

(iii) कमेटी द्वारा पूर्व में किशनचंद / प्रेतम द्वारा आबूपर्वत [illegible] प्रार्थी द्वारा निर्माण [illegible] के संबंध में संद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी लेकिन प्रार्थी द्वारा निर्माण [illegible] जो कि अवैधानिक है। ज्ञात हुआ कि नगर पालिका द्वारा इस हेतु [illegible] है जो कि अनुचित है क्योंकि अभी तक किसी प्रकार के नए निर्माण की [illegible] रही है। उस कार्य को तुरन्त रूकवाने हेतु आयुक्त, नगरपालिका [illegible] किया गया।

(आर.के. जैन) I.A.S.
संभागीय आयुक्त
(एवं अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी)
जोधपुर।

संलग्नः–परिशिष्ट उपरोक्तानुसार।

मॉनिटरिंग कमेटी, माउन्ट आबू की सातवीं बैठक दिनांक ...
कार्यवाही विवरण,

दिनांक 21.02.2012 को मॉनिटरिंग कमेटी, ... सातवीं बैठक जिला परिषद सभागार, सिरोही पर श्री ... अध्यक्ष, मॉनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू) जोधपुर की अध्यक्षता में ... व विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट ...) ... अधीक्षक, सरपंच, ग्राम पंचायत, ओरिया, विकास अधिकारी, पंचायत ... आमन्त्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। दिनांक 23.02.2012 को ... मंत्री महोदया द्वारा शिवगंज पंचायत समिति में जन सुनवाई कार्यक्रम ... सिरोही के प्रतिनिधि के रूप में श्री जगवीर सिंह, सचिव, नगर सुधार न्यास ... में भाग लिया ।

कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार है –

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया ... कि भारत सरकार के आदेश दिनाँक 24.1.2012 से मॉनिटरिंग कमेटी ... समिति का गठन आगामी दो वर्ष तक के लिये किया गया है। ... गई है

एजेण्डा न. 1 – छठी बैठक की पुष्टि –

गत छठी बैठक दिनांक 29.09.2011 की कार्यवाही विवरण ... गत बैठक में लिए गये निर्णयों की बिन्दूवार पुष्टि की गई व पालना ...

1. कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

2. जिला कलेक्टर, सिरोही (सदस्य सचिव, मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा ... सरकार को प्रेषित की गई।

3. (i) नींबू नाले पर हटाये गये अतिकमियों के संबंध में आयुक्त ... को निर्देश दिये गये कि विस्थापितों के लिए आवासीय योजना तैयार कर ... अनुमोदित करायी जावें एवं आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया ...

(ii) अचलगढ़ क्षेत्र में हो रहे बड़े निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में ... जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा इस दौरान किसी भी प्रकार की ... सिरोही से अध्यक्ष महोदय को अवगत नहीं कराया गया। जिला कलेक्टर ... ने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। विशेष आमन्त्रित सदस्य ... माउण्ट आबू भी अवकाश पर होने के कारण इस बैठक में अनुपस्थित ... गम्भीर प्रकरणों में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालना ... कार्यवाही से अध्यक्ष महोदय, मॉनिटरिंग कमेटी को अवगत नहीं कराया ... किसी प्रकार का प्रतिवेदन इस बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाना ... इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव जिला कलेक्टर, सिरोही पृथक से ... महोदय को प्रस्तुत करें और अब जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा शीघ्र ... जावकर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित ... कलक्टर, सिरोही इस बारे में उप खण्ड अधिकारी, माण्उट आबू द्वारा ... समीक्षा करें।

(iii) चर्चा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उप खण्ड अधिकारी [illegible] को निगरानी समिति गठित की गई थी उन्होंने किसी प्रकार की कार्य[illegible] सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही के प्रतिनिधि द्वारा कोई [illegible] और उप खण्ड अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण वस्तु स्थिति [illegible] सका। जिला कलेक्टर, सिरोही मोनिटरिंग कमेटी के इस निर्णय [illegible] सुनिश्चित करे तथा आगामी बैठक में की गई कार्यवाही से अवगत कराये।

4 जिला कलेक्टर, सिरोही के स्वयं के अनुपस्थित रहने तथा उप [illegible] आबू के अनुपस्थित रहने के कारण आबू पर्वत में नाई जाने वाली [illegible] में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो [illegible]

5. वर्ष 2002 के पूर्व बाद में हुए अवैध एवं अनियमित निर्माण [illegible] कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

6 कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

7 इस सम्बन्ध में नगरपालिका के स्तर पर किसी प्रकार की प्रगति नहीं [illegible]

8. मास्टर प्लान की आपत्ति पर चर्चा :–

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा एक उप समिति का गठन [illegible] सदस्य निम्नानुसार हैं :–

1 श्री नीतिन मीणा, जिला नगर नियोजक, पाली।
2. श्री भानु प्रताप, सहायक निदेशक, पर्यटक, पर्यटक स्वागत केन्द्र [illegible]
3. श्री गणेश कुमार वर्मा, उप वन संरक्षक, माउण्ट आबू।
4 श्री देवी सिंह मालावत, सदस्य मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू।
5 श्री अनिल माथुर, सदस्य मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू।

इस उप समिति की बैठक दिनांक 12.10.2011 एवं 18.[illegible] कार्यवाही विवरण परिशिष्ठ–सी एवं डी पर संलग्न है। यह [illegible] कमशः प्रो0 मीनाक्षी धोते, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, [illegible] नियोजक, राजस्थान सरकार व सलाहकार, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय [illegible] प्रेषित कर दिये गये।

9. कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

10. बैठक के दौरान इस बिन्दु पर खेद प्रकट किया गया है कि [illegible] अनुमोदन के पश्चात भी नगर पालिका के स्तर पर स्वीकृति जारी करने [illegible] किया जाता है। जिससे आम जन को परेशानी होती है। अतः आयुक्त [illegible] को इस संबंध में यथा शीघ्र स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गये [illegible] लंबित रहे प्रकरणों में भी अब तक वांछित कार्यवाही न किये [illegible] नाराजगी प्रकट की एवं आगामी बैठक में समस्त लंबित प्रकरणों [illegible] जाकर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

एजेण्डा न0 2 – नींबू नाले के विस्थापितों को अन्यत्र बसाने पर विचार

इस सम्बन्ध में नगर पालिका को एक माह में कार्य [illegible] [illegible] गया।

एजेण्डा न0 3 –रिपेयर/रिनोवेशन प्रकरणों पर विचार

इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि अध्यक्ष महोदय के [illegible] उप समितियों द्वारा तैयार की, गई पत्रावलियों का जिला कलेक्टर, सिरोही [illegible] द्वारा निरीक्षण/परीक्षण नहीं किया गया जो गम्भीर शिथिलता की श्रेणी में [illegible] सदस्य सचिव द्वारा बैठक में प्राप्त रिपेयर/रिनोवेशन के कुल 51 प्रकरण [illegible] भी किसी प्रकार का पर्यवेक्षण नहीं किया गया। फलस्वरूप [illegible] सका।

बैठक में रिपेयर रिनोवेशन के कुल 51 प्रकरण प्रस्तुत किये [illegible] प्रकरणों उप समिति द्वारा मौका निरीक्षण कर लिया गया था। उक्त [illegible] प्रकरण स्वीकृत कर दिये गये। शेष प्रकरणों में उप समिति द्वारा मौका [illegible] निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक शीघ्र आयोजित कर [illegible] जावे। स्वीकृत प्रकरणों की सूची परिशिष्ठ–ई पर संलग्न है। स्वीकृत प्रकरण [illegible] प्रपत्र में रिपोर्ट की जाकर पत्रावली पर अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर [illegible] जावें।

एजेण्डा न. 4 – निर्माण सामग्री लाये जाने बाबत –

इस सम्बन्ध में अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण [illegible] गया। उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू तथा जिला कलेक्टर, सिरोही [illegible] अन्तराल में मोनिटरिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की गम्भीरता से पालना [illegible] थी।

एजेण्डा न. 5 – 2002 से पूर्व के निर्मित अवैध निर्माण के कम्पाउण्ड बाबत

वर्ष 2002 माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश [illegible] पश्चात जो अनियमित निर्माण बिना स्वीकृति के हुए है तथा जो [illegible] 25.06.2009 के दिशा निर्देश के अन्तर्गत आते है । उनकी दो तरह की [illegible] जावे, जिसमे Compoundable & Un-Compoundable सूची [illegible] आवृप्रदत्त को तैयार करके सब कमेटी द्वारा जांच/निर्णय कर आगामी [illegible] के अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये। ,

एजेण्डा न. 6 – खुले भू–खण्डों पर भवन निर्माण बाबत –

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि खुले भू–खण्डों पर भवन [illegible] के प्रकरण मास्टर प्लान के अनुमोदन होने के पश्चात निर्णित किये जा[illegible]

एजेण्डा न 7 — हाईड्रल पावर स्टेशन लगाने बाबत

क. निर्णय लिया गया कि नगर पालिका इस मामले में आवश्यक ...

एजेण्डा न 8 — आफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बाबत

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नगर पालिका ... आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा न. 9 से 13 —

नगरपालिका से संबंधित कार्य यथा पुरानी दुकानों ... पालिका भवन के पीछे अधूरे भवन का निर्माण का पूरा करने ... बनाने एवं पालिका आवास गृहों के रिनोवेशन, नगरपालिका खुली ... चौकीदार कमरा के निर्माण नक्की झील की दिवार एवं उद्यान विकास ... स्वागत द्वार पोलोग्राउण्ड व नक्की उद्यान पर मुख्यद्वार इत्यादि के ... स्वीकृति प्रदान की गई। नगरपालिका द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, ... एवं जल संसाधन के अधिकारियों से चर्चा कर एवं आगामी कार्यवाही की ...

एजेण्डा न. 14 एवं 15 — अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग एवं स्वीकृति अनुसार ... बाबत —

उप खण्ड अधिकारी, माण्उट आबू अवकाश पर रहने से अनुपस्थित ... ओर से कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में यह निर्णय ... अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु गठित पूर्व कमेटी को यथावत रखने ... से संबंधित व्यय यथा जे.सी.बी./किराये की गाडी /गुगल फोटो/मजदूरी ... कमेटी को अधिकृत किया गया। यह व्यय समिति के फण्ड में उप संरक्षक ... आबू द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा इसकी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी ... की जावेगी। ग्राम पंचायत, ओरिया हेतु गठित कमेटी में विकास अधिकारी ... आबूरोड को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त ... सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता व एक कमेटी में नगरपालिका ... सहायक अभियंता को रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतिक्रमण हटाने ... की पाक्षिक बैठक भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मोनिटरिंग कमेटी द्वारा जारी स्वीकृतियों ... अवैध/अधिक निर्माण होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है जो कि एक ... सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा किसी प्रकार का पर्यवेक्षण ... प्रभावी-कार्यवाही नहीं की गई। वाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया ... यह सुनिश्चित करें कि रिपेयर रिनोवेशन जारी स्वीकृति के विपरीत नहीं हो ... मापदण्डों से अधिक हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब तक जारी ... संबंध में मौके पर हुये कार्य की जांच गठित उप समिति द्वारा की जाए एवं ... विस्तृत रिपोर्ट मय फोटो प्रस्तुत की जावें।

एजेण्डा न. 16 – निर्माण सामग्री का स्टॉक एवं [illegible]

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ग्राम [illegible] संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत सचिव द्वारा [illegible] पंचायत समिति, आबूरोड मोनिटरिंग कमेटी तथा [illegible] पूर्णतया नियन्त्रण रखेगे। नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र के लिए [illegible] प्रसारित किया जावेगा एवं उप खण्ड अधिकारी, आबूपर्वत नियंत्रण [illegible]

एजेण्डा न. 17 – गैर सरकारी सदस्यों के टी.ए./डी.ए. दिये जाने बाबत

बैठक में उपस्थित होने वाले गैर सरकारी सदस्यों का [illegible] नियमानुसार दिये जाने के निर्देश उप वनसंरक्षक [illegible]

एजेण्डा न. 18 –

पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 19 मे परिवाद [illegible] अधिकारी, आबूपर्वत को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा न. 19 – अन्य बिन्दू –

(i) आबूपर्वत क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान [illegible] आबूपर्वत के प्रमुख स्थान व ग्राम पंचायत ओरिया [illegible] एवं नगरपालिका आबूपर्वत के प्रमुख स्थान व ग्राम पंचायत ओरिया सुलभ काम्पलेक्स/टायलेट निर्मित करवाये जावे ताकि सफाई व सान्दर्य [illegible] संबंध मे प्रस्तावित कार्य आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें।

(ii) बैठक में विधायक, आबू–पिण्डवाडा श्रीमती गंगा देवी ने ओरिया [illegible] 11 व्यक्तियों (आवेदकों [illegible] बी.पी.एल. ग्रामीण आवास निर्माण योजना के तहत नक्शे अनुसार निर्माण कार्य करवाने की [illegible] की मार्गदर्शिका में दर्शाये गये नक्शे अनुसार निर्माण कार्य करवाने की [illegible] कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखे गये। इस पर अध्यक्ष व कमेटी द्वारा वि[illegible] समिति आबूरोड को प्रस्ताव तैयार कर आगामी बैठक मे पूर्ण रिकार्ड के [illegible] निर्देशित किया गया।

(iii) कमेटी द्वारा पूर्व मे किशनचंद/प्रितम द्वारा आबूपर्वत मे [illegible] स्वीकृति दी गई थी लेकिन प्रार्थी द्वारा निर्माण [illegible] के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई थी लेकिन प्रार्थी द्वारा इस हेतु स्वीकृति [illegible] था कि अवैधानिक है। ज्ञात हुआ कि नगर पालिका द्वारा इस हेतु स्वीकृति [illegible] है जो कि अनुचित है क्योंकि अभी तक किसी प्रकार के नए निर्माण की [illegible] रही है। उस कार्य को तुरन्त रुकवाने हेतु आयुक्त, नगरपालिका आबूपर्वत [illegible] किया गया।

(आर.के. [illegible] I.A.S.
संभागीय आयुक्त
(एवं अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी
जोधपुर।

संलग्नः–परिशिष्ठ उपरोक्तानुसार।

VIII

मोनिटरिंग कमेटी, माउण्ट आबू की 8वीं बैठक दिनॉक 23.3.2012 का कार्यवाही विवरण –

दिनॉक 23.3.2012 को मोनिटरिंग कमेटी, इको सेंसेटिव ज़ोन माउण्ट आबू की 8वी बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के सभा भवन में श्री [illegible] IAS संभागीय आयुक्त, जोधपुर एवं अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी, इको सेंसेटिव ज़ोन, माउण्ट आबू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमन्त्रित सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत कर दिनांक 23.2.2012 को आयोजित बैठक के कार्यवाही का पठन किया गया तथा गत बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

(2) अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पिछली बैठक में नवीनीकरण एवं मरम्मत के [illegible] प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे लेकिन खेद है कि उसमें मात्र 19 प्रकरणों में ही नगर पालिका द्वारा पत्रावलियॉं, मौका आदि दिखवाया जाकर परीक्षण के बाद प्रस्तुत की गई। [illegible] पत्रावलियाँ भी पूर्ण नहीं थी। आयुक्त, नगर पालिका, माउण्ट आबू ने बताया कि समय अभाव के कारण तथा उनके हाल ही में कार्य भार ग्रहण करने की वजह से तथा मौका दिखाने वाले उप समिति के सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण यह पत्रावलियाँ पूर्ण की जाकर [illegible] नहीं की जा सकी।

उक्त 19 पत्रावलियों में से 14 पत्रावलियों पर परीक्षण कर अनुमोदन प्राप्त करने के अध्याधीन अनुमोदित किया गया था। कालान्तर में जब यह पत्रावलियाँ परीक्षण कर प्रस्तुत की गई तो इसमें से 10 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 4 प्रकरण अस्वीकृत किये गये (परिशिष्ट–स)। दिनॉक 29.9.2011 की बैठक में स्थगित की गई पत्रावलियों में से बाद कमी पूर्ति के सात पत्रावलियों का अनुमोदन किया गया, जिसकी जानकारी दी गई (परिशिष्ठ–द)

(3) साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि लम्बित मरम्मत एवं निर्माण की पत्रावलियों का शीघ्र परीक्षण हो और उन्हें निस्तारित किया जा सके इस हेतु मौका निरीक्षण करने की समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :–

1 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, माउण्ट आबू/सहायक नगर नियोजक सिरोही।
2. श्री देवी सिंह भालासार/श्री अनिल माथुर। (सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी)
3 सहायक निदेशक, पर्यटन, माउण्ट आबू/उप वन संरक्षक, वन्य जीव, माउण्ट आबू।
4 आयुक्त, नगर पालिका, माउण्ट आबू, सदस्य सचिव।

उक्त उप समिति में से किन्हीं तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। जिसमें सहायक अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) बैठक में प्रस्तुत पत्रावलियो पर कमेटी के सदस्यों द्वारा यह भी आक्षेप किया गया कि इनमें फोटो, मौका रिपोर्ट पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है, दिनांक अंकित नहीं है तथा पत्रावली मे पृष्ठों का नम्बर भी अंकित किया हुआ नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवेदन करते समय निर्माण कार्य के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण अंकित किया जाए कि उसके द्वारा क्या-क्या एवं कितने क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जाना है।

नवीनीकरण / मरम्मत की स्वीकृति जारी करते समय विशेष ध्यान रखा जाए कि प्लींथ एरिया, ऊँचाई एवं प्रयोजन अपरिवर्तित (unchanged) रहे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्तावित नक्शा नगर पालिका / ग्राम पंचायत (जैसी भी स्थिति हो) से अनुमोदित हो। विद्यमान निर्माण का नक्शा एवं हस्ताक्षरयुक्त फोटोग्राफ संलग्न होने चाहिए।

स्वीकृति जारी करते वक्त यह पूर्णतया अंकित हो कि प्रार्थी को नवीनीकरण / मरम्मत / नवीन निर्माण इत्यादि (मय क्षेत्रफल, मंजिल आदि के) में से किस प्रयोजन के लिए स्वीकृति जारी की जा रही है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विद्यमान एवं प्रस्तावित निर्माण के फोटोग्राफ्स उप समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर शुदा हो। भविष्य में पत्रावलियों को हर तरह से पूरी कर उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू के अवलोकन के पश्चात बैठक में प्रस्तुत की जाय।

5) कमेटी द्वारा इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि पूर्व में कमेटी द्वारा स्वीकृत मरम्मत / नवीनीकरण के कार्य निर्माण स्वीकृति के मापदण्डों के अनुसार नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः इस हेतु एक उप समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है।

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, माउण्ट आबू / सहायक नगर नियोजक सिरोही।
2. श्री देवी सिंह मालासार / श्री अनिल माथुर। (सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी)
3. सहायक निदेशक, पर्यटन, माउण्ट आबू / उप वन संरक्षक, वन्य जीव, माउण्ट आबू।
4. आयुक्त नगर पालिका, माउण्ट आबू, सदस्य सचिव।

उक्त समिति की बैठक में चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

मोनिटरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत मरम्मत / नवीनीकरण कार्यों का निर्माण कार्य स्वीकृति अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, उसकी निगरानी हेतु गठित उक्त उप समिति सघन भ्रमण कर समीक्षा करे एवं यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य अनुमोदन के अनुरूप हो। इसके साथ ही यह उप समिति माउण्ट आबू क्षेत्र में अतिक्रमण व बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण तथा स्वीकृति के अतिरिक्त निर्माण की प्रवृति पर चौकसी रखने, नियन्त्रण करने व मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने आदि का कार्य भी करेगी। जहाँ जिन प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य अवैध / अनियमित अथवा मानदण्ड के अनुसार नहीं हो रहा है वहाँ उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू, निर्माणकर्ता को संक्षिप्त सुनवाई का अवसर देकर, निर्माण कार्य को रोकने अथवा तोड़ने की कार्यवाही करेंगे।

23-3-2012

(6) आयुक्त नगरपालिका, आबू पर्वत, द्वारा कमेटी के समक्ष [illegible] सम्बन्धित 19 आवेदन प्रस्तुत किये (परिशिष्ट घ)। बाद विस्तृत चर्चा [illegible] किये गये 9 आवेदनों पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार 7 आवेदन [illegible] किये गये। पत्रावली बिन्दु संख्या 5 के अनुसार पूर्ण रूप से [illegible] अधिकारी माउण्ट आबू के परीक्षण पश्चात् प्रस्तुत की जाए :

नाम	स्वामित्व	भूमि का प्रयोजन	रिपेयर / रिनोवेशन
[illegible] सांखला, राखी गण्डी	है	आवासीय	पुन: निर्माण / रिनोवेशन
चन्दन लता / राधेश्याम मैन बाजार	है	आवासीय	तोड़ कर पुन: निर्माण
[illegible] / [illegible] गोयल, मैन बाजार सांवीगाव	है	आवासीय	तोड़ कर पुन: निर्माण
[illegible] बाबूलाल सनीगांव	है	आवासीय	छत का निर्माण
[illegible] / गोपीलाल खलासी लेन	है	आवासीय	ध्वस्त कर पुन: निर्माण
[illegible] तुलसीराम सोनी	है	आवासीय	जी+1 रिपेयर रिनोवेशन
मरियम / अब्दुल सलीम	है	आवासीय	बहुत पुराना मकान [illegible] नया निर्माण

(7) ग्राम पंचायत ओरिया में मकान निर्माण / मरम्मत स्वीकृति हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति, आबू रोड़ द्वारा प्रस्तुत 67 प्रकरणों के प्रस्ताव उचित व पूर्ण नहीं होने के कारण अस्वीकृत किये गये ।

(8) ग्राम पंचायत ओरिया में मुख्यमंत्री बी0पी0एल0 आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण स्वीकृति के कुल 11 प्रकरणों का कमेटी द्वारा निरीक्षण कर निर्माण स्वीकृति इस शर्त पर दी जावे कि निर्माण के पश्चात आवास विक्रय नहीं किये जा सकेंगे। विक्रय करने की स्थिति में आवास सरकारी सम्पति मानी जायेगी। ये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी आबू पर्वत की अध्यक्षता वाली उप समिति प्रत्येक प्रकरण का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत तथ्य सही है।

(9) बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, नगर पालिका, माउण्ट आबू ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पालिका क्षेत्र में लगभग 10 आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाकर विभिन्न साईज के भू-खण्डों का यहाँ के नागरिकों को आँवटन / नीलामी से विक्रय किये गये है, एवं सही स्वामित्व की भूमि है। जो अधिकतर भूखण्ड प्रतिबन्ध लगने के कारण रिक्त पड़े है नागरिकों को नया निर्माण की स्वीकृति नहीं देने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने से वर्तमान में आवासीय मकानों की आवश्यकता बढ़ गई है । नये निर्माण की स्वीकृति नही देने के कारण अवैध निर्माण को भी बढ़ावा मिला

है। वर्तमान मे मात्र रिपेयर/रिनोवेशन/पुनः निर्माण की स्वीकृति ही मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा जारी की जा रही है। जिससे यहाँ के नागरिकों मे रोष व्याप्त है पालिका द्वारा जो भूखण्ड विक्रय किये गये है या जो नागरिक पूर्व निर्मित मकान पर प्रथम मंजिल निर्माण कराना चाहता है। यदि मॉनिटरिंग कमेटी स्वीकृति देती है तो पर्यावरण को भी क्षति नही पहुंचेगी व नागरिको की आवासीय समस्या का भी समाधान होगा, तथा संविधान मे प्रदत्त मूलभूत अधिकारों की पूर्ति होगी"।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि अभी मास्टर प्लान अनुमोदन की अन्तिम प्रक्रिया में है और इसके शीघ्र ही अनुमोदित होने की सम्भावना है। इस दौरान नगर पालिका को (a) नवीन योजना में नये निर्माण की स्वीकृति हेतु तथा (b) मकानों आदि के [illegible] के प्रथम मंजिल पर नये निर्माण करने के प्रकरण के प्राप्त आवेदनों पर आयुक्त नगरपालिका परीक्षण करेंगे।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके आदेश दिनांक 19.9.2011 में मॉनिटरिंग कमेटी को यह निर्देशित किया गया था कि निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त समस्त आवेदनों को मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 25.7.2009 के पैरा 3(viii) के अन्तर्गत छः सप्ताह में निस्तारित कर दिया जाय। इसे दृष्टिगत रखते हुए जो भी आवेदन 23.3.2012 की बैठक में प्राप्त हुए थे उन सबका पत्रावलीवार परीक्षण कर आयुक्त नगर पालिका 15 अप्रेल तक प्रस्तुत करेंगें। जिन्हें परीक्षण करने के पश्चात, आगामी मॉनिटरिंग बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

(10) पुराने चिन्हित अतिक्रमण, विशेषकर जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2002 के स्थगन आदेश की अवमानना में चिन्हित हैं, उनके निस्तारण हेतु मॉनिटरिंग कमेटी को पूर्व बैठक में हुए निर्णयों के परिपेक्ष्य में एक कार्य योजना बनाकर मॉनिटरिंग कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

मो.ना.श्री

उप निदेशक (सांख्यिकी)
कार्या. सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर।

IX.

मोनिटरिंग कमेटी, ईको सेन्सेटिव जोन, आबूपर्वत की 9वीं बैठक दिनांक 29–06–2012 का कार्यवाही विवरण

मोनिटरिंग कमेटी, ईको सेन्सेटिव जोन, आबूपर्वत की 9 वीं बैठक [illegible] 29-06-2012 को उप खण्ड कार्यालय, आबूपर्वत में श्रीमान संभागीय आयुक्त [illegible] अध्यक्ष मोनिटरिंग समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. श्रीमति गंगाबेन गरासिया, विधायक, (उपस्थित होने के बाद प्रस्थान)
2. श्री [illegible]लाल, जिला कलेक्टर, सिरोही
3. श्री [illegible], उप वन संरक्षक, मा. आबू
4. श्री ओम प्रकाश पारीक, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
5. श्री भानु प्रताप, सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, मा. आबू
6. श्री ओ. पी. गुप्ता, रीजनल आफिसर, राजस्थान पोलूशन कन्ट्रोल बोर्ड [illegible]
7. श्री देवी सिंह मालासर
8. श्री अनिल माथुर

1. उपस्थिति :

श्रीमति गंगाबेन गरासिया कुछ समय के लिये बैठक में उपस्थित [illegible] चली गई।

मोनिटरिंग कमेटी के सदस्य श्री आर. जी. सोनी गत कई [illegible] कमेटी की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे है क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है [illegible] उनके स्थान पर अन्य सदस्य मनोनीत किया जाना आवश्यक है जिसके लिये पूर्व [illegible] सरकार को अनुरोध किया गया है।

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि गत तीन बैठक उपस्थित नहीं हो रहे है। इस पर सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है।

2. स्थल भ्रमण :

मोनिटरिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत ओरीया [illegible] ओरीया, गुरु शिखर, जवाई एवं अचलगढ आदि का विकास अधिकारी, पंचायत समिति [illegible] रोड, उप अधीक्षक पुलिस, आबू पर्वत के साथ भ्रमण कर निर्माण गतिविधियो एवं [illegible] सेन्सेटिव जोन नोटिफिकेशन की पालना का जायजा लिया।

मोनिटरिंग समिति के यह ध्यान में आया कि भारी संख्या में बिना अनुमति अवैध निर्माण हो चुके है और बडे–बडे पक्के मकानों का मय बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर दि[illegible] गया है। मोनिटरिंग कमेटी सदस्यों ने इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और इस सं[illegible] आगे लिखे अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

समिति के समक्ष गत बैठक दिनॉक 23.3.2012 की अनुपालना प्रस्तुत की समिति की 8 वी बैठक दिनॉक 23.3.2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई। नगर पालिका, आबू पर्वत द्वारा गत बैठक में दिए गये निर्देशों की पूर्ण पालना कम गम्भीरता से लिया एवं इस बाबत खेद प्रकट किया। अब यह अपेक्षा की गई कि नगर पालिका, आबू पर्वत मोनिटरिंग कमेटी के निर्णयों की कठोरता से पालना कर जन साधारण से प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण परीक्षण कर समय मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। नगर पालिका, माउण्ट आबू के द्वारा समस्त सभी पत्रावलियों का परीक्षण कर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जन साधारण को राहत नहीं दी जा पा रही है। गत 8 वीं बैठक में 7 प्रकरणों को सैध्दान्तिक [illegible] किया गया लेकिन इन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि इन्हें पूर्ण [illegible] सत्यापित कर उप खण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू को परीक्षण पश्चात प्रस्तुत नहीं किया [illegible] इन पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि इन्होंने मोनिटरिंग कमेटी पूर्व अनुमोदन के बिना प्रार्थियों से फीस आदि जमा करा दी है। जिला कलेक्टर, सिरोही सन्दर्भ में समुचित कार्यवाही कर यह आश्वस्त करे कि सभी पत्रावलियों में प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। समिति ने भवन निर्माण सामग्री के नियन्त्रण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही पर असन्तोष व्यक्त किया। जिला कलेक्टर, सिरोही इस बात को आश्वस्त करे कि खण्ड अधिकारी, आयुक्त, नगर पालिका, तहसीलदार, आबू रोड, विकास अधिकारी आबू एवं उप वन संरक्षक के सहयोग से भवन निर्माण सामग्री के माउण्ट आबू मे आवागमन परिवहन को भली-भांति नियंत्रित किया जाय। यदि इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयों [illegible] किसी प्रकार के स्थाई अथवा अस्थाई आज्ञा/निषेधाज्ञा जारी की गई हो तो एक विवरण सूची बनाकर जिला कलेक्टर, सिरोही व अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना आश्वस्त करने हेतु श्रीं मनीष सिंघवी, अति. महाधिवक्ता भारत सरकार नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाय।

3. पूर्व के लम्बित प्रकरण :

बैठक में पूर्व के निम्न लिखित बकाया प्रकरणों पर विचार किया गया।

(1) हिना रिसोर्ट –

हिना रिसोर्ट के प्रकरण में नगर पालिका, आबू पर्वत द्वारा वर्ष 2003 में शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ. 55(64/03)पीए [illegible] /डीएलबी/01/3045 दिनांक 23.5.2003 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के [illegible] समाप्त होने के पश्चात निर्माण की अनुमति दी जानी थी क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का नव निर्माण पर प्रतिबन्ध 2002 से लागू है। यह प्रकरण मोनिटरिंग कमेटी की [illegible] बैठक दिनांक 5 मार्च, 2011 में प्रस्तुत हुआ था और राज्य सरकार की अनुमति के [illegible] इन्हें निर्माण की संध्दान्तिक स्वीकृति दी गई थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात मोनिटरिंग कमेटी इनके नव निर्माण का अनुमोदन कर [illegible] यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश दिनॉक 26.8.2011 को समाप्त हो चुका है लेकिन यह निर्णय लिया गया कि इको सेन्सिटिव जोन, माउण्ट आबू का मास्टर प्लान अब शीघ्र ही अनुमोदित होने वाला है। अतः ऐसी स्थिति में मास्टर प्लान के अनुमोदन का इन्तजार करना उचित होगा और अनुमोदन होने के पश्चात् निर्माण कार्य चालू रखने की अनुमति देना उचित होगा।

(2) सरकारी कोटेज –

[illegible] कमेटी की छठी बैठक के दौरान समिति द्वारा [illegible] के [illegible] सरकारी कोटेज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी और इस [illegible] किया गया था। लेकिन उप खण्ड अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक [illegible] में [illegible] है कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में [illegible] 5088/05 श्यान सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य [illegible] इसे [illegible] नहीं किया गया है। वर्तमान में ब्रगू कोर्ट में है।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पत्रावली के परीक्षण [illegible] कलेक्टर सिरोही द्वारा अध्यक्ष महोदय के मार्फत सम्पूर्ण प्रकरण माननीय [illegible] के [illegible] आश्वस्त करने हेतु परीक्षण के लिए श्री मनीष सिंघवी [illegible] को प्रस्तुत किया जाय। श्री मनीष सिंघवी ने इस सम्बन्ध में अपनी सहमति [illegible] है।

(3) श्री गोपाल दवे –

इस प्रकरण में मोनिटरिंग कमेटी की छठी बैठक के दौरान [illegible] प्रस्तुत [illegible] पश्चात अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था। प्रार्थी ने एक [illegible] निवेदन किया है कि यह निर्माण पुराना है और इनके खेत की रखवाली के लिए [illegible] चौकीदार आदि के लिये निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी [illegible] द्वारा सम्पूर्ण स्थिति की जांच कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें [illegible] जांच के पश्चात समुचित निर्णय लेगें।

4. ग्राम पंचायत, ओरिया के क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में –

मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत, ओरिया [illegible] विभिन्न ग्राम क्षेत्रों का दौरा किया गया और यह जानकर कि बिना अनुमति के बड़े–बड़े मकान व बड़ी–बड़ी बाउण्ड्रीवाल का अवैध निर्माण कर दिया गया है, गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही किये जाने के लिये निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. विकास अधिकारी को तुरन्त, जो स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण है एवं बाउण्ड्री बिना अनुमति बनाई गई है, उसको ध्वस्त करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया हेतु उन्हें जेसीबी और पुलिस मदद उपखण्ड अधिकारी उपलब्ध करवायेगें।

2. विकास अधिकारी एक दल गठित कर सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में अवैध निर्माण नवीन निर्माण का सर्वे करवाकर विडियो ग्राफी करवायेगें एवं सूची के साथ एस.डी.एम. मार्फत जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगें।

3. इस प्रकार बिना अनुमति के अवैध निर्माणों की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत, विकास अधिकारी, आबूरोड/आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत, सहायक वन संरक्षक, आबूपर्वत, तहसीलदार आबूरोड की समिति द्वारा की जायेगी। जांच के पश्चात यदि अवैध एवं अनियमित निर्माण अथवा स्वीकृतियां पाई जावें तो ग्राम पंचायत ओरीया का रिकार्ड यथा [illegible] कार्ड/पट्टा/बिजली बिल आदि सीज करेगें। उक्तानुसार जांच के पश्चात अवैध अनियमित निर्माण के मामलों में सक्षम अधिकारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे।

4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड उक्तानुसार सर्वे एवं अन्य समिति जांच के सन्दर्भ में समस्त अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण रेकर्ड जमा पट्टा/राशन कार्ड/बिजली बिल आदि की जांच कर अवैध निर्माणकर्ता को करने का नोटिस दें तथा संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होता है तो प्रकरण का निर्णय कर निर्माणकर्ता के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेगें। प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं नोटिफिकेशन 2009 का उल्लंघन पाया जाने पर मय साक्ष्य प्रकरण [illegible] 19 [illegible] संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करेगा। [illegible] प्रावधानों अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही भी करेगें। प्रकरण में यदि [illegible] निर्माणकर्ता का जवाब प्रथम दृष्टया संतोषप्रद हो तो उपखण्ड अधिकारी के माध्यम [illegible] उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

5. बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत ओरीया के सचिव व [illegible] तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जावे। इस संबंध में सरपंच ओरीया के विरूद्ध [illegible] मोनिटरिंग समिति के निर्णय के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

6. समिति ने यह पाया कि ग्राम पंचायत ओरीया क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण [illegible] नियन्त्रण ग्राम पंचायत द्वारा सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हु[ए] [illegible] लिया गया कि ग्राम पंचायत ओरीया को भंग कर दिया जावें। इस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत को ग्राम पंचायत ओरीया का प्रशासक नियुक्त [किये] जाने हेतु प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के माध्यम से राज्य सरकार भेजा जावे।

7. अध्यक्ष महोदय ने अपने स्तर पर माननीय मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त [मुख्य] सचिव महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास [एवं] पंचायती राज विभाग को वस्तु–स्थिति से अवगत कराने हेतु आश्वस्त किया।

8. अध्यक्ष महोदय ने जिला क्लेक्टर, सिरोही को मानिटरिंग कमेटी के [illegible] निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करने व प्रति सप्ताह इको–सेंसिटिव जोन में हु[ए] [illegible] निर्माण के विरुध्द कार्यवाही की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

5. <u>जोनल मास्टर प्लान के अनुमोदन की स्थिति व नये निर्माण की स्वीकृति</u> –

समिति के समक्ष प्रस्तुत नये निर्माणों पर विचार करते हुए समिति के [illegible] लाया गया कि आबू पर्वत का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर भारत [सरकार] को प्रेषित कर दिया गया है। उक्त मास्टर प्लान पर कतिपय आक्षेप होने के कारण [भारत] सरकार स्तर पर अनुमोदन लम्बित है। जिसके शीघ्र ही अनुमोदित होने की सम्भावना [है।] माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.8.2011 में मास्टर प्लान दो माह में अनु[मोदित] करने के निर्देश दिए गए थे। अतः यह माना जा रहा है मास्टर प्लान शीघ्र अनुमोदित [हो] जायेगा। अतः मोनिटरिंग समिति का यह मत है कि नये निर्माण की अनुमति मास्टर प्लान [के] अनुमोदन के पश्चात ही दी जावें।

6. <u>रिपेयर, रिनोवेशन</u> :

आयुक्त, नगरपालिका ने समिति के समक्ष दिनांक 23–02–2012 को मोनि[टरिंग] समिति के समक्ष रखें 65 प्रकरण रिपेयर/रिनोवेशन के 23–03–2012 से पूर्व के 28 [illegible] एवं 23–03–2012 के बाद के 5 प्रकरण उपर की मंजिल एवं भवन में अतिरिक्त निर्माण [के] 26 प्रकरण एवं अन्य आवश्यक निर्माण के 10 प्रकरण एवं नया निर्माण के 81 प्रकरण प्रस्तुत [illegible]

12. मोनिटरिंग समिति के निर्णय की सूचना —

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि मानिटरिंग समिति की बैठकों का कार्य विवरण निम्न लिखित को भी नियमित रुप से प्रेषित किये जायें —

1. डा. जी.वी. सुब्रहमन्यम, सलाहकार, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार, 548, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. श्री मनीष सिंघवी, अति. महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, राजस्थान सरकार बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्न — परिशिष्ठ — 'अ'

उप निदेशक (सांख्यिकी)
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर।

रिपेयर/रिनोवेशन के प्रकरणों पर विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया। समिति में प्रस्तुत रिपेयर रिनोवेशन के 28 प्रकरणों में 7 प्रकरण अनुमोदित किए, 3 प्र. निरस्त किए एवं शेष 18 प्रकरण वकाया रखे गए। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर ...

7. राजकीय संस्थान के प्रकरण :

समिति के समक्ष एम.ई.एस./सी.आर.पी.एफ./एयरफोर्स/फिजिकल लेबोरेटरी, डी.ए.आर.सी. व नगरपालिका आबूपर्वत के विभिन्न रिपेयर-मरम्मत कार्य ... स्कूलों ... शौचालयों के निर्माण कार्यों की अनुमति के प्रकरण प्रस्तुत किए गए; समिति द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों का अनुमोदन किया गया।

8. निर्माण सामग्री का स्टॉक :

समिति के समक्ष ईको सेन्सेटिव जोन में निर्माण सामग्री के ... विनियमित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में नोटिफिकेशन 200... अनुपालना सुनिश्चित करने एवं मोनिटरिंग समिति द्वारा जारी की गई ... निर्माणकर्ता को आवश्यक सामग्री की मात्रा का निर्धारण करते हुए उक्त सामग्री ... स्टॉक, भण्डारण स्थल एवं रिकार्ड संधारण को विनियमित करने हेतु ... माउण्ट आबू व आयुक्त, नगरपालिका को निर्देशित किया गया।

9. 2002 के पश्चात अवैध निर्माण –

2002 के पश्चात जो अवैध निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के पैरा संख्या 3 ... की अवहेलना में हुए है उन्हें नगर पालिका/ग्राम पंचायत ध्वस्त करें। नोटिस देने के ... यदि प्राथमिक दृष्टि से संतोषप्रद जवाब प्राप्त होता है तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, के ... मोनिटरिंग कमेटी की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। वर्ष 2002 से पूर्व के अवैध ... नगर पालिका के सर्वे कार्य नहीं किया है उसके अनुसार अब शीघ्र करें।

10. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण :

जहाँ सरकारी जमीन में निर्माण है उसका सर्वे कर उन्हें नगर पालिका/ पंचायत ध्वस्त करने की कार्यवाही करें व उनके विरुध्द Environment (Protec... Act 1986 की धारा 19 की कार्यवाही करें।

11. सनसेट पोईन्ट पर **Eco-friendly structure** द्वारा विकास कार्य –

सनसेट पोईन्ट पर शौचालय के रिपयेर/रिनोवेशन तथा आस-पास के ... Eco-friendly structure के साथ रिपेयर करने की अनुमति दी गई। यह कार्य ... विभाग द्वारा अथवा उनकी देख-रेख में नगर पालिका अथवा वन एवं पर्यावरण समिति ... द्वारा कराया जाएगा।

X

मोनिटरिंग कमेटी, आबूपर्वत की 10वीं बैठक दिनांक 29-06-2013 का कार्यवाही विवरण

मोनिटरिंग कमेटी, आबूपर्वत की 10वीं बैठक दिनांक 29-06-2013 को श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता में पुस्तकालय भवन नगरपालिका आबूपर्वत में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दी–

1. श्रीमति गंगाबेन गरासिया विधायिका, आबू पिण्डवाड़ा क्षेत्र
2. श्रीमति सीतादेवी अध्यक्ष नगरपालिका, आबूपर्वत
3. श्री आर एस. मीना, जिला कलेक्टर, सिरोही सदस्य सचिव मोनिटरिंग कमेटी
4. श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत
5. श्री शंकर मल, सरपंच ग्राम पंचायत ओरिया
6. श्री जी पी पारिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
7. श्री कुन्दन मल, विकास अधिकारी, आबूरोड
8. श्री मोरध्वज सिंह, उप वन संरक्षक वन्य जीव, आबूपर्वत
9. श्री भानु प्रताप सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, आबूपर्वत
10. श्री विजय सिंह निर्माण, नगर पालिका, आबूपर्वत
11. श्री देवी सिंह मालासर, सदस्य मोनिटरिंग कमेटी
12. श्री अनिल माथुर, सदस्य मोनिटरिंग कमेटी

1. <u>उपस्थिति :</u>

डा. सोनू सिंह उपनिदेशक (प्रतिनिधि) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री आर. जी सोनी, पीसीसीएफ (रिटायर्ड) सदस्य मोनिटरिंग कमेटी की बैठक में लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके स्थान पर दूसरे सदस्य मनोनित करने के बारे में चर्चा की गई और इस संदर्भ मे आयुक्त, नगरपालिका को पत्र प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया।

2. <u>एजेण्डा :</u>

बैठक को सम्बोधित करते हुए उपखण्ड अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार सोनी ने एजेण्डा के बारे मे बताया व बिन्दुवार इसकी सूचना दी। श्री देवीसिंह मालासर ने मोनिटरिंग कमेटी के उद्देश्यों के बारे मे बताया। श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि भविष्य में प्रत्येक बैठक में निम्न प्रकार से चर्चा की जाएगी।

(अ) स्वीकृत प्रकरणों की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा:–

प्रत्येक बैठक में पूर्व के स्वीकृत प्रकरणों की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा की जाएगी तथा यदि किसी स्वीकृत प्रकरण को स्वीकृति के प्रकार से भिन्न रूप से उपयोग में लिया जाता है तो उस पर विधिक कार्यवाही कर स्वीकृति निरस्त/निर्माण ध्वस्त किया जाएगा।

(ब) अवैध निर्माण व अतिक्रमण:–

अवैध निर्माण व इस सन्दर्भ मे न्यायालय वाद तथा अन्य अतिक्रमण संबंधी मामलो पर भी चर्चा की जाएगी।

(स) मोनिटरिंग कमेटी का विस्तृत कार्य क्षेत्र :–

उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार मोनिटरिंग कमेटी आबूपर्वत के ईको सेन्सेटिव जोन मे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों की संबंधित विभाग से चर्चा व पालना करवाएगी।

3. <u>भविष्य में होने वाली मोनेटरिंग कमेटी बैठक में प्रकरण प्रस्तुतीकरण की चर्चा :</u>

यह जानकारी में लाया गया कि सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियो का गलत फायदा उठाया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा जिस उपयोग हेतु स्वीकृति ली जाती है उस हेतु नही कर अन्य उपयोग लेना प्रारम्भ कर देता है। अतः भविष्य में प्रत्येक बैठक में पूर्व के स्वीकृत प्रकरणों के स्वीकृति के प्रकार से भिन्न रूप में उपयोग लिए जाने का कोई प्रकरण पाया जाता है उस पर विधिक कार्यवाही कर स्वीकृति निरस्त/निर्माण ध्वस्त किया जाएगा।

श्री सम्भागीय आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि अगर कोई निर्माण स्वीकृति को बैठक में खारिज कर दिया जाता है तो उसको अगली बैठक में सम्मिलित नही किया जाए। इसके लिए सभी स्वीकृतियों को अलग–अलग श्रेणीयों में बांटा जाए। अगर किसी प्रकरण मे दस्तावेज अपूर्ण है तो उसको Return का नाम देकर अगली बैठक में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई प्रकरण पर्यावरण की दृष्टि से खारिज (Reject) किया जाता है तो ऐसे प्रकरणो का आगामी बैठक में नही लिया जाए।

निरन्तर–2

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने इस प्रक्रिया के लिए Five File system अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। जिसमें सभी प्रकरणों के लिए प्रार्थी को पत्रावली पांच प्रतियों में उपखण्ड कार्यालय में पत्रावली पेश करनी होगी। पत्रावली में सभी दस्तावेजों के साथ वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ व 5-7 मिनट की विडियो सीडी भी लगानी होगी। जिसमें से उपखण्ड कार्यालय एक प्रति नगरपालिका को देंगे व एक-एक प्रति अध्यक्ष, सचिव को प्रस्तुत करेंगे। एक प्रति उपखण्ड कार्यालय में तथा एक प्रति पावती के तौर पर प्रार्थी को दी जाएगी। प्रार्थी को माह की 1 से 5 तारीख तक अपना प्रकरण पेश करना होगा। माह के 5 वें दिन प्रकरण की सूची बनाकर नगरपालिका/पंचायत समिति को दे दी जायेगी। नगरपालिका/पंचायत समिति इन प्रकरणों की तकनीकी व स्वामित्व की जांच करेगी तथा 6 से 12 तारीख तक अपनी टिप्पणी देगी। यदि प्रकरण में कोई कमी पाई जाती है तो प्रार्थी को सूचित किया जाएगा, जिससे प्रार्थी माह की 12 से 18 तारीख तक अपने प्रकरणों की कमीयों के अनुसार अन्य दस्तावेज लगा सकेंगे। माह की 21 से 30 तारीख तक नगरपालिका/पंचायत समिति के द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकृत प्रकरणों को Building plan कमेटी के पास स्वीकृत होने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। Building plan कमेटी से स्वीकृत होने पर प्रकरणों का ऑनलाइन इन्द्राज किया जाएगा तथा मोनिटरिंग कमेटी को प्रकरण प्रेषित कर दिए जाएगें। जिस पर कमेटी अपना निर्णय 6 सप्ताह में लेगी।

श्रीमान सम्भागीय आयुक्त ने सभी प्रकरणों का पांच वर्ग (नवीन निर्माण, पुर्ननिर्माण, रिनोवेशन, मरम्मत (आंशिक व पूर्ण आदि), तीन प्रकारों (व्यावसायिक, औद्योगिक व आवासीय) और स्थायी (पक्का निर्माण) व अस्थायी निर्माण (टीन शेड) कार्य में विभक्त करने हेतु निर्देशित किया।

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि जो भी प्रकरण बैठक में स्वीकृत हुए उनके बारे में आगामी बैठक में स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य हुआ है या नहीं इस संबंध में चर्चा की जाएगी। अगर कोई निर्माण स्वीकृति के अनुरूप नहीं हो रहा है तो उसको नियमानुसार ध्वस्त/निरस्त कर दिया जाएगा और अगर अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी स्वीकृत प्रकरण में निर्माण कार्य तय समयावधि में नहीं होगा तो उसको भी निरस्त किया जाएगा। यदि किसी स्वीकृत प्रकरण को निर्माण के बाद जिस उपयोग हेतु स्वीकृत किया गया है उससे भिन्न प्रकार का उपयोग में ले रहा है तो उसको भी नियमानुसार कार्यवाही कर ध्वस्त/निरस्त की जाएगी।

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि नगरपालिका सभी प्रकरणों के दस्तावेजों की जांच नगरपालिका अधिनियम, बायलॉज, राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देश व पर्यावरण संबंधी जांच कर बैठक में प्रस्तुत करेंगे। उपखण्ड अधिकारी सभी प्रकरणों की नगरपालिका/पंचायत से निष्पक्ष जांच करवाएगें।

श्री ओ. पी पारिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर ने न.पा. बायलॉज के बारे में बताया तथा उनके नियम कायदों को अनुसरण करने का निवेदन किया। अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय ने निर्णय लिया इस एक्ट का प्रारूप भी दस्तावेजों के साथ लगाया व उस पर क्रियान्विति की जाएगी। नगरपालिका इस प्रारूप की भी पालना करवाएगें।

4. <u>Online construction Permission and Monitoring system की चर्चा</u> :

बैठक में श्री राज सोंढा ने श्री जितेन्द कुमार सोनी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा संकलित व तैयार Online construction Permission and Monitoring system के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरतों के बारे में बताया। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कार्य में पारदर्शिता, गतिशीलता, अवैध निर्माणों की रोकथाम में उपयोगी बताया। इसके अनुसार सभी प्रकरणों को पांच प्रतियों में पेश किया जाएगा। नगरपालिका सभी दस्तावेजों की जांच कर व उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर प्रकरण को सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। जिससे प्रार्थना-पत्र संख्या मोबाईल सन्देश व ई-मेल के जरिए प्रार्थी तक पहुँच जाएगी। यह प्रकरण निश्चित समयावधि में मोनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होगा। उस पर लिया गया निर्णय प्रार्थी तक मोबाईल सन्देश व ई-मेल के जरिए पहुँच जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से खारिज प्रकरण पुनः पेश नहीं किए जा सकेंगे।

(3)

साथ ही सॉफ्टवेयर की सहायता से निर्माण सामग्री का भी अनुमान लगाया जा सकेगा जिससे यह फायदा होगा कि अगर कोई स्वीकृत कार्य में उपयोग करने के अलावा निर्माण सामग्री लाएगा तो सॉफ्टवेयर से एक अलर्ट आएगा और टोल नाके पर सूचित कर दिया जाएगा तथा उसको टोल नाके पर रोक दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के पश्चात निर्माण कार्य के पांच फोटो (प्लिंथ, लिंटल, स्लैबलेवल, रफ कास्टिंग व कम्पलिट) भी इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करने होंगे। अंत में इस सॉफ्टवेयर के फायदों के बारे में बताया गया।

5. <u>मोनेटरिंग कमेटी सदस्यो के द्वारा दी गई टिप्पणी</u>

श्री देवी सिंह मालासर सदस्य मोनेटरिंग कमेटी के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति का अधिकार नगरपालिका के पास होना चाहिए व नगरपालिका इसको मोनिटरिंग कमेटी के सामने अंतिम स्वीकृति के लिए रख सकती है।

श्री देवी सिंह मालासर ने इन अव्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि आबूपर्वत में जो भी गलत निर्माण व निर्माण स्वीकृति के विपरित कार्य होने पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जिससे उनका हौसला बढ़ता है। श्री देवी सिंह मालासर ने प्रकरणों को खारिज करने का स्पष्टीकरण पूछा। जवाब में श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों को नगरपालिका जांच करेगी व सही प्रकरणों को जो नगरपालिका नियमों के अन्तर्गत सही पाए जाने पर ही उन्हें बैठक में रखा जाए। श्री देवी सिंह मालासर ने तय समयावधि में निर्माण कार्य नहीं होने पर अगर कोई उचित कारण होता है तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निवेदन किया। इस हेतु श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने सहमति प्रदान की। श्री मालासर ने दस्तावेजों में सभी फोटोग्राफ को चिपकाकर उस पर मोहर लगवाने की बात कही। श्री देवी सिंह मालासर ने सभी प्रकरणों को नगरपालिका एक्ट 2009 के अनुरूप तैयार करने की मांग की।

श्री देवी सिंह मालासर ने प्रकरणों की जांच के लिए मोनेटरिंग कमेटी की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य सरकार कार्य के लिए कार्मिक व कम्प्युटर ऑपरेटर देगी मगर अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ अतः इस दिशा में अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

श्री जितेन्द्र कुमार सोनी ने ऐसे निर्माण कार्य जिसमें केवल टीनशेड लगाकर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए कृषि संबंधी कार्य जैसे खरगोश पालन आदि किया जाता है तो उसके लिए क्या दिशा–निर्देश रहेंगे। इस संबंध श्री देवी सिंह मालासर ने पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने हेतु निवेदन किया।

6. <u>सरकारी भवनों व सामुदायिक भवनों के लिए दिशा निर्देश</u>

माननीया विधायिका श्रीमति गंगाबेन ने सामुदायिक भवन व अनुदानित राशि से विद्यालयो में टीनशेड आदि का निर्माण हेतु दिशा–निर्देश मांगे। इस हेतु श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने इन प्रकरणों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय ने आगामी बैठक में बी.पी.एल आवास योजना संबंधी प्रकरणों को व सरकारी भवनों के संबंधी प्रकरणों को फोटो संलग्न कर प्रस्तुत करने को कहा तथा इसके साथ राजकीय निर्माण कार्य के बारे में भी चर्चा करने के बारे में अवगत कराया। इसमें नगरपालिका/पंचायत बी.पी.एल आवास योजना संबंधी प्रकरणों को अलग से सूची बद्ध कर प्रस्तुत करेंगे व सरकारी भवनों के संबंधी प्रकरणों को भी अलग से सूची बनाकर प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अन्य निर्माण स्वीकृति पत्रावलीयों को वर्गो के रूप में विभाजित कर पृथक–पृथक सूची बनाकर प्रस्तुत करेंगे।

7. <u>आबूपर्वत की जनसमस्याओं के बारे में अवगत</u>

अध्यक्ष, नगरपालिका आबूपर्वत श्रीमति लीला बेरी ने आबूपर्वत में जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास निर्माण स्वीकृति नहीं मिलने से हो रही समस्याओं से अवगत कराया।

निरन्तर—

(4)

8. <u>पुराने प्रकरणों की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट :–</u> नगरपालिका व पंचायत को आगामी बैठकों में पुराने स्वीकृत प्रकरणों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।

क्र सं	स्वीकृत प्रकरण क्रमांक (यदि दर्ज हो)	प्रार्थी का नाम मय पता	स्वीकृति का प्रकार	कार्य की वर्तमान स्थिति (मौका जांच करने के बाद)	स्वीकृति के अनुरूप है या नहीं	यदि नहीं तो नगर पालिका / पंचायत द्वारा किया गई कार्यवाही विवरण	विशेष टिप्पणी

9. <u>बैठक में चर्चा किए गए प्रकरणों की स्थिति</u> :– नगरपालिका व पंचायत समिति के द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह स्थिति बनती हैं।

	कुल प्रकरण	रिजेक्ट प्रकरण	रिटर्न प्रकरण	शेष प्रकरण
नगरपालिका	200	03	61	156
पंचायत	74	9	11	54

- रिजेक्ट प्रकरण :– वे प्रकरण जिसको बैठक में चर्चा के बाद पर्यावरण या अन्य नियमों की दृष्टि से पूर्णतया खारिज कर दिया गया। इनको भविष्य मे किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- रिटर्न प्रकरण :– वे प्रकरण जिसको दस्तावेजों की कमी के कारण अनुमति नहीं दी गई। इन प्रकरणों को भविष्य में पुनः दस्तावेज पूर्ण करके नियमानुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

XII

आज दिनांक 20–07–2015 को प्रातः 11:30 बजे श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी, जोधपुर द्वारा आबूपर्वत नगरपालिका पुस्तकालय भवन में मोनिटरिंग कमेटी की आयोजित बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

सर्वप्रथम बैठक की शुरूआत करते हुए अध्यक्ष महोदय मोनिटरिंग कमेटी द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश की पालना में राज्य सरकार द्वारा नवगठित मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों का परिचय लिया गया एवं स्वयं का परिचय देकर चर्चा प्रारम्भ की गई, सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय के आदेश से मोनिटरिंग कमेटी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में उपस्थित सदस्यों से अपनी चर्चा बिन्दु प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया।

श्री ईश्वरचंद डागा, सदस्य, मो.क. द्वारा बताया कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा वर्ष–2009 में आदेश दिया कि जब तक जोनल मास्टर प्लान नहीं बनेगा तब तक मोनिटरिंग कमेटी रिपेयर/रिनोवेशन व अन्य प्रकार के कार्यों की मोनिटरिंग करेगी एवं मोनिटरिंग कमेटी में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों की प्रत्येक दो माह में बैठक आयोजित करेगी एवं प्रकरणों में पूर्ण रिपोर्ट/तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर 90 दिनों में निस्तारण करेंगे। उसकी मोनिटरिंग भी स्थानीय स्तर पर होनी चाहीए। आमजन के मूल–भूत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

सांसद देवजी भाई पटेल ने यह राय व्यक्त की कि यदि कोई भवन जर्जर है, आपात स्थिति में हैं उनकी अनुमति उपखण्ड स्तर पर ही दी जावें, तो आमजन को सुविधा रहेंगी राहत मिलेगी। जिसका अनुमोदन के बाद में मोनिटरिंग कमेटी के द्वारा किया जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि यहां के बायलॉज अनुसार यह हिल टाउन हैं, ईको–सेन्सेटिव जोन हैं तथा पर्यटन स्थल होने के नाते यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखते हुए स्वीकृति दी जावें।

आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत– आबूपर्वत नगरपालिका में वर्ष 1978 में बायलॉज बने, उसके पश्चात् वर्ष 1989 में बायलॉज बने थे, ये दोनों नोटिफाईड हो गए, किन्तु वर्ष 2010 में पुनः मोडल बिल्डिंग बायलॉज बने, उन्हें नगरपालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। किन्तु वर्ष 2010 के नगरपालिका बायलॉज को नोटिफाईड व अन्य प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई।

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा कहा कि आबूपर्वत की वर्तमान भौगोलिक स्थिति एवं संरचना के अनुसार नए बायलॉज बनने चाहिए।

श्री ईश्वरचंद डागा ने बताया कि नगरपालिका बायलॉज वर्ष 2010 के अनुसार मोनिटरिंग कमेटी को अनुमति दी जानी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री आर.बी. मोर्य द्वारा बताया कि बोर्ड के नियमों एवं शर्तों की पालना को भी ध्यान में रखकर अनुमति जारी की जावें, शर्तों की पालना पूर्ण करने पर प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

सांसद देवजी भाई पटेल द्वारा बताया कि प्रदूषण बोर्ड के नियम एवं शर्तो का प्रचार–प्रसार नगरपालिका के माध्यम से स्थानीय लोगो में करवाया जावें, ताकि उसके लिए लोग जागृत हो।

श्री सौरभ गांगडिया, सदस्य, मो.क. द्वारा बताया कि नगरपालिका के पुराने बायलॉज सही बने हैं। किन्तु उनकी सही पालना नहीं होने से ईको–सेन्सेटिव जोन लगा, मोनिटरिंग कमेटी द्वारा यहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने के साथ पर्यटकों में भी बढ़ोतरी हो एवं उनके ठहराव एवं वाहनों के पार्किंग व्यवस्था के लिए भी कार्यवाही करनी चाहिए। लोगो के छोटे–छोटे मरम्मत कार्य आदि के लिए उपखण्ड स्तर पर सब कमेटी गठित कर उन्हें स्वीकृति देने के लिए अधिकृत करना चाहिए।, ताकि लोगो को छोटे–छोटे आवश्यक कार्य यथा.शौचालय बनाने के लिए भी ज्यादा इन्तजार नहीं करना पडें।

बैठक में उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अनुमति दी जावें साथ ही अनुमति के पश्चात् उसकी निगरानी नगरपालिका द्वारा की जावें। छोटे–छोटे मरम्मत कार्य आदि के आवेदन पत्रों का निस्तारण उपखण्ड स्तर पर गठित सब कमेटी द्वारा अनुमति प्रदान करने पर चर्चा की।

सांसद देवजी भाई पटेल ने पुनः बैठक में कहां कि शौचालय की अनुमति उपखण्ड स्तर पर शौचालय बनाने के लिए एक क्षेत्रफल तय किया जावे एवं उसमें लाई जाने वाली सामग्री की मात्रा निश्चित की जावें।

बैठक में जिला कलक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया साथ ही यह भी अवगत करवाया कि शौचालय आदि के आवेदन पर जो वर्षो से निवासरत हैं उस स्थल के स्वामित्व के बारे में नगरपालिका द्वारा निर्णय लिया जावें कि स्वीकृति जारी की जानी है या नहीं। भवनों के मरम्मत आदि के संबंध में पूर्व में गठित कमेटी द्वारा सर्वप्रथम अत्यावश्यक मरम्मत तत्पश्चात आवासीय भवनों, सामान्य भवनों तथा उसके बाद व्यवसायिक भवनों के संबंध में स्वीकृति की कार्यवाही की जावें ।

ग्रामीण क्षेत्र ओरिया में शौचालयों के निर्माण के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ग्रामसभा द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात स्वीकृति की कार्यवाही की जावें।

सभी स्वीकृति पर टॉयलेट के लिए लाई जाने वाली सामग्री का मात्रा बराबर हो, ताकि शौचालय स्वीकृति की आढ़ में अवैध रूप से भवन का निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य नहीं हो। ताकि इसकी मोनिटरिंग भी हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय में पी. आई.एल. की आगामी तारीख पेशी दिनांक 06-08-2015 है। जिसमें जवाब प्रस्तुत किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पालना में हो। सर्वप्रथम सभी निर्माण कार्यों में रोक लगाई गई। तत्पश्चात् अवैध कार्यों वाले भवनों की सीज की कार्यवाही की गई, माननीय न्यायालय के आदेश से ही एक कमेटी का गठन कर शौचालय आदि की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की गई एवं सरकारी भवनों के कार्य हेतु अनुमति जारी की गई।

ईश्वरचंद डागा द्वारा सरकारी भूमि को छोडकर आबादी भूमि में पट्टे जारी करने की बात कहीं गई।

उप वन संरक्षक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की वन धन योजना के संबंध में चर्चा गई। जिसमें वन विभाग सेन्चुरी के 02 किलोमीटर के बाहर के लोगो के लिए माईक्रोप्लान तैयार करना है। इसके लिए उनके गांव में भूमि कितनी हैं, पशु कितने हैं, उस गांव में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं है। जो वन सुरक्षा समिति तैयार करेगी। तत्पश्चात् स्वयं सहायता समूह बनेंगे। यह स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जाना है। इस जिला कलक्टर महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि स्वयं सेवी संस्था काफी समय से एम.पॉवर. के नाम से कार्यरत हैं, जो आम लोगो के सहायतार्थ कार्य कर रही है।

उपवन संरक्षक को सम्पर्क नम्बर दिए व उनके माध्यम से यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने हेतु कहा गया।

सहायक निदेशक, पर्यटन द्वारा पॉलोग्राउण्ड में पॉलोमैच निरन्तर करवाए जाने की बात कही। इस पर सांसद देवजी भाई द्वारा भी पॉलोमैच प्रारम्भ करने के लिए कहा गया। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां के स्टील फोटो तैयार करने के लिए सहायक निदेशक, पर्यटन को कहा गया।

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में माननीय उच्चतम् न्यायालय में प्रथम दायर याचिका के पश्चात् निर्णयों को तिथिवार प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में पेश पी.आई.एल. पर निर्णय एवं निर्देशो को बताया।

....4

उन्होंने कहा कि आबूपर्वत का विकास होना चाहिए। उन्होने बताया कि आबूपर्वत की रिमोट सेंसींग इमेज माननीय उच्च न्यायालय में पेश हो चुकी है। राजकीय भवनों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही आम लोगो के स्वामित्व की भूमि पर शौचालय बनाने की भी अनुमति जारी करने के निर्देश दिए गए। किन्तु इस स्वीकृति की आढ़ में अवैध निर्माण नहीं हो, इसके लिए शौचालय का एक डिजाईन तैयार किया जावें, जहां शौचालय आवेदक निर्माण करेगा। उसका वर्तमान फोटो/विडियों सी.डी. लगाए एवं बनाते समय के फोटो प्रस्तुत करेंगे तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे। मो.क./सब कमेटी द्वारा अनुमति जारी होने के पश्चात् नगरपालिका द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जावें। रिमोट सेन्सींग ईमेज के सत्यापन के लिए एक विशेषज्ञ (एक्सपर्ट टीम) को आबूपर्वत पर भेजा जाएगा। इससें यह भी जानकारी होगी कि कितने अवैध निर्माण कहां-कहां हुए है एवं उस पर नगरपालिका द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है। साथ ही अवैध निर्माण कार्यो पर नगरपालिका पूर्ण निगरानी रखने के लिए हिदायत दी। आबूपर्वत के विकास के संबंध में, पॉलोग्राउण्ड के विकास, साईन, बोर्ड में समरूपता, हेरिटेज भवनों तथा एल.ई.डी. लाईटो को लगाने के संबंध में, नक्की लेक में जमी काई की सफाई के लिए मछली डालने के संबंध में, पर्यटकों के बैठने के लिए आवश्यक बैंच लगाना, डस्टबीन लगानें एवं आबूपर्वत पर सभी भवनों पर रंग ऑफ व्हाईट कराने साथ ही सहायक निदेशक, पर्यटन, आबूपर्वत को पर्यटन संबंध एक वेब साईट तैयार करवाने की चर्चा की, जिसमें मंदिरों, विशेष स्थलों के स्थिर फोटो तैयार करने एवं अन्य जानकारी पर्यटकों को अधिक से अधिक दे सकें। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। हैरिटेज भवनों की सूची पर चर्चा की, जो सूची प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अन्य हैरिटेज भवन नहीं होने की पुष्टि नगरपालिका द्वारा बैठक में की। आबूपर्वत पर मोहल्ला कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए।

सांसद महोदय ने कहा कि नक्की क्षेत्र में कोई हॉकर्स को नहीं बिठाया जावें। नक्की क्षेत्र को नो-हॉकर्स जोन घोषित किया जावे।

सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य-मुख्य स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दिए एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करने की योजना उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर चर्चा के निर्देश दिए गए। हॉकर्स को हर जगह स्थापित नहीं करें एवं कचरा निस्तारण निर्धारित स्थल पर किया जावें।

सांसद महोदय द्वारा शौचालय आवेदन–पत्रों पर शीघ्र सब कमेटी स्तर पर स्वीकृति देने हेतु कहा गया एवं पार्किंग स्थलों के लिए रिक्त पड़ी भूमि का उपयोग करें एवं नगरपालिका द्वारा ढ़के हुए नाले पर भी पार्किंग तैयार करने हेतु कहा गया। साथ ही मुख्य साईट सीन स्थलों पर जहां पर्यटको की भारी भीड रहती है। सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करने की आवश्यकता बताई।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा नगरपालिका के माध्यम से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की व्यवस्था करवाने के लिए आश्वस्त किया। बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय मोनिटरिंग कमेटी द्वारा बताया कि शौचालय संबंध में आवेदन–पत्रों, राजकीय/विद्यालयों/होस्पीटल के मरम्मत आदि की अनुमति दी जाएगी, इसको रोका नहीं जाएगा। इनके आवेदन–पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त होने नियमानुसार जांच कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मोनिटरिंग कमेटी में प्रस्तुत करेंगे। छोटे–छोटे मरम्मत कार्य के लिए जो अति आवश्यक हैं, उसके लिए एक सब कमेटी स्थानीय स्तर पर गठित करने के बारे में चर्चा की गई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी एवं आबूपर्वत के स्थानीय विभागों के अधिकारी होंगे। इस सब कमेटी में आयुक्त, नगरपालिका, उपवन संरक्षक, सहायक निदेशक, पर्यटन, सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति इत्यादि को शामिल करने के बारे में चर्चा की गई तथा माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार समिति का गठन किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज पी.आई.एल. की आगामी सुनवाई दिनांक 05–08–2015 को निर्णय पश्चात् अन्य प्रकरणों पर आगामी बैठक शीघ्र आयोजित कर कार्यवाही की जाएगी।

इस बैठक में ग्राम पंचायत, ओरिया के 15 शौचालयों(सूचि संलग्न)हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों एवं नगरपालिका क्षेत्र में तीन शौचालयों(सूचि संलग्न)हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों में स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया एवं छोटे–छोटे मरम्मत व अन्य कार्यों के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा सम्बन्धित से रिपोर्ट आदि प्राप्त कर अनुमति जारी की जा सकेगी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला कलक्टर,
सिरोही

(6)

दिनांक 20–07–2015
4-8-2015

क्रमांक / मो.क. / बैठक / 2015 / 3838

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, (अध्यक्ष, मो.क.) जोधपुर।
2. श्री सौरभ गांगडिया, सदस्य, मो.क. चेतना कुंज, आबूपर्वत।
3. श्रीमान् एम.ओ.एफ.एफ., नई दिल्ली।
4. उपवन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत।
5. श्री चेतन चारण, सदस्य, मो.क., बडी ढ़ंढाई सन एन रोक के पीछे, आबूपर्वत।
6. श्री उमेश मोहन सहाय, से.नि., पी.सी.सी.एफ.(Hoff) राजस्थान।
7. श्री देवजी भाई पटेल, सांसद, सदस्य, मो.क., सिरोही–जालौर।
8. श्री ईश्वरचंद डागा, सदस्य, मो.क., शिवाजी मार्ग, चाचा म्युजीयम के पीछे, आबूपर्वत।
9. सीनियर टाउन प्लानर, जिला सिरोही।
10. सहायक निदेशक, पर्यटन, आबूपर्वत।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, स्टेट पॉल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड, पाली।
12. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत।
13. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड।

जिला कलक्टर,
सिरोही

संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20/7/15 को प्रातः 11:30 बजे नगरपालिका पुस्तकालय के सभा भवन में आयोजित आबू मोनिटरिंग कमेटी में उपस्थित अधिकारियों / सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

क्र.सं	नाम अधिकारी मय पद / सदस्य	हस्ताक्षर
1.	श्रीमान् रतन लाहोटी (संभागीय आयुक्त) जोधपुर	[signature]
2.	श्रीमान् [illegible] पटेल [illegible]	[signature]
3.	श्रीमान् वी. सरवन कुमार जिला कलेक्टर सिरोही	[signature]
4.	श्रीमान् कर्नल चतुर्वेदी उपखण्ड अधिकारी आबू पर्वत	[signature]
5.	श्रीमान् ईश्वर चन्द डागा सदस्य मोनिटरिंग कमेटी आबू	[signature]
6.	श्रीमान् शैलेश चारण	[signature]
7.	श्रीमान् [illegible]	[signature]
8.	श्रीमान् अनिल माथुर वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर	[signature]
9.	मनहर विश्नोई, विकास अधिकारी प.स. आबू रोड	[signature]
10	श्रीमान् भानु प्रताप सिंह पर्यटन विभाग आबू	[signature]
11	श्रीमान् के.जी. श्रीवास्तव DFO माउंट आबू	[signature]
12	श्रीमान् आर.बी. मौर्य क्षेत्रीय अधिकारी राज. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पाली	[signature]

XIII

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत

दिनांक 03.09.2015

क्रमांकः / मो.क. बैठक / 2015 / 698

निमित्त– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
(सचिव मो.क.) शिरोही

विषयः– मोनिटरिंग कमेटी कार्यवाही विवरण दिनांक 03.09.2015 बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के निर्देशानुसार मोनिटरिंग कमेटी बैठक दिनांक 03.09.2015 की कार्यवाही का विवरण इसके सलग्न वास्ते अवलोकनार्थ एंव हस्ताक्षरार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

उपखण्ड अधिकारी
आबुपर्वत

आज दिनांक 03–09–2015 को प्रातः 11:30 A.M. पर माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में स्थानीय नगरपालिका पुस्तकालय भवन आबूपर्वत में आयोजित मोनिटरिंग कमेटी बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

बैठक का प्रारम्भ में सभी का हार्दिक स्वागत अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन पी.आई.एल. 20202/12 पर चर्चा की गई। जिसके आदेशों की पालना करते हुए मोनिटरिंग कमेटी में प्रस्तुत भवन मरम्मत/नवीनीकरण/पुर्ननिर्माण एवं नवनिर्माण आवेदन पत्रों पर चर्चा का निर्णय लिया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यो शौचालय/मूत्रालय के आवेदन पत्रों सभी राज्य/केन्द्र व अर्द्धसरकारी कार्यालयों के भवन मरम्मत/नवीनीकरण/पुर्ननिर्माण/नवनिर्माण कार्यो को उनके विभागीय नक्शों के अनुसार अनुमति देने पर विचार विर्मश करने के पश्चात निजी आवेदन पत्रों पर पूर्ण स्वामित्व/तकनीकी जांच के पश्चात निर्णय लेने पर सहमति हुई।

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन पी.आई.एल. में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि जिन अवैध निर्माण कार्यो जो माननीय न्यायालय द्वारा ध्वस्त करने/हटाने के आदेश दिए उसकी अनुपालना में नगरपालिका द्वारा ज़वाब में उन्हें ध्वस्त करने व हटाने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत की है किन्तु माननीय न्यायालय में यह तथ्य प्रस्तुत किया कि मात्र कागजी कार्यवाही है मौके पर अवैध निर्माण आज भी यथास्थिति है। इस पर माननीय न्यायालय में रिमोर्ट सोन्सिग चित्रों से उनको मौके पर अवलोकन करने व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है इसकी पालना कठोरता से करते हुए अवैध निर्माण कार्यो को मौके पर ध्वस्त की कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए है। आबूपर्वत पर दिनांक 27–07–2015 से 31–07–2015 भारी वर्षा एवं तुफान से काफी लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है। जिसमें किसी के घर की दीवार/छत/पतरे आदि उड़ गए है उन्हें मरम्मत अनुमति देना आवश्यक है। इसके लिए उपखण्ड स्तर पर स्थानीय सब कमेटी का गठन किया जाकर वह उपखण्ड अध्यक्षता में आवेदन पत्रों के स्वामित्व तकमीना जांच करने के पश्चात अनुमति जारी कर सकेगें। उसकी सूची अनुमोदन आगामी मोनिटरिंग कमेटी की बैठक में करवाएगें।

....2

पार्किंग के लिए नगरपालिका द्वारा किचन पार्किंग में विकसित करने के लिए निर्देशित किया। अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी द्वारा बताया कि आबूपर्वत पर्वतीय पर्यटन स्थल होने से यहां पर्यटकों की सुविधार्थ वर्तमान समय में पार्किंग की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका मॉडल व तकमीना तैयार कर पार्किंग विकसित किया जावे। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी रिडकों को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सांसद (सदस्य मोनिटरिंग कमेटी) महोदय द्वारा बताया कि जो लोग पुश्तैनी यहां निवास कर रहें है उन्हें नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी नहीं किए गए है। जब तक पट्टे जारी नहीं होगें तब तक उनका स्वामित्व निवासस्थल का नहीं माना जा सकता, पट्टे के अभाव में वे पुराने आवास अथवा उनके स्वामित्व की भूमि पर किसी प्रकार की मरम्मत/निर्माण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्हें पट्टे जारी किए जावे अन्यथा उन लोगों को किसी प्रकार के भवन मरम्मत/नवीनीकरण/पुर्ननिर्माण/नवनिर्माण से वंचित रहना पडेगा। मूलभूत अधिकार से वंचित रहेंगे।

श्री ईश्वरचन्द डागा (सदस्य मोनिटरिंग कमेटी) द्वारा बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आबूपर्वत नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ओरिया क्षेत्र में ईकोसेन्सेटिव जोन घोषित करने की मंशा यही है कि पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो तथा इस क्षेत्र में निवासरत लोगों के मूलभूत अधिकार भी संविधान अनुसार सुरक्षित रहें। इस संदर्भ में जब तक जोनल मास्टर प्लान नहीं बन जाता है यहां के लोगों के मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भवन मरम्मत/नवीनीकरण/निर्माण के लिए मोनिटरिग कमेटी का गठन किया गया है।

जोनल मास्टर प्लान ईकोसेन्सेटिव जोन घोषित होने के दो वर्ष के भीतर ही लागू हो जाना चाहिए, किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक जोनल मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया तथा मोनिटरिंग कमेटी को आम लोगों की समस्या निस्तारण का अधिकार है उसे मोनिटरिग कमेटी ने निस्तरण नहीं किया। निर्माण सम्बधी प्रकरणों का निस्तारण करना मोनिटरिग कमेटी का सॅवैधानिक कर्त्तव्य है।

संविधान में नियमानुसार जो अधिकार राज्य सरकार को दिए गए है तथा नगरपालिकाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए 12 सेड्युल आर्टिकल 243W के तहत जो अधिकार किए है उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है।

इस संबंध में MOFR द्वारा नवगठित मोनिटरिंग कमेटी यहां के पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ यहां के लोगों को संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों के निस्तारण की जिम्मेदारी जिसकी समय सीमा तय है उसमें पूर्ण करें। इस संबंध में

सौरभ गागंडिया (सदस्य मोनिटरिंग कमेटी) द्वारा बताया कि स्थानीय सब कमेटी में भी गैर सरकारी मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को रखा जावें एवं कृषि भूमि से अकृषि रूपान्तरण अर्थात आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमति प्रदान करवाकर भवन मरम्मत की अनुमति की जावें तथा स्थानीय लोगो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जावें किन्तु यह सभी कार्यो के साथ माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेशो की अनुपालना करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

....4

बैठक में श्री सुरेश थिंगर, अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत को भी श्रीमान् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित होकर अवगत करवाया कि वर्षाकाल में अनेक लोगो के भवन क्षतिग्रस्त हुए है। उन्हें आवश्यकतानुसार अनुमति दी जानी चाहिए, विकास कार्यो के लिए निर्माण सामग्री प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घर में शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

उपवन संरक्षक (वन्यजीव) आबूपर्वत द्वारा बैठक में बताया कि ईकोसेन्सेटिव जोन में आबूपर्वत में नगरपालिका द्वारा 12 पट्टे सनसेट रोड पर जारी किए गए थे, उन पट्टों के संबंध में नियमन सुप्रीम कोर्ट कमेटी में कर दिया है। उसके 26 लाख रूपए भी नगरपालिका द्वारा जमा करवाए गए है बताया 6.5 लाख के लिए नगरपालिका को लिखा गया है जो 12 प्लोट है उसके बदले में भूमि भी नगरपालिका द्वारा बताई गई है। उस भूमि पर पीलर गार्डन के लिए जीपीएस सर्वे टीम द्वारा करके उस पर पीलर नगरपालिका द्वारा वन विभाग की उपस्थिति में गाडे जाएगें। इसी प्रकार होटल सनसेट इन एवं सवेरा पैलेस भी वन भूमि पर बने हुए है उसके लिए एसीएफ

....4

कोर्ट में बाद चल रहा है। आबूपर्वत सीतावन क्षेत्र में करीब 40 अतिक्रमण है उन्हें भी वन भूमि से बेदखली कार्यवाही की जानी है।

सांसद (सदस्य मोनिटरिंग कमेटी) महोदय द्वारा बताया कि जिन लोगों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट है उन्हें तुरन्त भवन मरम्मत/नवीनीकरण/पुर्ननिर्माण की अनुमति जारी की जानी चाहिए, साथ ही नगरपालिका पुस्तकालय भवन भी पुराना हैं उसका भी रिनोवेशन करवाया जावें।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड ने बताया कि ओरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल-25 पत्रावलियां बीपीएल परिवारों की है जिसमें 20 मामलों में पट्टेशुदा है, 5 प्रकरणों में पट्टे नहीं है। इस सांसद महोदय ने शीघ्र पट्टे जारी करने का मन्तव्य दिया, विकास अधिकारी ने अवगत करवाया कि पट्टे जारी करने की एक प्रक्रिया एवं समय है उतना समय लगेगा। तत्पश्चात पट्टे जारी कर दिए जाएगें।

अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी द्वारा पट्टेशुदा एवं गांव आबादी भूमि प्रकरणों में टायलेट की अनुमति जारी करने की अनुमति दी गई। ग्राम पंचायत नियमानुसार कार्य प्रारम्भ से पूर्व के फोटोग्राफ, मध्य एवं कार्य समाप्ति पश्चात फोटोग्राफ लेवे। जितनी सामग्री प्रत्येक टायलेट पर लगेगी उसका तकमीना उपखण्ड अधिकारी को नामजद प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात सामग्री प्रवेश की अनुमति जारी की जाएगी।

सम्भागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी द्वारा सभी से चर्चा करने के पश्चात निर्णय लिया कि आबूपर्वत ईकोसेन्सेटिव जोन में सभी केन्द्रीय व राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी तथा सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के प्रकरणों में भवन मरम्मत/नवीनीकरण की अनुमति दी जाती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबूपर्वत के भवन मरम्मत करवाना आवश्यक हैं, किन्तु बजट आवंटन की मांग की गई बैठक में चर्चा के दौरान नगरपालिका, आबूपर्वत द्वारा 20 लाख रूपए दिए जाने पर सहमति हुई। निजी विद्यालयों के स्वामित्व की भूमि से अधिक नगरपालिका की भूमि पर काबिज नहीं हो एवं नगरपालिका की भूमि पर किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जावे। उसकी जिम्मेदारी आयुक्त नगरपालिका की होगी।

....5

आपदा काल में जिन लोगों के भवनों को नुकसान हुआ है यथा किसी की दीवार गिरी है, पतरे उडे है, छत क्षतिग्रस्त हुई है। उसकी सूची आयुक्त नगरपालिका तैयार कर प्रत्येक मामले की स्वामित्व जांच के साथ उस स्थल के क्षतिग्रस्त स्थिति के फोटो पृथक–पृथक एंगल से पत्रावली के संलग्न करके तकमीना जांच के साथ उसकी मरमात में लगने वाली भवन सामग्री के तकमीने सहित स्पष्ट टिप्पणी के एक उपखण्ड स्तरीय कमेटी जिसमें उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, उन्हें प्रस्तुत करेगी उसमें निर्णय पश्चात सामग्री लाने की अनुमति दी जा सकेगी। बैठक में मोनिटरिंग कमेटी सदस्यों द्वारा कहा गया कि उपखण्ड स्तर पर छोटे–छोटे मरम्मत कार्यो की अनुमति जारी करने के लिए सम्भागीय आयुक्त (अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी) जोधपुर द्वारा आदेश जारी किया जावे तत्पश्चात आदेश की अनुपालना सुनिश्चित की जा सकेगी। सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा शीघ्र आदेश जारी करने हेतु आश्वस्त किया।

अध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी द्वारा बैंठक में बताया कि अभी माननीय उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. 20202/12 की आगमी सुनवाई 07–09–2015 को है उस सुनवाई पश्चात आदेश होने पर भवन मरम्मत/नवीनीकरण आदि प्रकरणों पर कार्यवाही की जाएगी क्योंकि इस बैठक में अनुमति जारी करने से निगरानी रखते हुए भी किसी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए आगामी बैठक में इन प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा।

अंध्यक्ष मोनिटरिंग कमेटी द्वारा बैठक में बताया कि भवन मरम्मत/नवीनीकरण मामलों में कमेटी द्वारा स्वीकृति पश्चात नगरपालिका से कार्य की स्वीकृति जारी करने के बाद उन कार्यो पर पूर्ण निगरानी रखने के लिए सभी कमेटी सदस्यों का भी दायित्व होगा न कि किसी एक विभाग का रहेगा। आयुक्त, नगरपालिका क्षेत्र में सतर्कता समिति का गठन करेगी जो अवैध निर्माण कार्यो पर प्रतिदिन रिपोर्ट करे उस पर तुरन्त आयुक्त नगरपालिका कार्यवाही करेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास अधिकारी कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार राजस्व भूमि पर संबंधित तहसीलदार तथा वन भूमि पर उपवन संरक्षक अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण कार्यो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे।

जिला कलक्टर,
(सचिव, मो.क.)
सिरोही

(6)

दिनांक 03–09–2015

क्रमांक / मो.क. / बैठक / 2015

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, (अध्यक्ष, मो.क.) जोधपुर।
2. श्री सौरभ गांगडिया, सदस्य, मो.क. चेतना कुंज, आबूपर्वत।
3. श्रीमान् एम.ओ.एफ.एफ., नई दिल्ली।
4. उपवन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत।
5. श्री चेतन चारण, सदस्य, मो.क., बडी ढ़ंढाई सन एन रोक के पीछे, आबूपर्वत।
6. श्री उमेश मोहन सहाय, से.नि., पी.सी.सी.एफ.(Hoff) राजस्थान।
7. श्री देवजी भाई पटेल, सांसद, सदस्य, मो.क., सिरोही–जालौर।
8. श्री ईश्वरचंद डागा, सदस्य, मो.क., शिवाजी मार्ग, चाचा म्युजीयम के पीछे, आबूपर्वत।
9. सीनियर टाउन प्लानर, जिला सिरोही।
10. सहायक निदेशक, पर्यटन, आबूपर्वत।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, स्टेट पॉल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड, पाली।
12. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत।
13. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड।

जिला कलक्टर,
(सचिव, मो.क.)
सिरोही

मोनेटरिंग कमेटी की उपस्थिति

आज दिनांक 03.09.2015 को नगरपालिका पुस्तकालय, आबूपर्वत में श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में रखी गई बैठक में उपस्थित अधिकारीगण/सदस्यगणों की उपस्थिति दर्ज :—

क.सं.	नाम अधिकारी/सदस्यगण	पद एवं विभाग	हस्ताक्षर
1	श्री रतन लाहोटी साहब	सम्भागीय आयुक्त	[illegible] 3/9/15
2	श्री देवजी पटेल सांसद	सांसद	[illegible]
3	श्री संवरा कुमार	जिला कलेक्टर	[illegible]
4	श्री अखिल चतुर्वेदी	उपखण्ड अधिकारी	[illegible]
5	ए. एम. सहाय,	P.C.C.F. (HOFF), Raj. Rajasthan, Jaipur	[illegible]
6	कृ. जी. श्रीवास्तव	DFO MT. ABU	[illegible]
7	CHETAN CHARAN	सदस्य	[illegible]
8	Ishwar Chand Dave	सदस्य	[illegible]
9	Saurabh Gangadia	Member	[illegible]
10	ANUJ AGARWAL	A.T.P, STP office, Jodhpur	[illegible]
11	Manohar Vishnoi	BDO, P.S. Aburoad	Manohar
12	आदेश वर्मा [illegible]	ग्रामसेवक ग्रा.प. ओरिया	[illegible]

P½

मोनेटरिंग कमेटी की उपस्थिति

आज दिनांक 03.09.2015 को नगरपालिका पुस्तकालय, आबूपर्वत में श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में रखी गई बैठक में उपस्थित अधिकारीगण / सदस्यगणों की उपस्थिति दर्ज :–

क.सं.	नाम अधिकारी / सदस्यगण	पद एवं विभाग	हस्ताक्षर
13	भानु प्रताप	सहा. निदेशक पर्यटन विभाग	[signature]
14	सर्वेश मीणा	JEn. N.P.A Mount Abu	[signature]
15	ललित कुमार भारद्वाज	JEn. N.P. Mount Abu	[signature]
16	चन्द्रशेखर [illegible]	ATP NP Mt Abu	[signature]
17	महेन्द्र सिंह	Secy. UIT	[signature]
18	दिलीप माथुर	Commi. M.B Abu	[signature]
19	सुरेश [illegible]	[illegible] नगरपालिका	[signature]

P 2/2

(14)

130

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही

क्रमांक/मो.क./आबू/2016/483 दिनांक 16/2/16

मोनिटरींग कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, अध्यक्ष, मोनिटरींग कमेटी ईकोसेन्सटीव जोन आबू पर्वत की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2016 उपखण्ड कार्यालय आबू पर्वत में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
2. श्रीमान् देवजी पटेल, सांसद, सिरोही-जालौर, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत।
3. श्रीमांन् उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत।
4. श्रीमान् सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू रोड़।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, नगरपालिका, आबू पर्वत।
6. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत।
7. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत।
8. आयुक्त, नगरपालिका, आबू पर्वत।
9. उपवन संरक्षक, आबू पर्वत।
10. संरपंच ग्राम पंचालय ओरिया।
11. एच.एन.मुकिजा, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंण्डल।
12. रूधन सिंह मीणा, एस.टी.पी. कार्यालय, जोधपुर।
13. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबू पर्वत।
14. हरीश सोनी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति आबू रोड़।
15. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत ओरिया।

इस प्रकार उपरोक्त सदस्य उपस्थित होनें पर बैठक कार्यवाही श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षत में प्रारम्भ की जाकर निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. ईकोसेन्सटीव जोन आबू पर्वत में स्थित सरकारी भवनों को उपखण्ड अधिकारी (नोडल अधिकारी, ईकोसेन्सटीव जोन) आबू पर्वत की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी को निर्माण स्वीकृति दिये जानें का निर्णय लिया गया।
2. नगरपालिका आबू पर्वत द्वारा प्रस्तुत स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौंचालय निर्माणों की सूची प्रस्तुत की गई जिस पर यह निर्णय लिया गया कि सरकारी भूमि पर काबिज आवेदकों को छोड़कर शेष पट्टासुदा भूमि पर शौंचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावे जिसमें शौंचालयों की साईज 4X6 निर्धारित की जाती है।

....2

3. नगरपालिका द्वारा प्राकृतिक आपदा में हुए क्षतिग्रस्त मकानों की सूची जो संलग्न प्रस्तुत की है। आज दिनांक तक की प्रस्तुत की गई है उन सूची में वर्णित आवेदकों के क्षतिग्रस्त मकानों को सैद्धान्तिक मरम्मत स्वीकृति दी जाती है। जिसके बारे में अन्तिम निर्णय उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा मौका निरीक्षण कर की स्वीकृति किया जाएगा तथा आज दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाले नये प्रकरणों में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी को अतिआवश्यक मरम्मत कार्य की स्वीकृति दिये जानें का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में सैंट एन्स चर्च, आबूपर्वत के आवश्यक मरम्मत स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी मौका निरीक्षण कर प्रदान करेंगे। पूर्व में हुई बैठक दिनांक 03-09-2015 में भी छोटे-मोटे मरम्मत कार्य एवं अतिआवश्यक निर्माण कार्य हेतु उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

4. ईकोसेन्सटीव जोन आबू पर्वत में मास्टर प्लान पारित होनें के पश्चात् मास्टर प्लान में दिये गये निर्देशों के अनुरूप मॉडल बिल्डींग बॉयलोज तैयार करनें हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग अथवा एस.टी.पी. जयपुर को पत्र लिखकर निवेदन किया जावे क्योंकि नगरपालिका आबू पर्वत में मास्टर प्लान के अनुरूप बिल्डींग बॉयलोज तैयार करनें हेतु सक्षम तकनिकी अधिकारी का अभाव है। अतः निदेशालय अथवा एस.टी.पी. कार्यालय से ही बिल्डींग बॉयलोज तैयार करवाया जानें का निर्णय लिया गया।

5. नये भवनों की निर्माण स्वीकृतियां बिल्डिंग बार्यलाज तैयार हो जाने के पश्चात स्वीकृत होने पर ही स्वीकृतिया जारी की जा सकेगी इससे पूर्व ऐसी कोई स्वीकृति जारी नही की जावेगी तथा सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग के अधिन आबूपर्वत में करवाये जाने वाले छात्रावासों का निर्माण कराने की सैदांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जारी की जावेगी।

6. मोनिटरींग कमेटी द्वारा पूर्व में जिन प्रकरणों में स्वीकृतियां पारित की गई थीं उन प्रकरणों में मौके पर यदि रिपेयर/रिनोवेशन का कार्य नहीं किया गया अथवा अपूर्ण है तो उन प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी तकनिकी रिपोर्ट प्राप्त कर नवीनीकरण करनें की कार्यवाही करेंगे।

7. पारित मास्टर प्लान के मानचित्र में भूमि का उपयोग/प्रकृति स्पष्ट दर्शित नहीं होनें के कारण टाउन प्लानिंग जोधपुर कार्यालय द्वारा खसरा वाईज मानचित्र तैयार करवायेंगे, जिसमें होनें वाले का भुगतान नगरपालिका द्वारा किया जायेगा।

8. उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु उपखण्ड अधिकारी (नोडल अधिकारी, ईकोसेन्सटीव जोन) आबू पर्वत की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित की जावे जिसमें उपखण्ड अधिकारी, अध्यक्ष नगरपालिका, वन अधिकारी आबू पर्वत एवं मोनिटरींग कमेटी के वर्तमान सदस्य होंगे तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरपंच एवं ग्राम सचिव सदस्य रहेंगे। जो कमेटी छोटे मोटे रिपेयर/रिनोवेशन की स्वीकृति मौका निरीक्षण कर उपयुक्त होनें पर जारी करेगी तथा संस्थागत एवं पौराणिक भवनों में भी अतिआवश्यक मरम्मत/नवीनीकरण के लिए गठित सबकमेटी ही मौका निरीक्षण कर स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लेंगे।

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर जनहित याचिका संख्या 10202/12 भरत कुमार जैन बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अन्तर्गत उक्त याचिका को नेशनल ग्रीन ट्रयूबनल में भेजी गई है जिसमें वन विभाग, नगरपालिका व उपखण्ड कार्यालय अपना निर्धारित पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

....3

10. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत स्थानीय अर्बुदा देवी मंदिर के पास वन विभाग की भूमि होने के कारण उपवन संरक्षक आबूपर्वत द्वारा आपत्ति कर निवेदन किया गया है कि वन विभाग की भूमि को छोड़कर पालिका स्वामित्व की भूमि पर मंदिर में आनें वाले श्रद्धालुओं के लिये शौंचालय/ स्नानघर/विश्रामघर का निर्माण करवाया जावें जिस पर यह निर्णय लिया गया कि वन विभाग की भूमि को छोडते हुये शेष पालिका स्वामित्व की भूमि पर ही उपरोक्तानुसार कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
11. ई–को सेन्सेटिव जॉन आबूपर्वत में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण पाया जाने पर उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही करेंगे।

इस प्रकार उपरोक्त निर्णय लिये जानें के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

जिला कलेक्टर
सिरोही
दिनांक 16/2/16

कमांक/मो.क./आबू/2016/ 483
प्रतिलिपि सूचनार्थ /पालनार्थ :–
1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
2. श्रीमान् देवजी पटेल, सांसद, सिरोही–जालौर, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत।
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत।
4. श्रीमान् सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू रोड़।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, नगरपालिका, आबू पर्वत।
6. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत।
7. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत।
8. आयुक्त, नगरपालिका, आबू पर्वत।
9. उपवन संरक्षक, आबू पर्वत।
10. संरपंच ग्राम पंचालय ओरिया।
11. एच.एन.मुकिजा, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंण्डल।
12. रूधन सिंह मीणा, एस.टी.पी. कार्यालय, जोधपुर।
13. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबू पर्वत।
14. हरीश सोनी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति आबू रोड़।
15. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत ओरिया।

जिला कलेक्टर
सिरोही

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत

दिनांक 27.07.2015 से दिनांक 2.08.2015 तक अतिवृष्टि मे क्षतिग्रस्त हुए भवनो की मरम्मत की पत्रावलीयों की सूची :–

क.सं.	फाईल का नाम	पता
1	गेरी देवी पत्नि स्व.श्री मोहन जी	पोकरण हाउस के पीछे वार्ड नं. 20
2	जीतू मेघवाल पुत्र जगाजी	जनता कोलोनी के पीछे वार्ड नं. 16
3	मुख्त्यार खां पुत्र साहेब मोहम्मद	जनता कोलोनी के पीछे वार्ड नं. 16
4	निर्मला पत्नि भवर लाल टेलर	माली कोलोनी
5	राजकुमारी सिंघल पत्नि संजय सिंघल	लक्ष्मी निवास अधर देवी वार्ड नं. 10
6	सुरेश पुत्र अमृतलाल	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
7	संजय पुत्र धर्माजी	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं.15
8	रामू देवी पत्नि स्व. श्री विशन	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
9	भगवानादास पुत्र हंसराज राणा	भीलवास ढुढाई
10	चन्द्रभागा अग्रवाल	सदर बाजार वार्ड नं. 18
11	शान्तिलाल	ईन्द्रा कोलोनी
12	सोनी देवी पत्नि हंसराज जी	माली कोलोनी
13	अमर सिंह पुत्र स्व. श्री रघुनाथ सिंह परमार	कल्प वृक्ष के पास देलवाडा
14	शिवलाल पु. हकमा जी	काला छपरा वार्ड नं. 13
15	श्रीमति रंजनी पत्नि हुकमचन्द	कुम्हारवाडा
16	दिनेश पुत्र सयंमल	काला छपरा वार्ड नं. 13
17	चम्पाराम पुत्र मिश्रा जी	बापू बस्ती देलवाडा वार्ड नं. 08
18	मानसिंह पुत्र वजाजी	गोवा गांव
19	शब्बीर अहमद पुत्र महमूद हुसेन	ज्ञानसरोवर रोड टुमना वार्ड नं. 07
20	फकीरा जी पुत्र वीरा जी	काला छपरा
21	किशनलाल पुत्र हेमाजी	माली कोलोनी
22	कमालुद्दीन पुत्र वजीर मोहम्मद	कुम्हारवाडा वार्ड नं. 13
23	बीना राणा पत्नि हरिश राणा	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
24	वसुमति पत्नि भालचंद	देलवाडा
25	गौरी पुत्र पुनम चंद	काला छपरा वार्ड नं. 13
26	शंकर लाल पुत्र रामचंद	बापू बस्ती देलवाडा वार्ड नं. 08
27	पी.जे मथाई पुत्र केसी जोन	काला छपरा वार्ड नं. 13
28	महेन्द्र कनोजिया पुत्र मदनलाल	माली कोलोनी
29	निर्मला परिहार पत्नि भंवरलाल	माली कोलोनी

30	बाबूसिंह पुत्र किशनसिंह	गोवा गांव वार्ड नं. 08
31	हिरालाल चौहान पुत्र हरजीराम	बापू बस्ती देलवाडा
32	राणा राम	बापू बस्ती देलवाडा
33	सहीफा बेगम पत्नि स्व. श्री मेहमूद हुसेन	कुम्हारवाडा
34	कनकी देवी पत्नि उनाजी	बापू बस्ती देलवाडा वार्ड नं. 08
35	मोहनराम गरासीया	ज्ञानसरोवर रोड वार्ड नं. 07
36	विनोद साव	ज्ञानसरोवर रोड वार्ड नं. 07
37	नारायण सिंह पुत्र माहनसिंह	वार्ड नं. 06 हेटमजी
38	भलसिंह पुत्र जेठू सिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
39	हिरी बाई पत्नि हीराजी	बडी दुढाई वार्ड नं. 06
40	भल सिंह पुत्र जेठूसिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
41	हिरी बाई पत्नि वीर सिंह	बडी दुढाई वार्ड नं. 06
42	अहमद खां. पुत्र गुलाम नबी	कुम्हारवाडा वार्ड नं. 12
43	केसर सिंह पुत्र धर्मसिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
44	रणछोड सिंह प्रपु. अन्धा सिंह	तोरणा वार्ड नं. 14
45	लक्ष्मण सिंह पुत्र रुप सिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
46	मोती सिंह पुत्र उदय सिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
47	लक्ष्मण सिंह पुत्र रुप सिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
48	तुलसी पत्नि हरुमल भम्भाणी	देलवाडा मेन रोड वार्ड नं. 08
49	जब्बर सिंह पुत्र बलवंत सिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
50	हिम्मत सिंह पुत्र दानसिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
51	बलवंत सिंह पुत्र जेठूसिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
52	रुपचन्द राणा	कुम्हारवाडा वार्ड नं. 12
53	पंकू देवी पत्नि नारायण सिंह	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
54	बाकेलाल पुत्र सियाराम पाण्डे,	नक्की लोज वार्ड नं. 19
55	प्रमोद कुमार व्यास	म्यूनीसीपल कोलोनी वार्ड नं. 04
56	धना जी पुत्र हीरा जी	मांच गांव वार्ड नं. 03
57	अर्जुन राणा	ज्ञानसरोवर रोड वार्ड नं. 07
58	ईस्माईल मोहम्मद	कुम्हारवाडा वार्ड .12
59	अनील भाई भरत भाई	प्रेम तारा बंगलो गणेश मार्ग वार्ड नं. 01
60	मूलाराम पुत्र कस्तुर जी	बापू बस्ती वार्ड नं. 08
61	लक्ष्मण सिंह पुत्र जगत सिंह	गोवा गांव वार्ड नं. 08
62	संतोष पत्नि अनिल कुमार	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
63	राजेश पुत्र भैरुलाल	अनुपदास जी की झोपडी के पीछे वार्ड नं. 20
64	भारती पत्नि पोपट लाल	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
65	मलचन्द पत्र रत्नाजी	[illegible]

66	नरेश पुत्र दाना राम	स्वामी नरारायण मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 19
67	जीतु राणा पुत्र दाना राम	स्वामी नरारायण मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 19
68	नासीर पुत्र खेराती कुरेशी	बडी ढुढाई वार्ड नं. 14
69	पर्वा पत्नि स्व. श्री राजेश	स्वामी नरारायण मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 19
70	लक्ष्मी पत्नि बंसीलाल	बडी ढुढाई वार्ड नं. 06
71	रघुवीर सिंह पुत्र मोहनसिंह	हेटम जी वार्ड नं. 06
72	भरत गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता	स्वामी नरारायण मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 19
73	दिलेर मोहम्मद पुत्र शेरसिंह मोहम्मद	राजीव कोलोनी कुम्हारवाडा वार्ड नं. 13
74	विजय कुमार पुत्र शंकरलाल जी	काला छपरा वार्ड नं. 13
75	भीख सिंह पुत्र समरथ सिंह	कुम्हारवचाडा वार्ड नं. 12
76	अमरथ बहादुर थापा	सेन्टमेरी रोड वार्ड नं. 05
78	सोनिया पुत्र अन्ना जी	कुम्हारवाडा वार्ड नं. 12
79	लालूराम	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
80	वाघसिंह जी	गोवा गांव वार्ड नं. 08
81	नारायण पुत्र सिमाराम	चाचाईन के पीछे वार्ड नं. 15
82	हिम्मत सिंह पुत्र दान सिंह	हेटमजी वार्ड नं. 06
83	पारु देवी पत्नि धर्मसिंह	वार्ड नं. 04
84	सोमसिंह पुत्र बालाजी	गोवा गांव वार्ड नं. 08
85	लीला बेन पत्नि मोहन जी	बापू बस्ती वार्ड नं. 08
86	जगाजी पुत्र स्व. धर्माजी	बापू बस्ती देलवाडा
87	रतनसिंह पुत्र सांकल सिंह	गोवागांव वार्ड नं. 08
88	मंहत जी	श्री दुलेश्वर महादेव ट्रस्ट
89	दिलीप पुत्र प्रेम चन्द	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
90	श्रीमति शांता व्यास	म्यूनीसीपल कोलोनी वार्ड नं. 04
91	सुखिया पत्नि त्रिलोक चन्द	सर्वे ऑफ इण्डिया के पीछे वार्ड नं. 19
92	भगवती कुवर पत्नि अजय सिंह	ढढाई वार्ड नं. 14
93	होटल गोल्डन वीना के पीछे	वार्ड नं. 05
94	दिलीप दान पुत्र मोहन दान	भीलवास ढढाई वार्ड नं. 14
95	कनिष्क बानो पत्नि इस्लामुदीन	बडी ढढाई वार्ड नं. 14
96	सानी बाई पत्नि गेना जी	कुम्हारवाडा वार्ड नं. 12
97	हस्तु पत्नि मनाजी	अधर देवी रोड वार्ड नं. 10
98	चम्पक कुमार पुत्र भीखा जी	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15
99	मंगी पत्नि स्व. श्री मेहरवान सिंह	माली कोलोनी वार्ड नं. 01
100	प्रेमी पत्नि सोमा जी	माली कालोनी वार्ड नं. 01
101	मगी पत्नि स्व. श्री मेहेरवान सिंह	माली कोलोनी वार्ड नं. 01
102	प्रेमी पत्नि श्री सोमा जी	माली कोलोनी वार्ड नं. 01
103	चंपक कुमार पुत्र भीखाजी हिरागर	अम्बेडकर कोलोनी स्कूल के पास वार्ड नं.

104	महेश टांक पुत्र भंवरलाल टांक	होटल गुजरात के सामने
105	कमलेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लालचन्द जी	शीतला माता गली के पास
106	श्री प्रेमचन्द जी जैन/ अरुण कुमार जैन/सजय कुमार जैन /शरद कुमार जैन	शिवाजी मार्ग आबूपर्वत
107	मोहनलाल पुत्र चैनाजी	कुम्हारवाडा आबूपर्वत
108	प्रेमचन्द पुत्र धुडाजी	अम्बेडकर कोलोनी आबूपर्वत वार्ड नं. 15
109	सुरजसिंह पुत्र कल्याण सिंह	गोवा गांव आबूपर्वत
110	चोपी देवी पत्नि श्री कल्याण सिंह	गोवा गांव आबूपर्वत
111	कैसर सिंह पुत्र कल्याण सिंह	गोवा गांव आबूपर्वत
112	चिमनसिंह पुत्र मनोहर सिंह	गोवा गांव आबूपर्वत
113	शहजाद सलमानी	शिवाजी मार्ग शालीमार होटल के पास
114	कालिया पुत्र किशनलाल	अम्बेडकर कोलोनी आबूपर्वत वार्ड नं. 15
115	दमयन्ती शर्मा	शर्मा सदन राजेन्द्र मार्ग आबूपर्वत
116	भीमसिंह पुत्र उदयसिंह	सब्जी मण्डी श्री गणेश स्वीट हाउस
117	मोहनलाल पुत्र बाबू जी (कोली)	अम्बेडकर कोलोनी आबूपर्वत वार्ड नं. 15
118	सुधा वागरेया पत्नि शंकर वागरेया	राजस्थान ज्वेलर्स नक्की लेक
119	श्री रामाजी पुत्र गणेश जी	बापू बस्ती देलवाडा आबूपर्वत
120	पीथाराम पुत्र लालूराम	अम्बेडकर कोलोनी आबूपर्वत वार्ड नं. 15
121	नथमल अग्रवाल	पुष्पा भवन विकास नगर आबूपर्वत
122	मैरी पत्नि हीताराम	अम्बेडकर कोलोनी आबूपर्वत वार्ड नं. 15
123	पुष्पा कंवर पत्नि नवल सिंह	माली कोलोनी आबूपर्वत
124	निर्मला बेन ठक्कर	मोनपुरा के सामने राजगढ बंगलो नं. 09
125.	गंगादेवी पत्नि भम्पूराम जी	नील कंठ रोड आबूपर्वत
126.	मंगू देवी राणा	देलवाडा भील कोलोनी आबूपर्वत
127	ओम प्रकाश अग्रवाल	सदर बाजार
128.	विकास अग्रवाल	होटल महाराजा आबूपर्वत
129.	राधा देवी अग्रवाल	पीपल हाउस आबूपर्वत
130.	जगदीश	पोकरण हाउस के पीछे वार्ड नं. 20
131.	प्यारी देवी	पोकरण हाउस के पीछे वार्ड नं. 20
132	प्रेमाराम पुत्र कल्याण	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
133	नाथूराम पुत्र स्व.श्री नगाजी	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
134	विजय पुत्र खेमाजी	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
135	रामा पुत्र श्री बवाजी	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
136	सुरेश पुत्र रुपाजी	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
137	कानाराम पुत्र श्री जोगाराम	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
138	मोहनलाल पुत्र री कानाराम	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
139	गंगा पत्नि स्व. श्री शिवलाल	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
140	मुकेश पुत्र श्री हरिलाल	सीतावन वार्ड नं 05 आबूपर्वत
141	हरिश पुत्र वीराजी	सीतावन वार्ड नं 05 आबपर्वत

143	दिवा देवी पत्नि केसाजी	सीतायन वार्ड नं. 05 आबूपर्वत
144	किशनलाल पुत्र केसाजी	सीतायन वार्ड नं. 05 आबूपर्वत
145	सोनी बाई	अधर देवी मन्दिर के पीछे आबूपर्वत
146	जगदीश राणा	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
147	हिराराम राणा	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
148	दलपत राणा	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
149	नाथूराम देवासी	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
150	भरत देवासी	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
151	भगवाना राम राणा	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
152	सवाराम देवासी	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
153	भगवानाराम	अधर देवी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
154	रुपाराम देवासी	लिमडी कोठी वार्ड नं 10 आबूपर्वत
155	मोतीलाल पुत्र श्री प्रभातीलाल	बापू बस्ती देलवाडा आबूपर्वत
156	मदनलाल पुत्र गणपतराम चौधरी	रोज कोटेज आबूपर्वत
157	गनी मोहम्मद पुत्र श्री फकीर मो.	कुम्हारवाडा वार्ड नं. 12 आबूपर्वत
158	लालराम पुत्र वनाजी	अम्बेडकर कोलानी वार्ड नं. 15 आबूपर्वत
159	चिमनसिंह पुत्र वेदसिंह जी	गोवा गांव वार्ड नं. 08 आबूपर्वत
160	अम्बा पत्नि श्री जेसा जी	अम्बेडकर कोलोनी वार्ड नं. 15 आबूपर्वत
161	दिनेश कुमार बंसल पुत्र स्व.श्री मोतीलाल बंसल	सदर बाजार वार्ड नं. 18 आबूपर्वत
162	बदरी प्रसाद पुत्र श्री चिरंजीलाल	अग्रेसन बाजार वार्ड नं. 18 आबूपर्वत
163	महेशचंद पुत्र माणकचंद	कुवारी कन्या रोड देलवाडा वार्ड नं. 10
164	मोतीसिंह पुत्र खंगाजी	तोरणा वार्ड नं. 06 आबूपर्वत
165	मगनलाल पुत्र श्री नवाजी	कोर्ट के पीछे सनसेट रोड वार्ड नं. 01
166	गोपालसिंह पुत्र केसरसिंह	सेन्ट मेरी रोड वार्ड नं. 05 आबूपर्वत
167	श्री कानसिंह पुत्र खुमसिंह जी परमार	गांव हेटमजी वार्ड नं. 06 आबूपर्वत
168	जमना देवी पत्नि श्री मांगीलाल	आदर्श कोलोनी वार्ड नं. 04 आबूपर्वत
169	प्रविण सिंह पुत्र श्री हरिराम	राजभवन के पीछे वार्ड नं. 20 आबूपर्वत
170	श्रीमति मारगेट गर्ग	धौलपुर हाउस के पास आबूपर्वत
171	श्री संजय कुमार	शीतला माता की गली सदर बाजार
172	मोहनलाल पुत्र प्रभु जी	मांच गांव हनुमान मन्दिर के पास वार्ड नं. 03
173	भरत लालवानी पुत्र स्व.रतनलाल जी	दुढाई आबूपर्वत
174	श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री हरिमन सिंह	राजभवन के पीछे आबूपर्वत
175	मोहनलाल प्रभु जी	हनुमानजी मन्दिर के पास आबूपर्वत
176	भरत लालवानी पुत्र स्व. रतनलाल जी लालवानी	दुढाई आबूपर्वत
177	रमेशचन्द्र गोयल पुत्र कृष्ण मुरारी गोयल	सदर बाजार आबूपर्वत

आज दिनांक 05-02-2016 को प्रातः 11:00 बजे माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, (अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी) जोधपुर की अध्यक्षता में आमंत्रित मोनिटरिंग कमेटी की बैठक में उपस्थितगण :-

क्र. सं.	नाम/पद व पता	मोबाईल नम्बर	ई-मेल आई.डी	उपस्थिति हस्ताक्षर
1	श्रीमान चं.कि. अधि. [illegible]			[signature] 5/2
2.	श्रीमान [illegible] पटेल [illegible]			[signature]
3.	श्रीमान जिला कलेक्टर [illegible]			
4.	श्रीमान [illegible] अधिकारी [illegible]			Arvind [signature]
5	श्रीमान UIT सचिव [illegible]			
6	श्री [illegible]			
7	श्री [illegible]			[signature]
8	श्री [illegible]			[signature]
9.	श्री [illegible]			[signature]
10	श्री [illegible]			[signature]
11	K.G. Srivastav			[signature]
12	हरीश जोशी PEO. [illegible]			[signature]

आज दिनांक 05–02–2016 को प्रातः 11:00 बजे माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, (अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी) जोधपुर की अध्यक्षता में आमंत्रित मोनिटरिंग कमेटी की बैठक में उपस्थितगण :–

क्र. सं.	नाम/पद व पता	मोबाईल नम्बर	ई–मेल आई.डी	उपस्थिति हस्ताक्षर
13	अर्जुन भारद्वाज ग्रा. से. ग्रा.प. ओसियां			[signature]
14	रामेश्वर कुमार सरपंच ग्रा.प. फलोदी			[signature]
15	एच. एन. कुलीजा राज. प्रदू. नि. मंडल वैज्ञानिक अधिकारी RO(J)	9928966204		[signature]
16.	यशपाल मीणा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क. वै. अधिकारी	8275226391		[signature]
17	Rudan Singh Meng [illegible]	7784316142		[signature]
18	Bhanu Pratap Deputy Director Tourism	94600357[illegible]		[signature] 5/2/2016
19	Chandreshwar Prasad	9414275747		[signature]

(15)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही

क्रमांक/मो.क./आबू/2016/1178/ दिनांक 28 जून, 2016

मोनिटरींग कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी ईकोसेन्सटीव जोन आबूपर्वत की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2016 को नगरपालिका पुस्तकालय भवन, आबूपर्वत में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर
2. श्री देवजी पटेल, माननीय सांसद, सिरोही–जालौर, सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी, आबूपर्वत
3. जिला कलेक्टर सिरोही
4. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत
5. अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत
6. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी, आबूपर्वत
7. श्री चेतन चारण, सदस्य, मोनिटरिंग कमेटी, आबूपर्वत
8. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत
9. उपवन संरक्षक, आबूपर्वत
10. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत

इस प्रकार उपरोक्त सदस्य उपस्थित होनें पर बैठक कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में प्रारम्भ की जाकर निम्नलिखित निर्णय लिएं गए :-

1. ईकोसेन्सेटीव जोन आबूपर्वत में जिन प्रकरणों मे मोनिटरिंग कमेटी द्वारा पूर्व में केवल आवासीय प्रयोजनार्थ रिपेयर/रिनोवेशन कि स्वीकृतियां जारी की गई है तथा उनमें से जिनमे कार्य शेष है, उन प्रकरणों मे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सब कमेटी के माध्यम से मौका जांच की जाकर ही उन प्रकरणो मे पुनः शेष रहे कार्यो को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही कर उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करेगें तथा इनमें यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि रिपेयर/रिनोवेशन की आड़ में नये निर्माण नही हो, आयुक्त नगर पालिका मण्डल आबूपर्वत यह सुनिश्चित कर प्रत्येक मामले में रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी माउण्ट आबू को प्रस्तुत करेगें।
2. ईकोसेन्सैटीव जोन आबू पर्वत में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी भूमि पर काबिज आवेदकों को छोड़कर शेष पट्टाशुदा भूमि पर शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावे तथा जिन बस्तियो में

अधिकाशतः कब्जा धारक है उन बस्तियों मे स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा सामुहिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।

3. ईकोसैन्सेटीव जोन नगरपालिका, आबूपर्वत में रिनोवेशन एवं नवीन निर्माण की स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के द्वारा बिल्डिंग बॉयलॉज बनाए जाने एवं राज्य सरकार द्वारा बॉयलोज स्वीकृत करने पर ही रिनोवेशन एंव नवीन निर्माण की स्वीकृतियां जारी किए जाने का निर्णय किया गया।
4. सांसद महोदय द्वारा बैठक मे यह सुझाव दिया गया कि बिजली विभाग द्वारा सरकारी भूमियों मे बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे है, जो नियमानुसार गलत है, इस हेतु विद्युत विभाग आबूपर्वत को पत्र लिखा जावे की सरकारी भूमि मे बिजली कनेक्शन नहीं देवें। जिस पर संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा भी सहमति प्रदान की गई।
5. संभागीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तथा सिवरेज लाईन अतिशीघ्र चालू की जाए तथा इसकी प्रगति से अवगत करावे।
6. संभागीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि माउण्ट आबू में प्लास्टिक थैलियों का जो उपयोग हो रहा है उसे पूर्णतया बन्द किया जावे तथा इसके लिए सार्वजनिक सूचना पट्ट लगाये जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, नगरपालिका व पुलिस थाना, आबूपर्वत की संयुक्त रुप से टीम गठित कर पॉलीथीन के मुख्य विक्रेता, मिठाई की दुकानों व सब्जी वालों के यहां प्रभावशाली कार्यवाही करेगें साथ ही नगरपालिका आबूपर्वत जूट के थैले खरीद कर नगरपालिका क्षेत्र मे मुफ्त में वितरण करेगें एवं लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि कोई भी दुकानदार यदि पोलीथीन थैली का उपयोग करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को देवें तथा सूचित करने वाले व्यक्ति की सूचना सही पाई जाने पर उसे 200/- रुपए का नकद ईनाम नगरपालिका द्वारा दिया जाने का निर्णय लिया गया।
7. संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि नगरपालिका क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण/अतिक्रमण होते ही तुरन्त प्रभाव से ध्वस्त किया जाकर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें। बैठक में कमेटी को अवगत करवाया गया कि आबूपर्वत में लोगो द्वारा पिछले कुछ समय से पतरे लगाकर अवैध रूप से फ्लोर का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें नियमानुसार हटवाने की कार्यवाही तथा नियमानुसार ध्वस्त की कार्यवाही की जाए साथ ही पी.आई.एल. में माननीय न्यायालय द्वारा जितने निर्णय हुए थे, उन पर भी सख्ती से कार्यवाही की जावें, किन्तु आम-जन

की समस्या, छोटे–छोटे मरम्मत कार्यों के लिए उपखण्ड अधिकारी स्वयं के स्तर से जांच कर कार्यों की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत रहेंगे ताकि आम नागरिकों को राहत प्रदान की जा सकें।

8. माननीय सांसद महोदय द्वारा 5.00 लाख की राशि की आबूपर्वत क्षेत्र हेतु सांसद कोष से पेड़ लगाने के लिए अभिशंषा भेजने हेतु सहमति दी गई। वन विभाग द्वारा इस संबध मे प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर, सिरोही को प्रेषित करेंगे। प्रस्ताव स्वीकृति अनुसार वन विभाग आबूपर्वत द्वारा कार्य करवाए जाएगें।

9. बैठक में नगरपालिका क्षेत्र की निर्माण स्वीकृतियां की पत्रावलियाँ के संबध मे चर्चा की गई :–

1. <u>आदर्श विद्या मन्दिर की पत्रावली :–</u> प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात कमेटी द्वारा आदर्श विद्या मन्दिर के पुराने भवन को रिपेयर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. <u>उदासीन आश्रम कैलाश भवन अविनाशी धाम की पत्रावली :–</u> प्रकरण मे मोनिटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2011 को रिपेयर/रिनोवेशन कि स्वीकृति जारी कि गई थी जिस क्रम मे पुनः नवीनीकरण स्वीकृति क्रमशः दिनांक 01.09.2014 व 11.09.2015 को जारी की गई। मौकें पर पुराने भवन को तोड़कर जीरो लेवल से नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जबकि भरत कुमार जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया जनहित याचिका सं. 10202/12 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार नवीन निर्माण कार्यो पर रोक लगाई गई है। इस कारण प्रकरण मे करवाएं जा रहे निर्माण कार्य को तरन्त प्रभाव से बन्द कराए जाने का निर्णय लेते हुए यह निर्णय पारित किया कि मौके की पैमाईश करवाई जावे तथा अविनाशी धाम की भूमि पर सर्वप्रथम चार दिवारी निर्माण की स्वीकृति दी जावें तत्पश्चात् बिल्डिंग बॉयलोज पारित होने पर अविनाशी धाम के प्रकरण पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

10. नक्की लेक का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व तथा नक्की लेक की सौन्दर्यता बनी रहें, इस कारण नक्की लेक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध किया गया व नक्की लेक को केवल पर्यटकों व स्थानीय निवासियों के वॉकिंग के लिए बढावा दिया जाना चाहिए। माउण्ट आबू में नए पर्यटक स्थल विकसित किए जाए ताकि नक्की लेक पर भीडभाड कम हो। बैठक में अवगत कराया की नक्की लेक के उपर एक

रोप–वे प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और नगरपालिका को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में नगरपालिका द्वारा इस हेतु कोई एन.ओ.सी. जारी नहीं की जाए। और यदि जारी हो गई है तो उसे नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे, साथ ही नक्की लेक पर ट्रैकलैस ट्रेन से ट्राफिक संबंधी न्युसेंस होने के कारण भी कमेटी द्वारा रोष प्रकट किया गया। अतः नक्की लेक क्षेत्र में इको सेन्सेटीव जोन होने से किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक गतिविधियों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाए।

11. ईको सेन्सेटीव जोन आबूपर्वत में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण पाया जाने पर सख्त कार्यवाही की जाकर उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही करेंगें ।

इस प्रकार उपरोक्त निर्णय लिये जाने के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / मो.क. / आबू / 2016 / / 78 /

दिनांक 28 जून, 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थ :–

1. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर
2. श्री देवजी पटेल, माननीय सांसद, सिरोही–जालौर, सदस्य, मोनिटरींग कमेटी, आबूपर्वत
3. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत
4. सचिव, नगर सुधार न्यास, आबूरोड़
5. अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत
6. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य, मोनिटींग कमेटी, आबूपर्वत
7. श्री चेतन चारण, सदस्य, मोनिटरींग कमेटी, आबूपर्वत
8. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत
9. उपवन संरक्षक, आबूपर्वत
10. सरपंच ग्राम पंचायत, ओरिया
11. राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, पाली
12. एस.टी.पी., जोधपुर
13. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड़

जिला कलक्टर, सिरोही

(16) 144

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही

कमांक/मो.क./आबू/2016/3381/ दिनांक 08.10.2016

मोनिटरींग कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, अध्यक्ष, मोनिटरिंग कमेटी ईकोसेन्सटीव जोन आबू पर्वत की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2016 को नगरपालिका पुस्तकालय भवन आबू पर्वत में मोनिटरिंग कमेटी–माउण्ट आबू की 16 वीं बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. जिला कलेक्टर सिरोही
2. उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत
3. अध्यक्ष, नगरपालिका, आबू पर्वत।
4. अध्यक्ष यू.आई.टी आबूरोड (विशेष आमंत्रित सदस्य)
5. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
6. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत
7. श्री ईश्वरचन्द डागा सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
8. आयुक्त, नगरपालिका, आबू पर्वत।
9. उपवन संरक्षक, आबू पर्वत
10. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबू पर्वत
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूपर्वत
12. क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाली

सर्वप्रथम श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधीगण एवं सभी अधिकारियो/सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर ऐजण्डानुसार चर्चा कर निम्न निर्णय लिए गये।

1. <u>गत बैठक मे लिये गये निर्णयों पर चर्चा</u> :– गत बैठक दिनांक 02.06.2016 को लिये गये निर्णय/चर्चा के संबध मे श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया कि माउण्ट आबू में अत्यावश्यक मरम्मत एवं शौचालय निर्माण हेतु गठित सब–कमेटी द्वारा जारी स्वीकृतिया में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण/भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25 जून 2009 का उल्लंघन नही हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा

जावे और यदि किसी प्रकार का अवैध निर्माण होता है तो उसे तुरन्त प्रभाव से ध्वस्त किया जावे।

2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एन.जी.टी. दिल्ली/भोपाल में अंतरित डी.बी. सिविल याचिका संख्या 10202/12 अनवान भरत कुमार जैन बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य जो की वर्तमान मे विचारांधीन है। इसमें एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 से मोनिटरिंग कमेटी माउण्ट आबू द्वारा ईको–सेंसिटिव जोन माउण्ट आबू में जारी की गई पूर्व की समस्त निर्माण अनुमतियों की समीक्षा, परीक्षण एवं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है कि इनमें भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25 जून 2009 का उल्लंघन तो नही हुआ है ? और यदि किसी निर्माण कार्य में उल्लंघन हो रहा हो, तो उसे तत्काल बंद करवाया जावे। बाद चर्चा निर्णय लिया गया कि निरीक्षण उपरांत निर्धारित सुनवाई दिनांक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।
3. एनजीटी द्वारा एक अन्य मूल आवेदन संख्या 312/2016 में पारित आदेश दिनांक 31 मई, 2016 की पूर्ण पालना की जावे।
4. माउण्ट आबू ईको–सेंसिटिव जोन में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की सतत् निगरानी रखी जावे और यदि ऐसा कोई मामला पाया जावे तो सख्ती से कार्यवाही की जावे। इस हेतु पूर्व मे लिये गये निर्णय की पालना में नगरपालिका/ग्राम पंचायत सरकारी भूमियों मे जल/बिजली के कनेक्शन हेतु एन.ओ.सी. जारी नही करे।
5. माउण्ट आबू में प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबंधित करने हेतु पूर्व में लिए गये निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई आबू पर्वत विकास समिति की बैठक दिनांक 29.07.2016 के निर्णय बिन्दुओं की उपखण्ड अधिकारी माउण्ट आबू के स्तर से स्थानीय स्तर पर सभी संबंधित विभागों से कियान्विति/अनुपालना सुनिश्चित करवायी जावे।

उक्त बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 14 में मोनिटरिंग कमेटी/सब–कमेटी/स्थानीय कमेटी/पर्यावरण कमेटी को आबू पर्वत में सतर्कता पूर्वक विकास एवं निर्माण कार्यो में सभी गतिविधियों की निगरानी रखने तथा बिन्दु संख्या 17 में ईको सेंसिटिव जोन के नये मास्टर प्लान संबंधी एनजीटी में दर्ज प्रकरण में पैरवी एवं मा0 अधिकरण के आदेशों की नियमित व सख्ती से पालना करने तथा किसी प्रकार के नये निर्माण कार्यो की अनुमति नही देने के निर्देश दिये गये

146

है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में माउण्ट आबू ईको–सेंसिटिव जोन से संबंधित एनजीटी में विचाराधीन निम्नांकित प्रकरणों में पारित विभिन्न आदेशों की पालना/पैरवी हेतु उपखण्ड अधिकारी/नगरपालिका आबूपर्वत नवीनतम स्थिति की जानकारी अपडेट रखे व समय–समय पर उच्चाधिकारियों को अवगत करावे।

मानानीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन प्रकरण

क.सं.	प्रकरण संख्या	अनवान
1	47/2016	भरत कुमार जैन व अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य
2	312/2016	डॉ0 अरूण कुमार शर्मा बनाम MOEF & CC & Anr.
3	360/2016	उदासीन स्वामी रामानन्द ट्रस्ट बनाम पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार व अन्य

7. <u>स्थानीय लोगो को रिपेयरिंग की अनुमति के संबध मे चर्चा एवं अनुमोदन</u> :– बैठक में नगरपालिका एंव ग्राम पंचायत ओरिया द्वारा रिपेयर/रिनोवेशन सम्बन्धित सूची मय पत्रावलीयां प्रस्तुत की गई जिसमे निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

नगरपालिका आबूपर्वत की पत्रावलीयां

क.स.	आवेदक का नाम	आवेदक का पता	प्रकृति	प्रस्तावित निर्माण	मोनेटरिंग कमेटी का निर्णय
1	श्री श्री मां अन्नता नंद तीर्थ हनुमान गुफा	देलवाडा रोड आबूपर्वत	संस्थागत	मुख्य सडक से मन्दिर तक रोड का निर्माण	सी.सी.रोड निर्माण प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण सब कमेटी द्वारा करने पर कमेटी की राय अनुसार स्वीकृति प्रदान की जावे।
2	अचलगढ जैन मन्दिर	अचलगढ आबूपर्वत	संस्थागत	रिपेयरिंग कार्य	केवल रिपेयर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3	सेठ कल्याण जी आनंद जी पेढी जैन मन्दिर	देलवाडा आबूपर्वत	संस्थागत	शौचालय, रसोईघर व अन्य मरम्मत कार्य की स्वीकृति बाबत्	केवल रिपेयर करने एवं अति आवश्यक रिनोवेशन की अनुमति प्रदान की जाती है।
4	श्रीमती निर्मला पत्नि भंवरलाल	माली कोलोनी आबूपर्वत	आवासीय	अत्यधिक पुराना क्षतिग्रस्त मकान को तोडकर पूर्व प्लीन्थ ऐरिया अनुसार निर्माण स्वीकृति	नया निर्माण नही किया जावे केवल रिपेयर एंव अति आवश्यक रिनोवेशन की अनुमति प्रदान की जाती है।

5	अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल अग्रवाल	आबूपर्वत	आवासीय	अत्यधिक पुराना क्षतिग्रस्त मकान को तोडकर पूर्व प्लीन्थ ऐरिया अनुसार निर्माण स्वीकृति	नया निर्माण नही किया जावे केवल रिपेयर एवं अति आवश्यक रिनोवेशन की अनुमति प्रदान की जाती है।
6	पालनपुर पेलेस (सिवरेज)	देलवाडा रोड आबूपर्वत	व्यवसायिक	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट व अन्य मरम्मत	केवल सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की अनुमति प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार का नया निर्माण अनुज्ञ नही होगा।
7	जोधाणा लेक हाउस	नक्की लेक आबूपर्वत	आवासीय / व्यवसायिक	पूर्व मे मोनिटरिंग कमेटी द्वारा दी गई अनुमति की अवधि को बढाने बाबत्	एन.जी.टी. के निर्णय पश्चात् पत्रावलीयां मोनिटरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत की जावे।
8	श्री हिम्मत सिंह पुत्र दानसिंह	हेटमजी आबूपर्वत	आवासीय	अत्यधिक पुराना क्षतिग्रस्त मकान को तोडकर पूर्व प्लीन्थ ऐरिया अनुसार निर्माण स्वीकृति	नया निर्माण नही किया जावे केवल रिपेयर एवं अति आवश्यक रिनोवेशन की अनुमति प्रदान की जाती है।
9	श्रीमति शान्ता व्यास	म्यूनिसिपल कोलोनी आबूपर्वत	आवासीय	पूर्व मे मोनिटरिंग कमेटी द्वारा दी गई अनुमति के कम में अनुज्ञा पत्र जारी करने की स्वीकृति बाबत्	एन.जी.टी. के निर्णय पश्चात् पत्रावलीयां मोनेटरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत की जावे।
10	फारुख तल्लाह स्माईल भाई व अन्य	ढुढांई आबूपर्वत	आवासीय	खाली भूखण्ड पर होटल निर्माण स्वीकृति बाबत्	नया निर्माण होने से अस्वीकृत। एन.जी.टी. के निर्णय पश्चात् पत्रावली मोनिटरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत की जावे।

ग्राम पंचायत ओरिया की पत्रावलीयां

क्र. स.	आवेदक का नाम	आवेदक का पता	प्रकृति	प्रस्तावित निर्माण	मोनेटरिंग कमेटी का निर्णय
1	श्री वनसिंह पुत्र भगाजी	ओरिया	आवासीय	टिनशेड को हटाकर आर.सी.सी. की छत डालकर द्वितिय मंजिल हेतु निर्माण	नया निर्माण होने से पत्रावली अस्वीकृत की जाती है। एन.जी.टी. के

				स्वीकृति	निर्णय पश्चात् पत्रावली मोनिटरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत की जावे।
2	श्रीमती लखूबाई पत्नि लालसिंह मृत्युपरान्त अरविन्दसिंह	जवाई	आवासीय	टिनशेड को हटाकर आर.सी.सी. की छत निर्माण स्वीकृति	नया निर्माण होने से पत्रावली अस्वीकृत की जाती है। एन.जी.टी. के निर्णय पश्चात् पत्रावली मोनिटरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत की जावे।
3	श्री पीताम्बर सिंह पुत्र दलीप सिंह	जवाई	आवासीय	टिनशेड को हटाकर आर.सी.सी. की छत निर्माण स्वीकृति	नया निर्माण होने से पत्रावली अस्वीकृत कि जाती है। एन.जी.टी. के निर्णय पश्चात् पत्रावली मोनिटरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत की जावे।
4	श्रीमंत सेठ अचलसिंह जी अमरसिंह जी	अचलगढ	मन्दिर	पत्थर लाने हेतु स्वीकृति बाबत्	प्रकरण मे सब कमेटी मौका जांच कर निर्णय लेंवे।

8. <u>सार्वजनिक निर्माण विभाग आबूपर्वत के कार्यो के संबध मे चर्चा</u> :–

इस संबध मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रावास के तल मंजिला निर्माण की स्वीकृति पूर्व मे प्राप्त हो चुकी है परन्तु भूमि कम होने के कारण प्रथम मंजिल का नया निर्माण तथा देलवाडा स्थित डाक बंगले मे राज्य सरकार की नई स्कीम के तहत् डाक बंगले को होटलनुमा विश्रामग्रह बनाया जाना प्रस्तावित है जिस पर संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये कि माउण्ट आबू ईकोसेन्सीटिव जोन से संबंधित विभिन्न प्रकरण वर्तमान में एन.जी.टी. में विचाराधीन है, इनमें निर्णय उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

9. <u>स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय निर्माण की स्वीकृति के संबध मे चर्चा</u> :–

इस संबध मे पूर्व मे लिए गये निर्णयानुसार सरकारी भूमि पर काबिज लोगो को छोडते हुए शेष पट्टाशुदा लोगों को नियमानुसार शौचालय निर्माण की स्वीकृति सब–कमेटी द्वारा

प्रदान की जावे तथा सरकारी भूमि पर काबिज लोगों की सुविधा हेतु नगरपालिका आबूपर्वत उचित स्थानों पर नियमानुसार सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करावे।

उपरोक्त निर्णयों के उपरांत उक्त बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

जिला कलेक्टर
सिरोही

क्रमांक/मो.क./आबू/2016/3367 दिनांक 25.10.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
2. श्रीमान् देवजी पटेल, सांसद, सिरोही-जालौर, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत
4. श्रीमान् अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, आबूरोड
5. श्रीमान् सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू रोड़
6. श्रीमान् अध्यक्ष, नगरपालिका, आबू पर्वत
7. श्री ईश्वरचन्द डागा सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
8. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
9. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत
10. आयुक्त, नगरपालिका, आबू पर्वत
11. उपवन संरक्षक, आबू पर्वत
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूपर्वत
13. क्षेत्रिय अधिकारी,राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड पाली
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
15. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबू पर्वत
16. विकास अधिकारी/पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति आबू रोड़
17. सरपंच ग्राम पंचायत ओरिया, पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही

जिला कलेक्टर
सिरोही

Land sec
1925
18/2/17
17/2/17

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , सिरोही

कमांक/मो.क./आबू/2016/273 दिनांक : 15.02.2017

मोनिटरींग कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, अध्यक्ष, मोनिटरींग कमेटी ईकोसेन्सटीव जोन आबूपर्वत की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2016 को नगरपालिका पुस्तकालय भवन आबूपर्वत में मोनिटरिंग कमेटी–माउण्ट आबू की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/जनप्रतिनिधी गण उपस्थित हुए :–

1. जिला कलेक्टर सिरोही
2. श्री देवजी पटेल, मा0 सांसद महोदय जालोर–सिरोही
3. श्री समाराम गरासिया, मा0विधायक महोदय पिण्डवाडा–आबू (विशेष आमंत्रित सदस्य)
4. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत
5. अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत
6. अध्यक्ष यू.आई.टी आबूरोड़ (विशेष आमंत्रित सदस्य)
7. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबूपर्वत
8. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबूपर्वत
9. श्री ईश्वरचन्द डागा सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबूपर्वत
10. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत
11. उपवन संरक्षक, आबूपर्वत
12. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत
13. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग आबूपर्वत
14. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाली

सर्वप्रथम सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधीगण एवं सभी अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर ऐजण्डानुसार निम्न निर्णय लिए गये :–

1. **माउण्ट आबू ईको–सेंसिटिव जोन में भवन सामग्री के प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले टोकन प्रकिया को ऑनलाईन करने बाबत :–** उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अवगत कराया गया कि ईको सेंसिटिव जोन में भवन सामग्री के प्रवेश हेतु बार–बार टोकन लेने में लोगो को परेशानी होती है, अतः टोकन प्रकिया को ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। इससे लोगों की परेशानी कम होगी व समय

की बचत के साथ–साथ कार्य भी समय पर होगा। इस पर समिति के सदस्यों की राय अनुसार संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा ऑन लाईन टोकन प्रणाली की व्यवस्था लागू करने के संबध में निर्देश दिये गये।

2. **एस्टिमेट से अधिक निर्माण सामग्री पर रोक लगाने पर चर्चा:–** उपखण्ड अधिकारी व आयुक्त नगर पालिका आबूपर्वत द्वारा अवगत कराया कि प्रायः यह देखने में आता है कि सरकारी व अन्य बड़े कामों मे ऐस्टिमेट से कम सामग्री का वास्तविक तौर पर उपयोग होता है। इससे शेष सामग्री का अवैध निर्माण मे प्रयोग होने की संभावना बनी रहती है। अतः ईको–सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण की प्रवृति पर अंकुश हेतु यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी भी संवेदक के पास कुछ निर्माण सामग्री बच जाती है तो उसे आगामी टोकनो में से कटौती की जायेगी। उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत इसको लागू करने की कार्यवाही करेगें।

3. **सब–कमेटी द्वारा जारी की गई अत्यावश्यक मरम्मत/शौचालय निर्माण स्वीकृतियों की समीक्षा:–** माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.7.16 के अन्तर्गत ईका–सेंसिटिव जोन माउण्ट आबू मे स्वीकृत प्रकरणों की पत्रावलीयो की समीक्षा व परीक्षण के दृष्टिगत उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय स्तर से अब तक कुल 206 प्रकरणो में मरम्मत स्वीकृतियां दी गई है, जिसमे पंचायत क्षैत्र के 80 प्रकरणों व नगरपालिका क्षैत्र के 68 प्रकरणों की कुल 148 पत्रावली में मौका निरिक्षण किया जा चुका है। इनमें नगरपालिका क्षैत्र मे जिन लोगो द्वारा अवैध निर्माण किया गया, उन्हे नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस पर संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों में मौका निरीक्षण करने व अवैध निर्माण होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसे ध्वस्त किये जाने के निर्देश दिये गये ।

बैठक मे उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्तर से अब तक जारी स्वीकृतियों का अनुमोदन किया गया तथा प्रत्येक 15 दिवस मे सब कमेटी की बैठक रखी जाने का निर्णय लिया गया।

4. **मा0 एनजीटी मे अंतरित याचिका सं0 10202/12 के संबध में चर्चा:–** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अंतरित याचिका संख्या 10202/12 अनवान भरत कुमार जैन व अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य वर्तमान मे माननीय

एन.जी.टी. दिल्ली/भोपाल मे विचाराधीन है जिसमे एन.जीटी. द्वारा बिना ट्रिब्यूनल की अनुमति के किसी भी नये/फ्रेश निर्माण कार्य पर रोक संबंधी निर्देश है। अतः नये निर्माण कार्यो की अनुमतियों के संदर्भ में एन.जी.टी. के आदेशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. **गत बैठक में लिए गये निर्णयों पर चर्चा :–** ईको–सेंसिटिव जोन आबूपर्वत में अतिकमण/अवैध निर्माण की प्रवृति पर अंकुश हेतु पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरुप सरकारी भूमियों पर काबिज लोगों को नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा जल/बिजली की एन.ओ.सी. और शौचालय निर्माण की स्वीकृतियां जारी नही करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा अवगत कराया कि मा0 एनजीटी के निर्देशानुसार ईको–सेंसिटिव जोन की सेटेलाईट ईमेज हेतु रिमोट सेसिंग सेन्टर जोधपुर में 7.60 लाख रुपये जमा करा दिये गये है जो जनवरी, 2018 तक हर तीन माह के अन्तराल मे सेटेलाईट ईमेज की रिपोर्ट देगी।

इस कम मे श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि माउण्ट आबू में अत्यावश्यक मरम्मत एवं शौचालय निर्माण हेतु गठित सब कमेठी द्वारा जारी स्वीकृतियों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण/भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25 जून 2009 का उल्लंघन नही हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जावे तथा मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेशों की पूर्ण पालना एवं पैरवी सुनिश्चित की जावे ।

6. **अन्य बिन्दु–** माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई आबू पर्वत विकास समिति की बैठक दिनांक 29.07.16 के निर्णय बिन्दुओं की उपखण्ड अधिकारी माउण्ट आबू के स्तर से स्थानीय स्तर पर सभी संबंधित विभागों से कियान्विति/अनुपालना कराने, माउण्ट आबू में प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबंधित करने तथा नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा उचित स्थानों पर नियमानुसार सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हेतु गत बैठक के निर्णयों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये।

7. **JP Mail/दुकानों को Develop कराने की Permission** :— लंबित प्रकरण में नए व्यावसायिक प्रयोग को देखते हुए व मानचित्र एनजीटी में प्रकरण लंबित होने से न्यायालय के फैसले के उपरांत ही कोई कार्यवाही उचित होगी।

तत्पश्चात् उक्त बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक/मो.क./आबू/2016/ 273 दिनांक : 15.02.2017

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
2. श्रीमान् देवजी पटेल, मा० सांसद, जालौर–सिरोही, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबूपर्वत
3. श्रीमान समाराम गरासिया, मा0 विधायक पिण्डवाड़ा–आबू
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत
5. श्रीमान् अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, आबू रोड़
6. श्रीमान् संचिव, नगर सुधार न्यास, आबू रोड़
7. श्रीमान् अध्यक्ष, नगरपालिका, आबू पर्वत
8. श्री ईश्वरचन्द डागा सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
9. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
10. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत
11. आयुक्त, नगरपालिका, आबू पर्वत
12. उप वन संरक्षक, आबू पर्वत
13. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग आबूपर्वत
14. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड पाली
15. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन कार्यालय जोधपुर
16. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबू पर्वत
17. विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं0स. आबू रोड़, जिला सिरोही
18. संरपंच ग्राम पंचायत ओरिया, पं0स0 आबूरोड जिला सिरोही
19. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्टर कार्यालय, सिरोही

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

154

(18)

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , सिरोही

क्रमांक / मो.क. / आबू / 2017 / 846 दिनांक : 4.05.2017

मोनिटरींग कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण

सम्भागीय आयुक्त महोदय, अध्यक्ष, मोनिटरींग कमेटी ईकोसेन्सटीव जोन आबूपर्वत की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2017 को नगरपालिका पुस्तकालय भवन आबूपर्वत में मोनिटरिंग कमेटी, आबूपर्वत की 18वीं बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :—

1. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर
2. जिला कलक्टर, सिरोही
3. श्री देवजी पटेल, माननीय सांसद महोदय, जालौर–सिरोही
4. श्री उमेश मोहन सहाय, सेवानिवृत, पीसीईएफ(एचओएफएफ), राजस्थान
5. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत
6. उपवन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत
7. सचिव, यू.आई.टी, आबू
8. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
10. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, पाली
11. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
12. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबूपर्वत
13. श्री ईश्वरचन्द डागा, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबू पर्वत
14. श्री समाराम गरासिया, विधायक, पिण्डवाडा–आबू (विशेष आमन्त्रित सदस्य)
15. अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत (विशेष आमन्त्रित सदस्य)
16. अध्यक्ष, यू.आई.टी आबू (विशेष आमन्त्रित सदस्य)
17. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़
18. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत .

उपर्युक्त सदस्यगण /अधिकारीगण उपस्थित होनें पर सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित जन प्रतिनिधिगण एवं सभी अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर ऐजेण्डे अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गए :—

1. <u>माउण्ट आबू ई–को सेन्सेटिव जॉन में भवन निर्माण के संबंध में</u> :— बैठक में भवन निर्माण कार्य हेतु रखे गये प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया । नेशनल ग्रीन ट्रियुब्नल, दिल्ली व सेन्ट्रल जोनल बैंच , भोपाल (N.G.T.) में दर्ज प्रकरण की आगामी सुनवाई में न्यायाधिकरण के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी।

2. <u>नेशनल ग्रीन ट्रियुब्नल, दिल्ली व सेन्ट्रल जोनल बैंच , भोपाल (N.G.T.)</u> :— बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त यादकरण में नगर सुधार न्यास, आबू, नगरपालिका, आबूपर्वत

एंव उप वन संरक्षक, वन्यजीव ,आबूपर्वत उक्त प्रकरण में पक्षकार बन कर संयुक्त रूप से अपना पक्ष रखें ताकि निर्माण/ रिपेयर/रिनोवेशन सम्बन्धित कार्य नियमानुसार निर्णय अनुसार करवाये जा सके।

3. <u>उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत की अध्यक्षता में सब कमेटी द्वारा अतिआवश्यक/आवश्यक मरम्मत/शौचालय निर्माण की स्वीकृतियां के क्रम में</u> :– मोनेटरिंग कमेटी की पूर्व बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.09.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है । उक्त कमेटी Minor repair के कार्यों की मौके की जॉच कर नियमानुसार अति आवश्यक /शौचालय निर्माण आदि के दस्तावेजों की जॉच कर आवश्यकतानुसार स्वीकृति जारी करें ।

4. <u>निर्माण कार्यों के लिए सामग्री लाने की स्वीकृति के संबध मे चर्चा</u> :– इस संबध में मोनेटरिंग कमेटी की पूर्व बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.09.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिन Minor repair कार्यो की स्वीकृति दी जावेगी उन निर्माण कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार सामग्री लाने की अनुमति कमेटी द्वारा दी जावेगी ।

इस प्रकार उपरोक्त निर्णय लिये जानें के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

दिनांक :4.05.2017

क्रमांक/मो.क./आबू/2017/ 846

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. सम्भांगीयं आयुक्त महोदय, जोधपुर।
2. प्रतिनिधि , पर्यावरण , वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय ,भारत सरकार ,नई दिल्ली
3. श्री देवजी पटेल, सांसद, सिरोही–जालौर, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत।
4. श्री समाराम गरासिया, माननीय विधायक, पिण्डवाडा–आबू।
5. श्री उमेश मोहन सहाय, सेवानिवृत, पीसीईएफ(एचओएफएफ), राजस्थान
6. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत।
7. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू
8. अध्यक्ष, नगरपालिका, आबूपर्वत
9. श्री ईश्वरचन्द डागा, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबूपर्वत
10. श्री सौरभ गांगड़िया, सदस्य मोनिटींग कमेटी, आबूपर्वत
11. श्री चेतन चारण, सदस्य मोनिटरींग कमेटी, आबू पर्वत
12. आयुक्त, नगरपालिका, आबू पर्वत।
13. उपवन संरक्षक वन्यजीव, आबूपर्वत।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, पाली
15. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजक कार्यालय, जोधपुर
16. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत

17. विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड़
18. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि., आबूपर्वत
19. सहायक अभियन्ता, नगरपालिका, आबूपर्वत (नगरपालिका क्षैत्र)
20. सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, आबूरोड
21. सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, आबूपर्वत
22. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत ओरिया
23. पटवारी हल्का, आबूपर्वत / ओरिया
24. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्टर कार्यालय, सिरोही

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही